दृष्टि The Vision

भारत 2017

सार-संग्रह

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Website:
www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail :
info@drishtipublications.com

प्रथम संस्करण- फरवरी 2017

मूल्य : ₹ 325

प्रकाशक

दृष्टि पब्लिकेशन्स,
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © **कॉपीराइट :** दृष्टि पब्लिकेशंस, सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द...

प्रिय पाठको,

आपके समक्ष 'भारत-2017: सार-संग्रह' प्रस्तुत करते हुए हमें हार्दिक खुशी हो रही है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष ही 'दृष्टि पब्लिकेशन्स' ने पहली बार 'भारत 2016: सार-संग्रह' का प्रकाशन किया था। इस दौरान हमें इसकी अच्छी गुणवत्ता के बावजूद यह भय था कि पाठक इसे पसंद करेंगे या नहीं? किंतु, प्रकाशन के बाद हमारा डर निराधार निकला। यहाँ तक कि पाठकों की भारी मांग के कारण प्रकाशन के मात्र 2 महीने बाद ही इसका द्वितीय संशोधित संस्करण प्रकाशित करना पड़ा। पहली बार मिले कुछ सुझावों के आधार पर संशोधित संस्करण में हमने नए नक्शे जोड़े ताकि पाठक चित्रात्मक प्रस्तुति की मदद से विभिन्न विषयों को आसानी से समझ सकें। हमारा यही प्रयास 'भारत 2017: सार संग्रह' में भी है कि पुस्तक पाठकों के लिये वरदान साबित हो।

यह पुस्तक भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 'प्रकाशन विभाग' द्वारा प्रकाशित संदर्भ-ग्रंथ 'भारत 2017' का सार है। आप जानते ही हैं कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं में इस पुस्तक के आधार पर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यातव्य है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2016 में इस पुस्तक से सीधे-सीधे 15-20 प्रश्न पूछे गए थे। इस वजह से प्रत्येक उम्मीदवार इस पुस्तक को पढ़ लेना और आत्मसात् कर लेना चाहता है; पर दुर्भाग्य यह है कि इसे पढ़ना अपने-आप में एक कठिन चुनौती है। एक तो लगभग 1100 पृष्ठों की यह पुस्तक अपने आकार के कारण पाठक को विचलित करती है; साथ ही, इसमें मौजूद भाषागत कठिनाइयाँ (और कहीं-कहीं तथ्यात्मक गलतियाँ) उसके तनाव को और बढ़ा देती हैं। हमारी टीम की कोशिश रही है कि 'भारत-2017' को सरल-सहज भाषा में पेश किया जाए। सिर्फ कुछ पंक्तियाँ हटा कर संक्षेपण कर देने भर की औपचारिकता पूरी न की जाए। साथ ही, हमारे संपादक समूह ने यह भी ध्यान रखा है कि अगर सरकारी अनुवाद में कोई तथ्यात्मक त्रुटि रह गई हो तो वह भी सुधार दी जाए। इस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए पुस्तक में शामिल प्रत्येक तथ्य व आँकड़े की जाँच भरोसेमंद सरकारी वेबसाइटों तथा संदर्भ-ग्रंथों से की गई है।

अभी आपके सामने प्रारंभिक परीक्षा की चुनौती है जिसे साधने में 'भारत-2017: सार-संग्रह' की भूमिका असंदिग्ध रूप से महत्त्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तर भी दिये हैं। हमारा अनुमान है कि उन प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया में आप न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के अनुरूप कौशल विकसित कर लेंगे; बल्कि पूरी पुस्तक को तेज़ी से दोहरा भी लेंगे। साथ ही, प्रत्येक अध्याय के अंत में हमने स्मरणीय तथ्यों को जोड़ा है, ताकि परीक्षा के समय महत्त्वपूर्ण तथ्यों एवं संकल्पनाओं का कम समय में रिवीज़न किया जा सके।

इस पुस्तक में एक और बात का ध्यान रखा गया है। पिछले दो वर्षों के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों व सरकार की आगामी योजनाओं पर इसमें विशेष प्रकाश डाला गया है, क्योंकि प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं।

यह पुस्तक किसी एक व्यक्ति की मेहनत का नतीज़ा नहीं है। हमारे लेखक व संपादक समूह के लगभग 30 सदस्यों ने अपने-अपने स्तर पर इसके लेखन, त्रुटि-शोधन, तथ्य-सत्यापन और भाषा-संपादन के स्तर पर प्रभावी योगदान दिया है। मैं उन सभी साथियों के प्रति आभार व कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

मुझे भरोसा है कि पुस्तक का यह संस्करण आपके लिये उपयोगी सिद्ध होगा। मेरा निवेदन है कि आप इसे सिर्फ पाठक के रूप में न पढ़ें, बल्कि आलोचक और संपादक की नज़र से भी पढ़ें। अगर आपको इसमें कोई भी कमी दिखे तो अपनी बात बेझिझक '8130392355' नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज दें। आपकी टिप्पणियों के आधार पर हम पुस्तक के आगामी संस्करणों को और बेहतर बना सकेंगे।

साभार,

प्रधान संपादक

दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

1	भारत भूमि और उसके निवासी	1-20
2	राष्ट्रीय प्रतीक	21-24
3	राजनीतिक संरचना	25-41
4	कृषि	42-52
5	संस्कृति एवं पर्यटन	53-60
6	मूल आर्थिक आँकड़े	61-66
7	वाणिज्य	67-71
8	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	72-82
9	रक्षा	83-91
10	शिक्षा	92-102
11	ऊर्जा	103-116
12	पर्यावरण	117-131
13	वित्त	132-157
14	कॉरपोरेट मामले	158-162
15	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	163-172

16	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	173-185
17	आवास	186-193
18	उद्योग	194-213
19	विधि और न्याय	214-228
20	श्रम, कौशल विकास और रोज़गार	229-239
21	जन संचार	240-251
22	आयोजना	252-262
23	ग्रामीण और शहरी विकास	263-282
24	वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास	283-305
25	परिवहन	306-318
26	जल संसाधन	319-331
27	कल्याण	332-356
28	युवा मामले और खेल	357-364
29	राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश	365-398
30	सामान्य सूचनाएँ	399-410

1 भारत भूमि और उसके निवासी
(Land and the People)

भारत विश्व का प्राचीन एवं महान सभ्यताओं वाला देश है, जिसकी सांस्कृतिक भिन्नता अद्‌भुत एवं अनूठी है। दक्षिण एशिया में इसकी अवस्थिति हिमालय पर्वतमालाओं के दक्षिण एवं हिंद महासागर के उत्तर में है। इसके पूर्वी एवं पश्चिमी किनारों पर क्रमशः बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है।

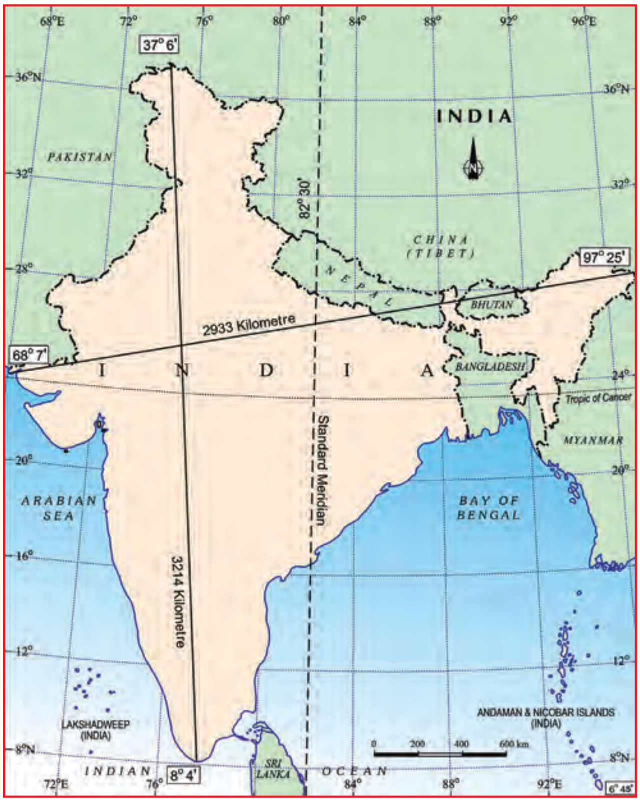

32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस देश की प्राकृतिक विविधता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके दक्षिण-पूर्वी तट पर उष्णकटिबंधीय वन फैले हुए हैं तो पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी तथा पश्चिम में थार के मरुस्थल का विस्तार है। इसकी मुख्य भूमि 8°4' से 37°6' उत्तरी अक्षांश तथा 68°7' से 97°25' पूर्वी देशांतर के बीच फैली है। इसका उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2,933 किलोमीटर का विस्तार है। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर की है तथा इसकी तटीय सीमा (द्वीपों सहित) 7516.6 किलोमीटर की है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य (गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम) से होकर गुजरती है।

प्राकृतिक पृष्ठभूमि

- भारत को मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, केंद्रीय तथा उत्तर-पूर्वी) में बाँटा जाता है।

भारत के साथ लगने वाले देशों की सीमाएँ–

क्र.सं.	देश	सीमा (किलोमीटर में)
1.	बांग्लादेश	4,096.7
2.	चीन	3,488
3.	पाकिस्तान	3,323
4.	नेपाल	1,751
5.	म्याँमार	1,643
6.	भूटान	699
7.	अफगानिस्तान	106

- अगर इसके सीमावर्ती क्षेत्रों की बात की जाए तो इसके उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान व अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल व भूटान, सुदूर पूर्व में म्याँमार तथा पूर्व में बांग्लादेश स्थित हैं।
- भारत तथा श्रीलंका के मध्य स्थित मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरूमध्य, दोनों देशों को एक-दूसरे से अलग करते हैं।
- भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्रशासित प्रदेश हैं।

प्राकृतिक संरचना

- अगर भारत की प्राकृतिक संरचना को देखें तो इसकी मुख्य भूमि को विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, सिंधु व गंगा का मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- भारत में हिमालय की विभिन्न शृंखलाओं के बीच अवस्थित घाटियों में कश्मीर तथा कुल्लू जैसी कुछ घाटियाँ बेहद उपजाऊ होने के साथ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिये प्रसिद्ध हैं।
- हिमालय की पर्वत शृंखलाओं में कई दर्रे (जेलेप-ला, नाथू-ला, शिपकी-ला आदि) पाए जाते हैं, जो हिमालयी क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं।
- हिमालय की विभिन्न शृंखलाओं के बीच अवस्थित पर्वतीय दीवार की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर तथा चौड़ाई 150-320 किलोमीटर है।
- पूर्व में भारत तथा म्याँमार के बीच तथा भारत एवं बांग्लादेश के बीच अवस्थित पर्वत शृंखलाओं की ऊँचाई काफी कम है।

कावेरी

- यह नदी कर्नाटक राज्य के कुर्ग ज़िले में ब्रह्मगिरि की पहाड़ियों से निकलती है।
- इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं– कबीनी, भवानी तथा अमरावती।

नर्मदा

- यह नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी भाग से निकलती है। इस तरह यह पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी है।
- सतपुड़ा तथा विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहते हुए संगमरमर की चट्टानों के बीच एक महाखड्ड का निर्माण करती है साथ ही मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास धुआँधार जलप्रपात का निर्माण करती है।

- 1,312 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होने के पश्चात् यह भड़ोच के दक्षिण में अरब सागर में गिरती है तथा यहाँ 27 किमी. लंबे ज्वारनदमुख का निर्माण करती है।

ताप्ती

- ताप्ती पश्चिमी दिशा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है।
- ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बेतूल ज़िले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है तथा अरब सागर में गिरती है।

अन्य नदियाँ

- शेतरूनीजी नदी अमरेली ज़िले के डलकाहवा से निकलती है।
- भद्रा नदी का उद्गम स्थल राजकोट ज़िले के अनियाली गाँव के निकट है।
- ढाढर नदी का उद्गम पंचमहल ज़िले में स्थित घंटार गाँव के निकट है।
- कर्नाटक की एक महत्त्वपूर्ण नदी शरावती का उद्गम इस राज्य के शिमोगा ज़िले से होता है।
- केरल में प्रवाहित होने वाली भरतपुझा नदी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है।
- केरल में प्रवाहित होने वाली दो अन्य प्रमुख नदियाँ हैं– पेरियार एवं पंबा।

भारत की जलवायु

- भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
- भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नता देखने को मिलती है। जिसके पीछे पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम, वर्षा, ऋतुओं, आर्द्रता एवं शुष्कता में भिन्नता मुख्य कारण है।
- इस प्रकार यहाँ की जलवायु पर दो प्रकार की मौसमी पवनों का प्रभाव देखने को मिलता है– उत्तर-पूर्वी मानसूनी पवन तथा दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी पवन।

सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 राज्य

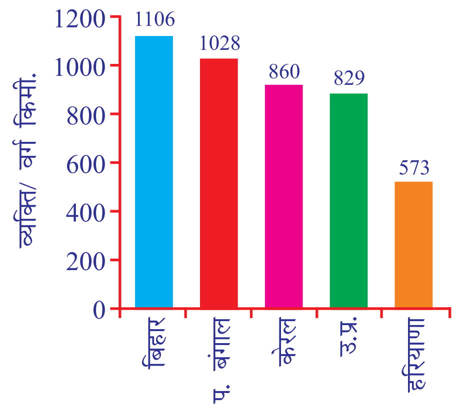

न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्रशासित प्रदेश

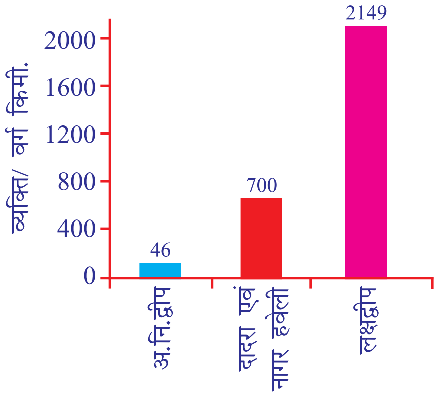

सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्रशासित प्रदेश

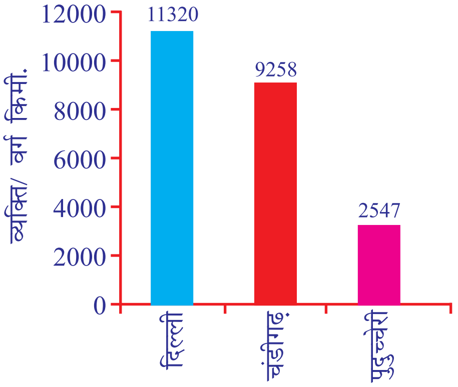

न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 राज्य

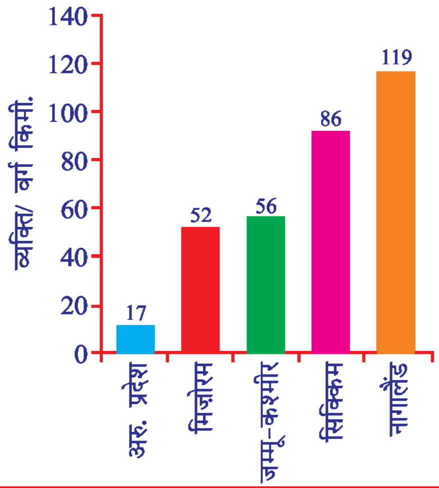

जनघनत्व एवं दशकीय वृद्धि दर

राज्य/के.शा.प्रदेश	जनघनत्व		दशकीय वृद्धि दर
	2001	2011	2001-2011
जम्मू और कश्मीर	46	56	21.7
हिमाचल प्रदेश	109	123	12.9
पंजाब	484	551	13.9
चंडीगढ़	7,900	9,258	17.2
उत्तराखंड	159	189	18.8
हरियाणा	478	573	19.9
दिल्ली	9,340	11,320	21.2
राजस्थान	165	200	21.3
उत्तर प्रदेश	690	829	20.2
बिहार	881	1,106	25.4
सिक्किम	76	86	12.9
अरुणाचल प्रदेश	13	17	30.7
नागालैंड	120	119	– 0.6
मणिपुर	103	128	24.27
मिज़ोरम	42	52	23.5
त्रिपुरा	305	350	14.8
मेघालय	103	132	28.1
असम	340	398	17.1
प. बंगाल	903	1,028	13.8
झारखंड	338	414	22.4
ओडिशा	236	270	14.0

स्मरणीय तथ्य

- संपूर्ण भारतीय भू-भाग को मुख्यत: छ: क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
- मार्ग परिवर्तन के लिये कुख्यात होने की वजह से कोसी नदी को 'बिहार का शोक' नाम से भी जाना जाता है।
- हिमालयी नदियों के विपरीत प्रायद्वीपीय नदियाँ निश्चित मार्ग पर चलती हैं तथा विसर्प का निर्माण नहीं करतीं।
- हिमालयी नदियाँ बारहमासी, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ बरसाती प्रकृति की हैं।
- 8.6 लाख वर्ग किमी. का अपवाह क्षेत्र लिये हुए गंगा नदी भारत की सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र में बहने वाली नदी है।
- गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे 'दक्षिण भारत की गंगा' के नाम से भी जाना जाता है।
- भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा होती है।
- शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों के चलते उत्तर-पश्चिमी भारत में वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिये लाभप्रद होती है।
- पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में देश के अन्य भू-भाग से अधिक वर्षा होती है।
- वन संपदा क्षेत्र के मामले में भारत का विश्व स्तर पर 10वाँ स्थान है।
- भारत में प्रथम जनगणना ब्रिटिश शासनकाल में 1872 ई. में लार्ड मेयो द्वारा करवाई गई थी, किंतु 1881 ई. से इसका प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात् आयोजन किया जा रहा है।
- भारत का क्षेत्रफल विश्व क्षेत्रफल का मात्र 2.4 प्रतिशत है। जबकि यहाँ विश्व की 17.5 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।
- अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी ज़िला भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला ज़िला (एक व्यक्ति / वर्ग किमी.) है।
- जनसंख्या की लिंग संरचना का किसी अनुपात में प्रदर्शन लिंगानुपात कहलाता है। भारत में यह प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में व्यक्त होता है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात 943 है।
- देश के वनों के कुल कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है।
- प्रत्येक दो वर्ष बाद संवेदी तकनीक द्वारा वन क्षेत्र की स्थिति का समग्र मूल्यांकन किया जाता है। यह कार्य भारतीय वन सर्वेक्षण (फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया - एफएसआई) को सौंपा गया है।
- भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, 2015 के अनुसार देश में वनों व वृक्षों का दायरा 5081 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है।
- देश में वन क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्यप्रदेश (77,462 वर्ग किलोमीटर) है।
- 1921 के पश्चात् देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई, इसलिये वर्ष 1921 को जनसंख्या के इतिहास में 'महान विभाजक वर्ष' कहा जाता है।
- 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. मात्र या जो 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. तक पहुँच गया।
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है।
- साक्षरता की गणना के लिये 7 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग को सम्मिलित किया जाता है। 1971 तक 5 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग को साक्षर माना जाता है।
- सर्वाधिक अनुसूचित जाति व जनजाति जनसंख्या वाले राज्य क्रमश: उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश हैं।

अभ्यास-प्रश्न : प्रारंभिक परीक्षा

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. हिमालय की भू-संचरना कठोर व मजबूत है।
   2. यह पर्वत अंतर्जनित तथा बहिर्जनित बलों की अंतर्क्रियाओं से भी प्रभावित है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. सिंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्र का मैदान मूलत: एक भू-अपनति गर्त है।
   2. इस क्षेत्र का निर्माण लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

3. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?
   1. प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से अधिक प्राचीन है।
   2. नर्मदा तथा ताप्ती के अतिरिक्त अन्य प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं।

   कूट:

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

4. निम्नलिखित में से कौन-सा/से विकल्प सुमेलित है/हैं?

नदी	सहायक नदी
1. गंगा	सोन
2. यमुना	सिंध
3. ब्रह्मपुत्र	कोयना
4. कृष्णा	भवानी

2

राष्ट्रीय प्रतीक
(National Symbols)

राष्ट्रीय ध्वज

- राष्ट्रीय ध्वज के ऐतिहासिक विकास क्रम पर नजर डालें तो 2 अप्रैल, 1931 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में एक झंडा समिति की नियुक्ति की गई थी।
- इसी समिति की सिफारिश पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया गया था। जिसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफेद तथा हरे रंग की पट्टी निर्मित की गई थी। सफेद रंग की पट्टी के बीच में नीले रंग का चरखा था। जिसे बाद में चक्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं।
- भारतीय ध्वज की लंबाई-चौड़ाई का अनुपात 3:2 है।
- ध्वज की सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र निर्मित है, जो सारनाथ के सिंह स्तंभ पर निर्मित चक्र से लिया गया है।
- 22 जुलाई, 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002

- 1951 में भारतीय मानक संस्थान द्वारा पहली बार राष्ट्रध्वज के लिये कुछ नियम तय किये गए।
- 1968 में इसके निर्माण मानक तय किये गए।
- 26 जनवरी, 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर, बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के ध्वज फहराने की अनुमति मिल गई।

- अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को सम्मानपूर्वक कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, परंतु इस बारे में राजचिह्नों और नामों के (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्रावधानों की अनुपालना अनिवार्य है।

भारतीय ध्वज संहिता, 2002 को तीन भागों में बाँटा गया है:

1. पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है।
2. दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है।
3. संहिता का तीसरा भाग केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है।

राजकीय प्रतीक

- 26 जनवरी, 1950 को भारत का राजचिह्न भारत सरकार द्वारा अपनाया गया।
- भारत का राजचिह्न अशोक के सारनाथ में स्थित सिंह स्तंभ की प्रतिकृति है। इस मूल स्तंभ के शीर्ष पर चार सिंह एक-दूसरे की तरफ पीठ किये हुए हैं, जिसमें सामने से केवल तीन सिंह ही दिखाई देते हैं।

- ज्ञात आठ किस्मों की प्रजाति में से रॉयल बंगाल टाइगर (Royal Bengal Tiger) उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाया जाता है। यह भारत के पड़ोसी देशों, जैसे- नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी पाया जाता है। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जाँच करने के लिये अप्रैल 1973 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' शुरू किया गया।

राष्ट्रीय पंचांग

- 22 मार्च, 1957 को भारत सरकार द्वारा शक संवत् पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया।
- इस पंचांग के अनुसार, वर्ष का पहला महीना चैत्र है तथा चैत्र का प्रथम दिन सामान्य रूप से 22 मार्च तथा अधिवर्ष/लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है।

राष्ट्रीय पुष्प

- कमल (Nelumbo Nucifera) भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। यह पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है और यह अति प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक रहा है।

- भारत पेड़-पौधों से भरा है। वर्तमान में उपलब्ध डाटा द्वारा वनस्पति विविधता में इसका विश्व में दसवाँ और एशिया में चौथा स्थान है। अब तक 70 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया उसमें से भारत के वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा 47,000 वनस्पति की प्रजातियों का वर्णन किया गया है।

स्मरणीय तथ्य

- भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपने वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई, 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था।
- 15 अगस्त, 1947 से लेकर 26 जनवरी, 1950 तक तिरंगे को 'भारतीय डोमिनियन स्टेट का राष्ट्रीय ध्वज' के नाम से जाना जाता था। तत्पश्चात् इसे 'भारतीय राष्ट्रीय ध्वज' के तौर पर जाना जाने लगा।
- भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को सम्मानपूर्वक कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं।
- भारत का राजचिह्न सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की प्रतिकृति है। इसे भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1950 को अपनाया गया।
- भारतीय राजचिह्न का उपयोग भारत के राजकीय प्रतीक (अनुचित उपयोग निषेध) अधिनियम, 2005 के तहत नियंत्रित होता है।
- रवींद्र नाथ टैगोर द्वारा रचित 'जन-गण-मन' भारत का राष्ट्रगान है।
- राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण की गायन अवधि 52 सेकेंड की होती है।
- राष्ट्रगान की पहली और अंतिम पंक्तियों के साथ एक संक्षिप्त संस्करण भी विशिष्ट अवसरों पर बजाया जाता है। इसे चलाने की अवधि लगभग 20 सेकेंड है।
- राष्ट्रीय पशु 'राजसी बाघ' है जो बहुत ताकतवर और फुर्तीला होता है।
- भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जाँच करने के लिये अप्रैल 1973 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' शुरू किया गया।
- भारत सरकार द्वारा शक संवत् आधारित राष्ट्रीय पंचाग 22 मार्च, 1957 को अपनाया गया।
- भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। वनस्पति विविधता में भारत का विश्व में दसवाँ और एशिया में चौथा स्थान है।

3 राजनीतिक संरचना
(Political Structure)

भारत एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, जहाँ संसदीय शासन प्रणाली प्रचलित है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी, 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का संवैधानिक प्रमुख है। वर्तमान में भारत में 29 राज्य एवं 7 संघ राज्यक्षेत्र हैं।

नागरिकता (भाग-2, अनुच्छेद 5-11)

- संविधान में भारतीय नागरिकों के लिये एक समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है। हालाँकि, जम्मू-कश्मीर इसका अपवाद है।
- भारतीय नागरिकता से संबंधित भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके एक नया अधिनियम पारित किया गया, जो कि भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1986 के नाम से जाना जाता है।
- भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1986 की विशेषताएँ-
  - ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, जो संविधान लागू होने के दिन अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से भारत में रहता हो तथा जिसके माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो।
  - पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिये किसी भी व्यक्ति को कम-से-कम 5 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा और जो व्यक्ति कम-से-कम 10 वर्षों से भारत में रह रहा हो, उसे भारत सरकार द्वारा देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जा सकती है।

मूल अधिकार (भाग-3, अनुच्छेद 12-35)

- इसके अंतर्गत 6 प्रकार के मूल अधिकारों की बात की गई है।
- संविधान के प्रवर्तन के समय 7 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 44वें संविधान (संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार **(अनुच्छेद 300क)** के अंतर्गत रखा गया।
- मूल अधिकारों का हनन होने की स्थिति में व्यक्ति अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है।

समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

- विधि के समक्ष समता का अधिकार **(अनुच्छेद 14):** इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राज्य अपने सभी नागरिकों के लिये एक समान कानून की व्यवस्था करेगा।
- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध **(अनुच्छेद 15):** इसके अंतर्गत यह व्यवस्था है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अपने किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा। किंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य महिलाओं, बच्चों, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े तबकों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिये कानून निर्मित कर सकता है।
- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता **(अनुच्छेद 16):** राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी, परंतु राज्य किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होने पर राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण प्रदान कर सकता है।
- अस्पृश्यता का अंत **(अनुच्छेद 17):** इस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही अस्पृश्यता से संबंधित बर्ताव को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
- उपाधियों का अंत **(अनुच्छेद 18):** सेना अथवा शैक्षणिक सम्मान के अतिरिक्त राज्य द्वारा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। साथ ही यह भी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना भारत का कोई भी नागरिक विदेशी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा।

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 -22)

अनुच्छेद 19 भारत के सभी नागरिकों को निम्नलिखित 6 प्रकार के अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है-

19 (1)(क) : वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल)

19 (1)(ख): शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता

19 (1)(ग): संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता

19 (1)(घ): भारत के किसी भी क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता

19 (1)(ङ): भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बस जाने का अधिकार

19 (1)(छ): कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार

- अपराध के लिये दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण **(अनुच्छेद 20):** इस अनुच्छेद के अंतर्गत तीन तरह की स्वतंत्रताओं की बात कही गई है-

राज्य कार्यपालिका

भारतीय संविधान के भाग-6 में **अनुच्छेद 153 से 167** तक राज्य कार्यपालिका की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् तथा राज्य के महाधिवक्ता को शामिल किया जाता है।

राज्यपाल

- यह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
- सामान्य रूप से प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।
- राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिये निम्नलिखित अर्हताएँ निर्धारित की गई हैं-
  - भारत का नागरिक हो, और
  - वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिये की जाती है, किंतु यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
- राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है।
- मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता देती है। हालाँकि कुछ संवैधानिक मामलों में उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना होता है।
- नागालैंड के संबंध में संविधान के **अनुच्छेद 371क** के तहत उस राज्य के राज्यपाल को कानून-व्यवस्था से संबंधित मामलों के लिये विशेष ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। यद्यपि कानून व्यवस्था से संबंधित मामलों में उसे उस राज्य की मंत्रिपरिषद् से सलाह करना अनिवार्य होता है, किंतु वह कार्रवाई से संबंधित स्वतंत्र निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र है।
- अरुणाचल प्रदेश से संबंधित मामलों में भी राज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों से संबंधित ज़िम्मेदारी दी गई है।
- संविधान की छठी अनुसूची में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम के जनजातीय इलाकों में ज़िला परिषद् तथा राज्य सरकार के बीच रॉयल्टी के बँटवारे से संबंधित मामले में राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है।
- इसी तरह मिज़ोरम और त्रिपुरा तथा सिक्किम के राज्यपालों को क्रमश: कर लगाने व ज़िला परिषदों द्वारा गैर-जनजातीय समुदाय के उधार देने वाले मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट तथा राज्य में शांति तथा जनता के विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक व आर्थिक उन्नति का विशेष दायित्व सौंपा गया है। राज्यपाल की शक्तियाँ एवं कार्य से संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं-

कार्यपालक शक्तियाँ

- राज्य के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक तौर पर राज्यपाल के नाम से किये जाते हैं।
- राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है तथा इसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है।
- वह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा ओडिशा राज्य में जनजातियों के कल्याण मंत्री को नियुक्त करता है।
- राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति तथा उसका पारिश्रमिक राज्यपाल के द्वारा तय किया जाता है। राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है।
- राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसकी सेवा शर्तों का निर्धारण करता है। साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की भी नियुक्ति करता है।
- राज्य के विधायी तथा प्रशासनिक मामलों से संबंधित जानकारी संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से मांग सकता है।
- राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने हेतु राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है तथा राष्ट्रपति शासन के दौरान उसकी कार्यकारी शक्तियों का विस्तार हो जाता है अर्थात् वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में इन अधिकारों का प्रयोग करता है।

विधायी शक्तियाँ

राज्यपाल राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग होता है तथा इसे निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं-

- यह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत तथा सत्रावसान कर सकता है।
- प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात् तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करता है।
- वह विधानमंडल के किसी भी सदन में विचाराधीन विधेयकों या अन्य मामलों पर संदेश प्रेषित कर सकता है।
- वह राज्य विधान परिषद् के कुल सदस्य संख्या के छठे भाग को नामित करता है जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता आंदोलन तथा समाज सेवा से जुड़े व्यक्ति होते हैं।
- राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिये एक आंग्ल-भारतीय की नियुक्ति करता है।
- वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिये आरक्षित कर सकता है।
- जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है तथा किसी भी समय अध्यादेश को समाप्त भी कर सकता है।
- संबंधित राज्य का राज्यपाल राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट को राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करता है।

वित्तीय शक्तियाँ

- राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
- राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संबंधित राज्य के वित्तमंत्री को विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिये कहता है।

4 कृषि (Agriculture)

देश की 55 प्रतिशत से अधिक आबादी को रोज़गार देने वाले कृषि क्षेत्र में 2013–14 में सबसे अधिक रिकॉर्ड उत्पादन 264.04 मिलियन टन दर्ज किये जाने के बाद वर्ष 2014–15 में यह उत्पादन गिरकर 252.68 लाख टन हो गया। इस दौरान कृषि उत्पादन में कमी का सबसे बड़ा कारण मानसून में अनियमितता है। 2015-16 में कृषि उत्पादन 252.22 मिलियन टन (तृतीय अग्रिम आँकड़ों के अनुसार) रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। उत्पादन में वृद्धि के लिये कृषि एवं सहकारी विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न फसल विकास योजनाओं पर ज़ोर दिया जा रहा है, जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं का विवरण इस प्रकार है-

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

29 मई, 2007 को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिये आयोजित बैठक में राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council – NDC) ने यह पाया कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अधिक समग्र एवं समेकित विकास को सुनिश्चित करने के लिये कृषि जलवायु, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए गहन कृषि विकास करने के लिये राज्यों को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहायता योजना की शुरुआत की जानी चाहिये।

यह योजना ₹ 25,000 करोड़ की लागत से शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्यों को कृषि से संबंधित क्षेत्रों के लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित करने के लिये प्रोत्साहित करना था, ताकि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की जा सके। इस योजना में राज्यों को उनकी कृषि-पर्यावरण की ज़रूरतों के अनुसार योजना बनाने, योजना स्वीकृत करने तथा योजना की प्रगति और वृद्धि को संचालित करने के अधिकार दिये गए हैं।

इस योजना से कृषि आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन हुआ और कृषि क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिये। ग्यारहवीं योजना के दौरान राज्यों ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिये 5,768 से भी अधिक परियोजनाएँ स्वीकृत कीं। साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) की उप-योजनाओं के रूप में संकेंद्रित लक्ष्यों के साथ ग्यारह विशिष्ट कार्यक्रमों को लागू किया गया।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- राज्यों को प्रोत्साहित करना, जिससे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जा सके।
- राज्यों को कृषि एवं संबद्ध योजनाओं के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में स्वायत्तता प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि कृषि जलवायवीय स्थितियों, प्रौद्योगिकी एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ज़िला एवं राज्यों हेतु कृषि योजनाएँ बनाई जाएँ।
- यह सुनिश्चित करना कि स्थानीय आवश्यकताओं/फसलों/प्राथमिकताओं को राज्य की कृषि योजनाओं में ठीक प्रकार से प्रदर्शित किया जाए।
- केंद्रीय कार्यकलापों के माध्यम से महत्त्वपूर्ण फसलों में उपज अंतर को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम लाभ प्रदान करना।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न घटकों का समग्र प्रकार से समाधान करके उत्पादन एवं उत्पादकता में परिवर्तन लाना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान

2007–08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (National Food Security Mission – NFSM) को धान, गेहूँ और दलहनों के उत्पादन में 20 मिलियन टन की अतिरिक्त वृद्धि के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। इस अभियान का प्रधान उद्देश्य बढ़ती हुई खाद्यान्न उपभोग आवश्यकता को पूरा करना था। साथ ही तुलनात्मक रूप से पिछड़े लक्षित ज़िलों में मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना, रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देना तथा कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था में किसानों का आत्मविश्वास बनाए रखना भी इस अभियान के उद्देश्य हैं। कुल मिलाकर एनएफएसएम को देश के 29 राज्यों के 638 ज़िलों में लागू किया गया है।

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इन अनाजों के उत्पादन में क्रमश: 10, 8, 2 मिलियन टन की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के घटकों को बढ़ाकर पाँच कर दिया गया-

1. धान
2. गेहूँ
3. दालें
4. मोटे अनाज
5. वाणिज्यिक फसल (जूट, गन्ना, कपास)

12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल उत्पादन को बढ़ाकर 25 मिलियन टन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत धान-10 मिलियन टन, गेहूँ-8 मिलियन टन, दालें-4 मिलियन टन एवं मोटे अनाज-3 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2015–16 से यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में प्रदत्त अनुदानों द्वारा चलाया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के लिये बजट आवंटन ₹ 1300 करोड़ था (केंद्र का हिस्सा)।

वर्ष 2011–12 में एनएफएसएम-दलहन के एक हिस्से के रूप में, एक नया कार्यक्रम 'उत्प्रेरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम' (Accelerated

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय स्तर पर पीएमकेएसवाई की निगरानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ एक अंतर-मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) द्वारा की जाएगी।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन, संसाधनों के आवंटन, अंतर-मंत्रालयी समन्वय, निगरानी और प्रदर्शन के आकलन के लिये नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) गठित की जाएगी।
- राज्य स्तर पर योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मंज़ूरी देने वाली समिति (एसएलएससी) द्वारा किया जाएगा।
- इस समिति के पास परियोजना को मंज़ूरी देने और योजना की प्रगति की निगरानी करने का पूरा अधिकार होगा।
- कार्यक्रम को और बेहतर ढंग से लागू करने के लिये ज़िला स्तर पर ज़िला स्तरीय समिति भी होगी। योजना के तहत कृषि जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर ज़िला और राज्य स्तरीय योजनाएँ बनाई जाएंगी।
- इस योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई जल पहुँचाने के लिये योजनाएँ बनाने व उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को अधिक स्वायत्तता व धन के इस्तेमाल की लचीली सुविधा दी गई है।
- इस योजना में केंद्र 75 प्रतिशत अनुदान देगा और 25 प्रतिशत खर्च राज्यों के जिम्मे होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केंद्र का अनुदान 90 प्रतिशत तक होगा।

टिकाऊ कृषि के लिये राष्ट्रीय मिशन

जलवायु परिवर्तन के लिये राष्ट्रीय एक्शन प्लान के आठ मिशनों में से एक मिशन एनएमएसए (National Mission for Sustainable Agriculture – NMSA) भी है। इसका लक्ष्य टिकाऊ कृषि के प्रसार के लिये 17 उत्पादों के माध्यम से भारतीय कृषि के दस महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास करना है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में एनएमएसए के अंतर्गत वर्षा से सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आरएडीपी), लघु सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएमआई), जैविक कृषि पर राष्ट्रीय परियोजना (एनपीओएफ), मृदा स्वास्थ्य और उपजाऊपन के लिये राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन (एनपीएनएसएचएफ) को भी शामिल किया गया है।

कृषि डाक प्रसार सेवा

- भारत के 14 राज्यों के 100 ज़िलों में कृषि डाक प्रसार सेवा की शुरुआत की गई है।
- इस सेवा का लक्ष्य सुदूर स्थित किसानों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी व बीज की पहुँच को सुनिश्चित करने के साथ किसानों की आय में वृद्धि करना है।
- सरकार की यह सेवा कृषि प्रसार तंत्र की विफलता के विकल्प के तौर पर शुरू की गई है।

पशुपालन, मत्स्य उद्योग एवं डेयरी उद्योग

देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में पशुपालन, मत्स्य तथा डेयरी उद्योग की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। यह किसानों की घरेलू आय का महत्त्वपूर्ण घटक रहा है तथा ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन, लघु कृषकों एवं कमज़ोर वर्गों के लिये पौष्टिक भोजन तथा रोज़गार की उपलब्धता सुनिश्चित करने का महत्त्वपूर्ण आधार भी है।

मत्स्य उद्योग का उत्पादन

देश की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा तथा आंतरिक जल संसाधनों की प्रचुरता, देश के मत्स्य उद्योग को विशाल एवं क्षमतावान बनाती है। भारत विश्व में मछलियों का दूसरा सबसे बड़ा तथा मीठे पानी की मछलियों का भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विगत दो दशकों में मीठे पानी के मत्स्य उद्योग में भारी वृद्धि दर्ज की गई, जबकि समुद्री मत्स्य उद्योग में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है।

केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान (सीएसओ) के अनुमान के अनुसार मत्स्य क्षेत्र में उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 4.36 प्रतिशत दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिये 411 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड

वर्ष 2006 में राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड (National Fisheries Development Board – NFDP) की स्थापना की गई थी। यह मत्स्य पालन, मत्स्य संसाधन एवं विपणन, मत्स्य उद्योगों में आशाजनक उत्पादन वृद्धि इत्यादि के लिये अनुसंधान एवं शोध कार्य तथा आधुनिक उपकरणों के विकास एवं उपयोग के लिये कार्यरत है। एनएफडीबी का मुख्यालय हैदराबाद में है।

तटीय मत्स्यपालन प्राधिकरण

तटीय मत्स्यपालन प्राधिकरण (Coastal Aquaculture Authority – CAA) की स्थापना 'तटीय मत्स्यपालन प्राधिकरण अधिनियम, 2005' के द्वारा की गई थी। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य, तटीय पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना विकास को सुनिश्चित रखने के लिये तटीय मत्स्यपालन गतिविधियों को नियंत्रण में रखना है। अर्थात् इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य तटीय मत्स्यपालन को इस प्रकार नियंत्रित करना है कि तटीय पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे।

पशु धन

पशु धन (Livestock) के संकरण और आनुवांशिक सुधार के लिये वर्तमान में देश में 18 केंद्रीय पशु धन संगठन और संबद्ध संस्थान कार्यरत हैं। साथ ही पशु धन क्षेत्र की अपेक्षित आधारभूत संरचना के विकास के लिये भी विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ और केंद्र प्रायोजित योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् (Veterinary Council of India) की स्थापना भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम, 1984 के अंतर्गत की गई थी। यह परिषद् पशु चिकित्सा की विधियों या पेशों (Practices) एवं पशु चिकित्सकों के नियमन के लिये ज़िम्मेदार है। इस परिषद् का महत्त्वपूर्ण कार्य पूरे देश में सभी पशु चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में पशु चिकित्सा शिक्षा विनियमों के न्यूनतम मानक तय करके शिक्षा के मानदंड को एकसमान बनाए रखना है।

स्मरणीय तथ्य

- 2015–16 में कृषि क्षेत्र का कुल उत्पादन 252.22 मिलियन टन (तृतीय अग्रिम आँकड़ों के अनुसार) रहने का अनुमान किया गया है।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- 20 मिलियन टन अतिरिक्त धान, गेहूँ और दलहन उत्पादन के लक्ष्य के साथ 2007–08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान (NFSM) की शुरुआत की गई।
- वर्तमान में NFSM देश के 29 राज्यों के 638 ज़िलों में लागू किया गया है।
- NFSM के एक हिस्से के रूप में वर्ष 2011–12 में 'उत्प्रेरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम' (Accelerated Pulses Production Programme – A3P) शुरू किया गया।
- फसल ऋण एक अल्पावधि ऋण है।
- फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिये जो उपाय भिन्न-भिन्न समय पर किये जाते हैं, उन्हें ही मौसमी कृषि संचालन कहते हैं।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना पूरे देश में लागू है और इसे वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- केसीसी की वैधता 5 साल होती है।
- वर्तमान कीमत नीति के संबंध में 25 कृषि जिसों पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) सरकार को न्यूनतम मूल्य निर्धारण संबंधी सलाह देता है।
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त समाज के रूप में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया।
- वर्षा पोषित कृषि क्षेत्र में निर्जल, अर्द्ध-निर्जल और शुष्क नम मंडलों के तहत आने वाली कुल भूमि का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा शामिल है।
- प्रधानमंत्री द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम (SHCS) योजना की शुरुआत राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले के सूरतगढ़ से की गई थी।
- किसानों के दरवाजे पर मिट्टी परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मृदापरीक्षण नामक किट विकसित की गई है।
- प्राकृतिक आपदा, कीट, बीमारी के कारण होने वाले नुकसान से बचाव हेतु 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' की शुरुआत की गई है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और इस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो किसान को दावा राशि प्राप्त होगी।
- सुदूर स्थित किसानों तक आधुनिक प्रौद्योगिकी व बीज की पहुँच को सुनिश्चित करने के साथ-साथ किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु 14 राज्यों के 100 ज़िलों में कृषि डाक प्रसार सेवा की शुरुआत की गई है।
- देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 35 प्रतिशत में सिंचाई सुविधा है।
- भारत विश्व में मछलियों का दूसरा सबसे बड़ा तथा मीठे पानी की मछलियों का भी दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत किसानों के लिये 'गोपाल रत्न' और प्रजनक समाज के लिये 'कामधेनु' नामक पुरस्कार की स्थापना की गई है।
- वर्ष 1965 में स्थापित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) को एनडीडीबी अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया है।
- एनडीडीबी सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में विकास की गति बढ़ाने वाली प्रथम संस्था है।

अभ्यास-प्रश्न : प्रारंभिक परीक्षा

1. 'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिये:
   1. यह योजना ₹25 हज़ार करोड़ की लागत से शुरू की गई।
   2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्यों को कृषि से संबंधित क्षेत्रों के लिये पर्याप्त धनराशि आवंटित करने के लिये प्रोत्साहित करना था।
   3. यह योजना कृषि आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन करने में अब तक असफल रही है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) केवल 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   1. यह अभियान धान, गेहूँ और दलहनों के उत्पादन में 30 मिलियन टन के अतिरिक्त वृद्धि के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया।
   2. इस अभियान का प्रधान उद्देश्य बढ़ती हुई खाद्यान्न उपभोग आवश्यकता को पूरा करना था।
   3. वर्तमान में यह देश के 29 राज्यों के 638 ज़िलों में लागू किया जा रहा है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2
   (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   1. फसल ऋण एक दीर्घावधि ऋण है।
   2. फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिये जो उपाय भिन्न-भिन्न समय पर किये जाते हैं, उन्हें ही मौसमी कृषि संचालन कहते हैं।

   कूट:

   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

5

संस्कृति एवं पर्यटन
(Culture and Tourism)

संस्कृति

किसी भी राष्ट्र के लिये उसकी संस्कृति एवं विरासत उसका एक अमूल्य एवं अभिन्न हिस्सा होता है। प्रत्येक देश अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण एवं संरक्षण करने का प्रयास करता है। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, अपने दो संबद्ध तथा छह अधीनस्थ कार्यालयों और 33 स्वायत्त संगठनों के माध्यम से विरासत एवं संस्कृति के संरक्षण, विकास एवं संवर्द्धन के लिये कार्यशील है। इस मंत्रालय का कार्यात्मक दायरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने से लेकर ज़मीनी स्तर पर सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता पैदा करने तक है।

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिये कार्यरत विभिन्न संस्थान

ललित कला अकादमी

5 अगस्त, 1954 को भारतीय कला के प्रति देश-विदेश में जागरूकता बढ़ाने और प्रचार-प्रसार के लिये सरकार ने नई दिल्ली में ललित कला अकादमी (National Academy of Arts) की स्थापना की।

अकादमी के लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली और भुवनेश्वर में क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिन्हें राष्ट्रीय कला केंद्र कहा जाता है। इन केंद्रों में पेंटिंग, मूर्तिकला, प्रिंट निर्माण और चीनी-मिट्टी की कलाओं के विकास के लिये कार्यशाला सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

प्रमुख कार्य

- प्रतिवर्ष समसामयिक भारतीय कलाओं की प्रदर्शनियाँ आयोजित करना।
- नई दिल्ली में प्रत्येक तीन वर्षों के अंतराल पर समकालीन कला पर त्रैवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी (त्रिनाले इंडिया) का आयोजन।
- विदेशों में भारतीय कला के प्रचार-प्रसार के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना तथा अन्य देशों की कलाकृतियों की प्रदर्शनियाँ आयोजित करना।
- भारत सरकार के सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों और समझौतों के तहत कलाकारों को एक-दूसरे के यहाँ भेजने की व्यवस्था करना।
- विभिन्न कला संस्थाओं/संगठनों को मान्यता देना तथा राज्यों की अकादमियों को आर्थिक सहायता देना।
- प्रतिभावान युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति देना।
- पुस्तकें एवं कला पत्रिकाएँ प्रकाशित करवाना इत्यादि शामिल हैं।

संगीत नाटक अकादमी

31 मई, 1952 को संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी के रूप में तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हस्ताक्षर से पारित प्रस्ताव द्वारा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। 28 जनवरी, 1953 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया।

अकादमी अपनी स्थापना के बाद से ही भारत में संगीत, नाटक तथा नृत्य के उन्नयन के लिये एकीकृत ढाँचा तैयार करने के लिये कार्यरत है।

यह देश के विभिन्न भागों और दूरदराज के क्षेत्रों में भी संगीत, नृत्य और रंगमंच के प्रशिक्षण और प्रोत्साहन में लगी संस्थाओं तथा विभिन्न संबंधित विषयों के शोधकर्ताओं, लेखकों और प्रकाशकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह सहायता परंपरागत और आधुनिक शैलियों तथा शहरी और ग्रामीण परिवेशों के लिये समान रूप से दी जाती है।

अकादमी प्रतिवर्ष जाने-माने कलाकारों और विद्वानों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करती है। साथ ही विभिन्न कला-विधाओं के महान कलाकारों को अकादमी का फेलो चुनकर भी सम्मानित किया जाता है। इसके अतिरिक्त 35 वर्ष तक के विशिष्ट प्रतिभावान युवाओं को वर्ष 2006 से अकादमी प्रतिवर्ष उस्ताद बिस्मिल्लाह खाँ युवा पुरस्कार से भी सम्मानित करती है।

संगीत नाटक अकादमी, मंचन कलाओं से संबंधित ऑडियो-वीडियो टेपो, फिल्मों, चित्रों इत्यादि का बड़ा अभिलेखागार भी है। अकादमी के संगीत वाद्ययंत्रों के संग्रहालय में 600 से भी अधिक वाद्ययंत्र रखे हुए हैं।

> ***राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2016***
>
> 17 से 24 दिसंबर, 2016 के बीच 'काशी हिंदू विश्वविद्यालय; वाराणसी में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव-2016 का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया।
>
> - इस महोत्सव में भारत के सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, अन्य अकादमी संस्थाएँ सम्मिलित हुईं।
> - राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में इस बार चित्रकला कार्यशाला, शास्त्रीय व अर्द्धशास्त्रीय संगीत, लोककलाएँ (बहुरुपिये, मुखौटे, ढोल, नगाड़े, तमाशे इत्यादि), वाद्ययंत्र आदि का प्रदर्शन किया गया।
> - कार्यक्रम में इस बार काशी पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी, एनीमेशन कार्यशाला, ख्यातिप्राप्त मल्लखम्भ कलाकारों का प्रदर्शन, पंजाब के बाज़ीगर, महाराष्ट्र के ढोल-ताशे इत्यादि आकर्षण का केंद्र रहे।

अकादमी मंचन कलाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों एवं परियोजनाओं की स्थापना एवं देखरेख भी करती है, जैसे-जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, इंफाल; राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, दिल्ली; केरल का कुट्टियम थिएटर इत्यादि शामिल हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम

वर्ष 1966 में भारत पर्यटन विकास निगम (India Tourism Development Corporation – ITDC), पर्यटन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। इसका मुख्य कार्य देश में पर्यटन की आधारिक संरचना का विकास करना है।

निगम पर्यटन से संबद्ध सुविधाएँ यथा–परिवहन, शुल्क मुक्त खरीदारी, मनोरंजन, पर्यटन, प्रचार साहित्य की प्रस्तुति, परामर्शी सेवाएँ आदि भी उपलब्ध करवाता है। इस निगम ने पिछड़े क्षेत्रों में पर्यटन की आधारिक संरचना के विकास में प्रतिबद्ध और महत्त्वपूर्ण सामाजिक भूमिका निभाई है और इस प्रकार यह क्षेत्रीय संतुलन के संवर्द्धन के लिये प्रयासरत है।

मुख्य उद्देश्य

- होटलों का निर्माण, वर्तमान होटलों का अधिग्रहण और प्रबंधन तथा होटलों, तट विहारों, ट्रैवलर्स लॉज रेस्टोरेंटों का विपणन
- परिवहन, मनोरंजन, खरीदारी और सम्मेलन सेवाएँ प्रदान करना
- पर्यटक प्रचार सामग्री की प्रस्तुति एवं वितरण
- भारत व विदेश में परामर्शी प्रबंध सेवाएँ प्रदान करना
- संपूर्ण मनी चेंजर्स (एफएफएमसी), प्रतिबंधित मनी चेंजर्स आदि के रूप में व्यवसाय करना
- पर्यटन विकास और इंजीनियरिंग उद्योग, जिसमें परामर्शी सेवाएँ देना व परियोजना कार्यान्वयन शामिल हैं
- आवश्यकताओं के लिये नवीन, विश्वसनीय सेवाएँ देना तथा पैसे का पूरा मूल्य प्रदान करना।

भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान

वर्ष 1983 में आईआईटीटीएम की स्थापना ग्वालियर में हुई थी। इस स्वायत्तशासी संस्था का उद्देश्य पर्यटन शिक्षा प्रदान करना तथा पर्यटन उद्योग में प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी को पूरी करना है। इस संस्थान के अन्य क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर, नोएडा, पणजी और नेल्लोर में स्थित हैं।

प्रमुख पर्यटन उद्योग

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग में प्रमुख उद्योगों की पहचान, विविधीकरण, विकास और प्रचार के लिये विभिन्न प्रयास शुरू किये हैं। इन प्रयासों का प्रमुख लक्ष्य गतिशील प्रक्रिया में पर्यटन उद्योगों की पहचान करना है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन और कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कई समितियों का गठन किया है।

पर्यटन मंत्रालय ने विकास और प्रचार के लिये निम्नलिखित पर्यटन क्षेत्रों की पहचान की है–

- क्रूज़
- गोल्फ
- फिल्म पर्यटन
- कल्याण
- पारिस्थितिकी पर्यटन
- चिकित्सा
- प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ
- साहसिक
- पोलो
- स्थायी पर्यटन

पर्यटन संबंधित कुछ विशेष शब्दावलियाँ

टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल

भारत में अधिक-से-अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की पहल के रूप में पर्यटन मंत्रालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने यह स्कीम 1 जनवरी, 2010 से पायलट परियोजना के रूप में शुरू की है। प्रारंभ में यह सुविधा सिर्फ पाँच देशों– फिनलैंड, जापान, लक्ज़मबर्ग, न्यूज़ीलैंड और सिंगापुर के पर्यटकों के लिये थी। परंतु जनवरी 2011 से इसे छह और देशों– कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस और म्याँमार के लिये भी बढ़ा दिया गया है।

विरासत होटल

महलों, हवेलियों, किलों और 1950 से पहले बने आवासों में चल रहे होटलों को कवर करने के लिये विरासत होटलों की एक विशेष श्रेणी की शुरुआत की गई है। चूँकि पारंपरिक निर्माण बीते दिनों के परिवेश और जीवन को प्रतिबिंबित करता है, अतः इस तरह की संपत्ति को स्वीकृति क्षेत्र में लाने से पर्यटन के लिये विशेष आकर्षण के साथ ही उन्हें खराब होने और दुरुपयोग के चलते नष्ट न होने देने का उद्देश्य भी पूरा होता है। ऐसे होटलों को तीन श्रेणियों में बाँटा जाता है– विरासत बेसिक, विरासत क्लासिक तथा विरासत ग्रांड।

अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम

इस स्कीम के तहत विदेशी तथा घरेलू पर्यटकों को भारतीय परिवार के साथ स्वच्छ तथा वहन करने योग्य स्थान पर रहने, आतिथ्य तथा भारतीय खाने का स्वाद लेने का अवसर प्राप्त होता है।

चिकित्सा पर्यटन

चिकित्सा पर्यटन (जिसे चिकित्सा यात्रा या वैश्विक स्वास्थ्य लाभ भी कहा जाता है) शब्द का प्रयोग स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार यात्रा करने के लिये किया जाता है। पर्यटकों द्वारा मांग की जाने वाली सेवाओं में वैकल्पिक प्रक्रिया के साथ ही जटिल विशेष सर्जरी जैसे– संयुक्त प्रतिस्थापन (घुटने/हिप), हृदय शल्य चिकित्सा, दंत शल्य चिकित्सा और कॉस्मेटिक सर्जरी शामिल हैं। भारत में मनोरोग, वैकल्पिक उपचार और स्वास्थ्य लाभ की देखभाल सहित हर प्रकार की स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है।

6

मूल आर्थिक आँकड़े
(Basic Economic Data)

15 अक्तूबर, 1999 को सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के विलय के बाद एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का गठन किया गया। इस मंत्रालय की दो शाखाएँ हैं, पहली सांख्यिकी से तथा दूसरी कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जुड़ी है। इस तरह सांख्यिकी विभाग (National Statistical Office–NSO) के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistical Office–CSO), कंप्यूटर सेंटर तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office–NSO) आते हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित तीन प्रभाग आते हैं- 1. बीस सूत्री कार्यक्रम, 2. आधारभूत संरचना प्रबोधन और परियोजना प्रबोधन, 3. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इन दो शाखाओं के अतिरिक्त भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग तथा भारतीय सांख्यिकी संस्थान का भी गठन किया गया है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय देश में जारी सांख्यिकी के विस्तार और गुणवत्ता के पहलुओं को पर्याप्त महत्त्व देता है। जारी की गई सांख्यिकी प्रशासनिक स्रोतों, सर्वेक्षण और केंद्र तथा राज्य सरकारों और गैर सरकारी स्रोतों द्वारा आयोजित गणना तथा अध्ययनों पर आधारित होती है। मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वेक्षण वैज्ञानिक नमूना पद्धति पर आधारित होते हैं। मंत्रालय द्वारा जारी सांख्यिकी की गुणवत्ता पर बल देते हुए राष्ट्रीय लेखों के समेकन से संबंधित रीति विधानात्मक मुद्दों की जाँच राष्ट्रीय लेखा संबंधी सलाहकार समिति, औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी और मूल्य सूचकांकों संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा की जाती है।

भारत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund–IMF) के विशेष आँकड़ा प्रसार मानक (Special Data Dissemination Standard–SDDS) का एक अभिदाता है और वर्तमान में मानकों को पूरा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रसार मानक बुलेटिन बोर्ड (Dissemination Standards Bulletin Board–DSBB) पर भी किया जाता है। मंत्रालय एसडीडीएस के वास्तविक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल डाटासेटों को प्रेस नोट और अपनी वेबसाइट के माध्यम से जारी करता है।

एनएसओ को निम्नलिखित ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं-

- एनएसओ देश में सांख्यिकीय प्रणाली के योजनाबद्ध विकास के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। सांख्यिकीय क्षेत्र में वैसे मानदंडों और मानकों का निर्धारण और अनुरक्षण करता है जिसमें अवधारणाओं और परिभाषाओं, आँकड़ा एकत्रीकरण के रीतिविधान, सम्यक् विधायन एवं परिणामों का प्रचार-प्रसार शामिल है।
- भारत सरकार में मंत्रालयों/विभागों और राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो (SSB) के संबंध में सांख्यिकीय कार्य का समन्वय करता है। सांख्यिकीय रीतिविधान और आँकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषणों पर भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को सलाह देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय प्रभाग, एशिया तथा प्रशांत के लिये आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, एशिया तथा प्रशांत के लिये सांख्यिकीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आदि से सम्पर्क बनाए रखता है।
- 'त्वरित अनुमानों' के रूप में प्रत्येक माह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित तथा जारी करता है तथा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का आयोजन करता है।
- रोज़गार, उपभोक्ता व्यय, आवास स्थिति तथा पर्यावरण, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य पोषाहार, परिवार कल्याण आदि जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न जनसंख्या समूहों के लाभ के लिये विशिष्ट समस्याओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये आवश्यक आँकड़ा आधार तैयार करने हेतु बड़े पैमाने पर अखिल भारतीय नमूना सर्वेक्षणों का आयोजन करता है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध की ज़िम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं-

- बीस सूत्री कार्यक्रम (Twenty Point Programme – TPP) पर निगरानी रखना;
- देश के प्रमुख आधारभूत संरचना क्षेत्रों अर्थात् विद्युत, कोयला, इस्पात रेलवे, दूरसंचार, बंदरगाह, उर्वरक, सीमेंट, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, सड़कें तथा नागरिक उड्डयन के कार्यों के निष्पादन पर निगरानी रखना।
- ₹ 20 करोड़ तथा इससे अधिक की लागत की सभी केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं पर निगरानी रखना;
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग

- 1 जून, 2005 को भारत सरकार द्वारा रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission–NSC) का गठन किया गया।
- इस आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष के साथ ही 4 अन्य सदस्य होते हैं, जो सांख्यिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। इसके अध्यक्ष तथा सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा त्यागपत्र दे सकते हैं।

- 1993-94 में योजना प्रारंभ होने के समय प्रति सांसद ₹ 5 लाख की राशि जारी की गई थी जो 1994-95 में बढ़ कर प्रति सांसद ₹ 1 करोड़ हो गई और 1998-99 में ₹ 2 करोड़ हो गई। 2011-12 में यह राशि बढ़ा कर ₹5 करोड़ कर दी गई। भारत सरकार एमपीएलएडीएस राशि ₹2.5 करोड़ की दो किस्तों में सीधे तौर पर ज़िला प्रशासन को राज्य सरकार के प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय नियमों के परिपालन के साथ सांसद की सिफारिश पर पात्र कार्यों के लिये जारी करती है।
- योजना के तहत, जारी राशि समाप्त नहीं होती यानी किसी विशेष वर्ष में जारी नहीं की गई राशि पात्रता या शर्तों के अनुसार अगले वर्षों में जारी करने के लिये अग्रसारित की जाएगी।
- योजना पात्रता, मंजूरी, वित्तपोषण, क्रियान्वयन एजेंसी का चयन प्राथमिकता तथा संपूर्ण क्रियान्वयन और निगरानी का काम ज़िला अधिकारी द्वारा किया जाता है।
- लोक सभा सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यों की सिफारिश करेंगे। राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य चुने गए राज्य के किसी भी स्थान के लिये कार्यों की सिफारिश करेंगे। लोक सभा और राज्य सभा के मनोनीत सदस्य देश के किसी भी भाग में कार्यों की सिफारिश करेंगे।
- योजना के प्रारंभ से ही पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सड़कों जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं वाली परिसंपत्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।
- सांसद एक वित्त वर्ष में पंजीकृत सोसाइटियों/न्यासों तथा सहकारी सोसाइटियों के लिये सामुदायिक आधारभूत संरचना और जनोपयोगी कार्यों के लिये अधिकतम ₹ 1 करोड़ की सिफारिश कर सकते हैं। न्यास, सोसाइटी अपने जीवन काल में केवल ₹ 50 लाख प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन अनाथों/वृद्धजनों, विधवाओं, कुष्ठ रोगी, नेत्रहीनों, मंदबुद्धि बच्चों या मूक-बधिर बच्चों के लिये धर्मादा आवास गृह चलाने वाले न्यास/सोसाइटी तथा सहकारी समितियाँ अपने जीवन काल में अधिकतम ₹ 1 करोड़ प्राप्त कर सकती हैं।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आबादी वाले इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के लिये एमपीएलएडीएस राशि का क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। यदि लोक सभा सदस्य के क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की पर्याप्त आबादी नहीं है तो सांसद अपने राज्य में अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर जनजातीय सामुदायिक परिसंपत्ति सृजन की सिफारिश कर सकते हैं। यदि किसी राज्य में जनजातीय आबादी वाले क्षेत्र नही हैं तो ऐसे में अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्र के लिये राशि का उपयोग किया जा सकता है।
- जनजातीय लोगों की बेहतरी में न्यास/सोसाइटी को प्रोत्साहित करने के लिये ₹ 50 लाख की सीमा बढ़ा कर ₹ 75 लाख कर दी गई है और जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के लाभ के लिये सार्वजनिक उपयोग भवन के लिये ₹ 25 लाख की अतिरिक्त राशि का उपयोग किया जाना चाहिये।
- राज्य में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों के लिये गैर-प्रभावित क्षेत्र से निर्वाचित लोक सभा सदस्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिवर्ष ₹ 10 लाख तक के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। देश के किसी भी भाग में गंभीर आपदा की स्थिति में एक सांसद प्रभावित ज़िले में अधिकतम ₹ 50 लाख तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है।
- यदि संसद के निर्वाचित सदस्य को लगता है कि अपने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से बाहर या राज्य में अपने निर्वाचन क्षेत्र से बाहर एमपीएलएडीएस राशि के योगदान की आवश्यकता है तो वह दिशा-निर्देशों के तहत एक वित्त वर्ष में अधिकतम ₹ 10 लाख तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है।
- सांसद शारीरिक रूप में निशक्त लोगों के लिये ट्राई-साइकिल (मोटरीकृत ट्राई साइकिल सहित), बैटरी चालित मोटरीकृत व्हीलचेयर तथा कृत्रिम हाथ-पाँव की खरीदारी के लिये प्रतिवर्ष अधिकतम ₹10 लाख खर्च कर सकता है।
- स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिये कुछ वित्तीय प्रतिबंधों के साथ पुस्तकें खरीदने की अनुमति है।
- सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के लिये कंप्यूटर तथा विजुअल डिस्प्ले यूनिट (वीडीयू) खरीदने की अनुमति है।
- लोक सभा के गठन और राज्य सभा के निर्वाचन के समय सांसदों की राशि की वार्षिक प्राप्ति की पहली किस्त ज़िला अधिकारी से किसी दस्तावेज के बिना स्वतः जारी हो जाती है।
- अधिक वित्तीय उत्तरदायित्व की दृष्टि से दूसरी किस्त जारी होने के लिये पूर्ववर्ती वित्त वर्ष का उपयोगिता प्रमाण तथा लेखा प्रमाण पूर्व शर्त है।
- भारत सरकार द्वारा जारी राशि ज़िला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराई जाती है।
- एमपीएलएडीएस की 2 प्रतिशत राशि, जो सांसद की वार्षिक प्राप्ति का हिस्सा होती है, ज़िला/राज्य प्राधिकारों के प्रशासनिक खर्चों के लिये दी जाती है।
- एमपीएलएडीएस योजना को लागू करने के लिये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ज़िला प्रशासन तथा लागू करने वाली एजेंसियों की भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित है।

7 वाणिज्य (Commerce)

वाणिज्य विभाग की मुख्य भूमिका निर्यात को बढ़ावा देने वाले वातावरण को बनाना और बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना है। इस विभाग के उद्देश्यों में उचित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यावसायिक नीति तैयार करके, विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का विनियमन, विकास और संवर्द्धन करना है। वाणिज्य विभाग निर्यात और व्यापार के संवर्द्धन हेतु नीति एवं रणनीति का आधारभूत ढाँचा प्रदान करने वाली विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) का कार्यान्वयन और निगरानी करता है।

वाणिज्य विभाग का अधिदेश

- वाणिज्य विभाग का अधिदेश समुचित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्यिक नीतियों के निरूपण तथा उनके विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन के ज़रिये भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य का विनियमन, विकास तथा संवर्द्धन करना है।
- विभाग की मूल भूमिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की त्वरित संवृद्धि के लिये एक समर्थकारी माहौल तथा अवसंरचना के सृजन को आसान बनाने की है।

वाणिज्य विभाग का विज़न तथा मिशन

- वर्ष 2020 तक भारत को वैश्विक व्यापार का एक महत्त्वपूर्ण भागीदार बनाना।
- बहुपक्षीय, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार करार संबंधी वार्ताएँ करके हमारे निर्यातों के लिये बाज़ार पहुँच प्राप्त करना।
- योजनाओं, नीतियों तथा कार्यनीतियों के माध्यम से निर्यातों का संवर्द्धन करना और उन्हें विविधीकृत करना तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों में अग्रणी भूमिका निभाना।

वाणिज्य विभाग के प्रकार्य

- वाणिज्य विभाग विदेश व्यापार नीति, जिसमें निर्यात एवं व्यापार के संवर्द्धन के लिये अनुपालन की जाने वाली नीति एवं कार्यनीति के आधारभूत ढाँचे का प्रावधान होता है, का निरूपण, क्रियान्वयन तथा अनुवीक्षण करता है।
- घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय, दोनों अर्थव्यवस्थाओं के उभरते हुए आर्थिक परिदृश्यों को ध्यान में रखने के लिये आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करने हेतु व्यापार नीति की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, विभाग को बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्द्धन एवं व्यापार सुविधाकरण तथा निर्यातोन्मुखी उद्योगों एवं वस्तुओं के विनियमन एवं विकास संबंधी दायित्व भी सौंपा गया है।
- विभाग के प्रमुख अधिकारी सचिव हैं, जिनकी सहायता एक अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, चार अपर सचिवों, बारह संयुक्त सचिवों एवं संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

विभाग के प्रमुख प्रभाग

- प्रशासन तथा सामान्य प्रभाग
- वित्त प्रभाग
- आर्थिक प्रभाग
- व्यापार नीति प्रभाग
- विदेश व्यापार क्षेत्रक प्रभाग
- राज्य व्यापार एवं अवसंरचना प्रभाग
- पूर्ति प्रभाग
- बागान प्रभाग

2015-16 के दौरान निर्यात की शीर्ष व्यापारिक सामग्रियाँ

- रत्न एवं आभूषण;
- पेट्रोलियम (अपरिष्कृत एवं उत्पाद);
- वाहन एवं संबंधित उत्पाद (रेलवे व ट्रैमवे के अलावा);
- परमाणु रियेक्टर, बॉयलर तथा अन्य संबंधित उत्पाद;
- दवा उत्पाद।

2015-16 के दौरान आयात की शीर्ष व्यापारिक सामग्रियाँ

- पेट्रोलियम उत्पाद (अपरिष्कृत एवं उत्पाद);
- रत्न और आभूषण
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ एवं मशीनरी।
- परमाणु रियेक्टर, बॉयलर तथा अन्य संबंधित उत्पाद;
- जैविक रसायन;

निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र

- भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्द्धन क्षेत्र (Export Processing Zones – EPZ) में निर्यात प्रसंस्करण की महत्ता को स्वीकार किया और 1965 में कांडला (गुजरात) में पहला ईपीजेड स्थापित किया गया।

- रक्षा एवं हाईटेक उत्पादों के निर्यात को नई गति प्रदान करने के भी उपाय किये गए हैं।
- हथकरघा उत्पादों एवं किताबों, चमड़े के जूते-चप्पल और खिलौनों के ई-कॉमर्स निर्यात को भी एमईआईएस का लाभ (₹ 25 हज़ार तक के मूल्य के लिये) दिया जाएगा।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के लिये एसईज़ेड में स्थित इकाइयों को दोनों पुरस्कार योजनाओं (एमईआईएस और एसईआईएस) का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।
- नई विदेश व्यापार नीति में 'व्यापार को सुविधाजनक बनाने' एवं 'कारोबार करने में और ज़्यादा आसानी सुनिश्चित करने' पर भी विशेष ज़ोर दिया गया है।
- इस नई नीति का एक प्रमुख उद्देश्य '24 × 7' कागज़रहित कामकाज की तरफ कदम बढ़ाना है।
- ऐसे निर्माता जो दर्जाधारक भी हैं, वे अपने निर्मित उत्पादों को इस बात के लिये चरणबद्ध ढंग से स्वयं प्रमाणित कर सकेंगे कि वे मूल रूप से भारत के ही हैं।
- इससे द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में वरीयता पाने में मदद मिलेगी। इस स्वीकृत निर्यात प्रणाली से इन निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अपनी पहुँच बनाने में आसानी होगी।
- शत-प्रतिशत ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपीआई/बीटीपी योजनाओं के तहत निर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भी अनेक कदम उठाए गए हैं। इन इकाइयों के लिये 'त्वरित मंजूरी सुविधा' भी इन कदमों में शामिल है। इसके अलावा, ये इकाइयाँ अपनी आधारभूत संरचना सुविधाओं को साझा कर सकेंगी।
- निर्माण क्षेत्र एवं रोज़गार सृजन में छोटे एवं मझोले उपक्रमों की विशेष अहमियत को ध्यान में रखते हुए 'एमएसएमई क्लस्टर' की पहचान की गई है, जिससे निर्यात को नई गति प्रदान की जा सके।
- एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिये ब्रांडिंग कैंपेन शुरू होगा।
- नए उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- श्रम आधारित उद्योगों से निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।
- मूल्यवर्द्धित कृषि उत्पाद, कमोडिटी, हाईटेक प्रोडक्ट, इको-फ्रेंडली और ग्रीन प्रोडक्ट (पर्यावरण अनुकूल उत्पाद) पर ज़ोर देने के साथ 'ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट' के निर्यात पर ज़ोर होगा।
- राज्यों से निर्यात बढ़ाने के लिये केंद्र के साथ तालमेल बनाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
- ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कम करने के लिये 21 विभागों को नामित किया गया है, जो निर्यात संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाएंगे।
- नई नीति में बोर्ड ऑफ ट्रेड को बरकरार रखा गया है।

इस नीति के साथ एक एफटीपी (विदेश व्यापार नीति) वक्तव्य भी जारी किया गया है, जिसमें भारत की विदेश व्यापार नीति को रेखांकित करने वाले विज़न, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को विस्तार से बताया गया है। इसमें आने वाले वर्षों के दौरान भारत के वैश्विक करार समझौते की रूपरेखा भी पेश की गई है। सरकार का लक्ष्य 2020 तक देश के निर्यात को 900 अरब डॉलर तक पहुँचाना है। इससे विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मौजूदा 2 प्रतिशत से बढ़कर 3.5 प्रतिशत तक पहुँच जाएगी।

मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित शब्दावली

- **मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement – FTA)**– भारत एवं समझौते से संबंधित सहयोगी देशों के बीच ठोस द्विपक्षीय व्यापार वाली मदों पर शुल्क समाप्त करना।
- **तरजीही व्यापार समझौता (Preferential Trade Agreement – PTA)**– सीमित संख्या में लाइनों पर शुल्क उदारीकरण- जैसे भारत-मर्कोसुर पीटीए।
- **व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (Comprehensive Economic Cooperation Agreement – CECA) अथवा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (Comprehensive Economic Partnership Agreement – CEPA) अथवा व्यापक आधार वाला व्यापार और निवेश समझौता (Bilateral Trade and Investment Agreement–BTIA)**– इन तीनों का इस्तेमाल समझौतों का विवरण देने के लिये किया जाता है, जिसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, पारस्परिक पहचान, बौद्धिक संपदा आदि के बारे में समझौते का संपूर्ण पैकेज है, जैसे- भारत, कोरिया, सीईपीए आदि।

8

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी
(Communications and Information Technology)

देश में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के समस्त मामले इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संचार मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत तीन विभाग हैं-

- डाक विभाग
- दूरसंचार विभाग
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

डाक विभाग

भारत में 18वीं सदी के उत्तरार्द्ध में आधुनिक डाक पद्धति की शुरुआत हुई थी। 1766 ई. में लॉर्ड क्लाइव द्वारा स्थापित डाक प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स द्वारा विकसित किया गया। उसने 1774 ई. में कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की। 1837 के कानून ने तीनों प्रेसिडेंसियों में मौजूद डाकघरों को एक संगठन एवं अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया और 1854 के पोस्ट ऑफिस एक्ट द्वारा इसे वर्तमान स्वरूप दिया गया। वर्तमान में भारत की डाक सेवाएँ भारतीय पोस्ट ऑफिस एक्ट, 1898 द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से डाकघर नेटवर्क न सिर्फ डाक सुविधाएँ उपलब्ध करा रहा है बल्कि धनांतरण, बैंकिंग एवं बीमा जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध करा रहा है।

भारत में डाक नेटवर्क

भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है; देश में कुल 1,54,939 डाकघर शामिल हैं। इनमें से 1,39,222 डाकघर (लगभग 90 प्रतिशत) ग्रामीण इलाकों में तथा 15,717 (लगभग 10 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। चूँकि स्वतंत्रता के समय देशभर में केवल 23,344 डाकघर ही थे जिनमें से 19,184 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे, अत: ग्रामीण क्षेत्रों में (लगभग सात गुना वृद्धि) डाकघरों का विस्तार उल्लेखनीय है। वर्तमान में एक डाकघर औसतन 21.22 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र और 8,054 लोगों के लिये सुविधा उपलब्ध कराता है। संसार में सबसे ऊँचाई पर स्थित डाकघर हिमाचल प्रदेश के हिक्किम (लाहौल-स्पीति ज़िले) में अवस्थित है।

डाक नेटवर्क में डाकघरों की तीन श्रेणियाँ शामिल होती हैं- प्रधान डाकघर, उप-डाकघर और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर। सभी श्रेणियाँ एक ही प्रकार की डाक सेवाएँ प्रदान करती हैं लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में खातों को शाखा डाकघरों से उप-डाकघरों में और फिर प्रधान डाकघरों में लगातार भेजा जाता है।

डाकघरों के अलावा, मूलभूत डाक सुविधाएँ फ्रेंचाइजी आउटलेट्स और पंचायत संचार सेवा केंद्रों के माध्यम से भी प्रदान की जाती हैं। फ्रेंचाइजी आउटलेट्स उन शहरी क्षेत्रों में खोले जाते हैं जहाँ नियमित डाकघर खोलना संभव नहीं है। इस योजना के तहत सिर्फ कुछ विशेष काउंटर सेवाएँ ही फ्रेंचाइज की जाती हैं, जबकि डाक के प्रेषण, वितरण और लघु बचत योजनाओं को फ्रेंचाइज नहीं किया जाता है।

पंचायत संचार सेवा केंद्र उन ग्राम पंचायत मुख्यालयों में खोले जाते हैं जहाँ डाकघर नहीं होते हैं। यह योजना ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त एजेंट के माध्यम से चलाई जाती है।

डाक नेटवर्क का उपयोग

डाकघरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जैसी सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

डाक नेटवर्क के प्रमुख उपयोग

- **मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना) के अंतर्गत मेहनताने का भुगतान:** 7 सितंबर, 2005 को महात्मा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (वर्तमान मनरेगा के रूप में) अधिसूचित हुआ। इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का सुनिश्चित रोज़गार मुहैया कराना था, जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये तैयार हों। इस उद्देश्य से यह कानून 2 फरवरी, 2006 से देश के 200 सर्वाधिक पिछड़े ज़िलों में लागू किया गया।

  राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून, 2005 के अंतर्गत काम करने वाले लोगों के पारिश्रमिक का भुगतान सीधे ही कामगारों के बैंक या डाकघरों में खोले गए वैयक्तिक या संयुक्त बचत खातों में किये जाने का प्रावधान है।

मनरेगा के तहत डाकघरों के माध्यम से मज़दूरी भुगतान

- डाकघरों के बचत बैंक खातों के माध्यम से भुगतान (शून्य शेष श्रमिक मज़दूरी खाता या जीरो बैलेंस अकाउंट)।
- खाता खोलने एवं पैसा निकालने के लिये लाभार्थियों से कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाना।
- निर्धारित समय-सीमा के भीतर मज़दूरी का भुगतान किया जाना।
- ज़िला मुख्यालय के प्रधान डाकघर में एक महीने की मज़दूरी अग्रिम जमा करने का प्रावधान शामिल किया गया है।

और पंजीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य पेशेवरों को प्रशिक्षण दिलाना और तकनीकों का मूल्यांकन करना है। सी-डैक के 'ई-संजीवनी' का प्रयोग पंचायत सार्वजनिक सूचना ढाँचा के रूप में किया जाता है।

'परम-ईशान'

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गुवाहाटी में एक नये सुपर कंप्यूटर 'परम-ईशान' का शुभारंभ किया गया है।

- 250 टेराफ्लॉप्स की शक्ति और 300 टेराबाइट्स की क्षमता से युक्त इस नये सुपर कंप्यूटर का प्रयोग विद्युत, रसायन विज्ञान, तरल गतिकी संबंधी अभिकलनात्मक संगणनाओं तथा अभियांत्रिकी संबंधित कार्यों में किया जाएगा।
- परम-ईशान मौसम, जलवायु आदि के अध्ययन में भी सक्षम है।

मेघराज

डीईआईटीवाई (DeitY) ने राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार क्लाउड (GI क्लाउड) कंप्यूटिंग का माहौल तैयार करने तथा क्लाउड टेक्नोलॉजी का लाभ प्राप्त करने हेतु 'मेघराज' नामक परियोजना शुरू की है। यह क्लाउड आधारित बुनियादी ढाँचा संसाधन के साधारण कोष के रूप में काम करेगा।

जीआई क्लाउड से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किये जा सकेंगे-

- आईसीटी बुनियादी ढाँचे का अधिकतम इस्तेमाल।
- ई-शासन एप्लीकेशनों का तेज़ी से विकास और उनका परिनियोजन।
- सफल एप्लीकेशनों की तेज़ी से नकल।
- ई-शासन एप्लीकेशन स्टोर में प्रमाणीकृत एप्लीकेशन रखेंगे।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान

मई 2006 में इस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, जिसके द्वारा देशभर में लोगों को सभी सरकारी सेवाएँ पारदर्शी और प्रभावी ढंग से स्थानीय तौर पर उपलब्ध कराई जा सकें।

ई-ज़िला

ई-ज़िला योजना की शुरुआत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत राज्य मिशन योजना के रूप में की गई थी। विभाग ने अभी तक पूरे देश में 515 ज़िलों में ई-ज़िला योजनाओं को प्रायोगिक तौर पर मंज़ूरी दी है। अभी तक 15 राज्यों में 40 ज़िलों के लिये ई-ज़िला प्रायोगिक योजनाएँ सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं।

राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क

मार्च 2010 में सरकार ने ₹5,900 करोड़ की लागत से नेशनल नॉलेज नेटवर्क यानी राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की स्थापना को मंज़ूरी दी, जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा अगले 10 वर्षों के लिये चलाया जा रहा है। इस नेटवर्क का उद्देश्य देश के सभी ज्ञान संस्थानों को तेज़ स्पीड वाले डेटा कम्यूनिकेशन नेटवर्क से जोड़ना है।

साइबर कानून

सूचना प्रौद्योगिकी कानून-2000 को इस उद्देश्य से लाया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ई-ट्रांजेक्शन को कानूनी मान्यता दी जा सके और कंप्यूटर आधारित अपराधों को रोका जा सके। इस कानून को वर्ष 2008 में संशोधित किया गया, जिससे इसे अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिली है।

डिजिटल इंडिया

- 7 अगस्त, 2014 को भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया। इसी के तहत 1 जुलाई, 2015 को डिजिटल इंडिया सप्ताह के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया।
- 'डिजिटल इंडिया' भारत सरकार की एक नई पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में तब्दील करना है।
- 'डिजिटल इंडिया' एक व्यापक कार्यक्रम है जो सरकारी मंत्रालयों और विभागों को कवर करता है। यह विभिन्न प्रकार के विचारों को एकल एवं व्यापक विज़न में समाहित करता है। इस कार्यक्रम का समन्वय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Electronics and Information Technology – DeitY) द्वारा किया जाता है।
- 'डिजिटल इंडिया' का विज़न तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित है, जो निम्नलिखित हैं-
  - प्रत्येक नागरिक के लिये उपयोगिता के तौर पर डिजिटल ढाँचा।
  - मांग पर संचालन एवं सेवाएँ।
  - नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।

डिजिटलीकरण के लिये बजट में प्रावधान

- यूपीआई, यूएसएसडी, आधार भुगतान, आईएमपीएस और डेबिट कार्डों के ज़रिये ₹2500 करोड़ डिजिटल लेनदेन के लक्ष्य के साथ एक मिशन की स्थापना की जाएगी।
- 'भीम' एप के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये दो नई योजनाएँ- व्यक्तियों के लिये 'रेफरल बोनस स्कीम' और व्यापारियों के लिये 'कैशबैक स्कीम' शुरू की जाएंगी।
- डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिये ₹ 2 करोड़ तक का कारोबार करने वाले छोटे और मध्यम स्तर के कर दाताओं की कुल बिक्री का मौजूदा कर 8% तक घटा दिया जाएगा।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और नियमित करने के लिये विनियमन और पर्यवेक्षण के लिये मौजूदा बोर्ड को प्रतिस्थापित करके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) में भुगतान विनियामक बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया है।
- डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिये टेलीमेडिसिन, शिक्षा व कौशल उपलब्ध कराने के लिये 'डिजि विलेज' पहल की जाएगी।

डिजिटल इंडिया के दूरदर्शिता वाले क्षेत्र

प्रत्येक नागरिक के लिये उपयोगिता के रूप में बुनियादी ढाँचा

- प्रमुख जनोपयोगी सुविधा के रूप में हाईस्पीड इंटरनेट सभी ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराया जाएगा।

9 रक्षा (Defence)

भारतीय भू-भाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32 लाख 87 हज़ार वर्ग किमी. का है। भारत की अपनी अवस्थिति के कारण यह एशिया महाद्वीप में एक विशिष्ट रणनीतिक स्थान रखता है। भारत की लगभग 15,200 किमी. की स्थलीय सीमा एवं लगभग 7,500 किमी. लंबी समुद्री सीमा के कारण एशिया के 11 देश इसके (महादेशीय और समुद्री) पड़ोसी हैं। हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित होने के कारण मध्य एशिया एवं हिंद महासागरीय क्षेत्र में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। भारत का आकार, इसकी सामरिक अवस्थिति, व्यापारिक संबंध और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, इसके सुरक्षा वातावरण को सीधे तौर पर पड़ोसी देशों और पश्चिमी एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया और हिंद महासागर के क्षेत्रों से जोड़ते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देशों और दूरस्थ पड़ोसी देशों में आतंकवादी गतिविधियों की समस्या, नशीले पदार्थों की तस्करी की समस्या, छोटे हथियारों के विस्तार, जनसंहारक हथियारों और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ आदि कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण कारक हैं, जो भारत के सुरक्षा वातावरण को प्रभावित करते हैं।

क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण

भारत अपने पड़ोसियों के साथ आपसी समझ, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से सक्रिय और सहयोगी संबंधों पर ज़ोर देता रहा है।

पाकिस्तान

भारत, पाकिस्तान के साथ शांति, मैत्री और सहयोग आधारित संबंधों के प्रति इच्छुक है। इसके साथ ही वह आतंकवाद और हिंसा से मुक्त वातावरण में द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से पाकिस्तान के साथ सभी शेष मुद्दों के हल के लिये प्रतिबद्ध है।

अफगानिस्तान

वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की वापसी के पश्चात् अफगानिस्तान की स्थिति भारत के लिये महत्त्वपूर्ण हो गई है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी का समझौता इस बात का संकेत है कि दोनों देश रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों सहित, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के लिये आपसी क्षमता को बढ़ाने के इच्छुक हैं।

चीन

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भारत की सुरक्षा के लिये एक बड़ा मुद्दा है। इसके बावजूद भारत और चीन के बीच सामरिक और सहयोग आधारित साझेदारी है। भारत की नीति चीन के साथ पारस्परिक विश्वास तथा एक-दूसरे के हितों और चिंताओं के सिद्धांतों पर काम करने की है। भारत, चीन से पड़ोस में तात्कालिक और विस्तारवादी नीति के संदर्भ में उभरती सैन्य शक्ति से सचेत एवं सावधान है।

नेपाल

भारत और नेपाल के बीच दोस्ती और सहयोग का एक अनूठा रिश्ता है। दोनों देशों के बीच खुली सीमा रेखाओं पर लोग एक-दूसरे से कभी भी आकर संपर्क कर सकते हैं। दोनों देशों से जुड़े लोगों के बीच रिश्तेदारी और सांस्कृतिक एकरूपता भी देखी जा सकती है।

बांग्लादेश

भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोगात्मक संबंध क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण के लिये सकारात्मक कारक रहा है। दोनों देशों के सुरक्षा विषयों तथा सीमा सुरक्षा चिंताओं के प्रबंधन पर समान विचार हैं। दोनों पक्षों ने विभिन्न अवसरों पर सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

म्याँमार

भारत-म्याँमार संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, नैतिक और धार्मिक मान्यताओं द्वारा संचालित होते हैं। म्याँमार ने यह भरोसा दिलाया है कि वह अपने यहाँ से भारत के ख़िलाफ कोई गतिविधि चलाने की इज़ाज़त नहीं देगा।

श्रीलंका

भारत और श्रीलंका के संबंध घनिष्ठ, सहयोगात्मक और सकारात्मक रहे हैं। समुद्री सुरक्षा चुनौतियों तथा समान हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने जैसे विषयों पर दोनों देश अपने रणनीतिक हितों के लिये मिलते-जुलते हैं। भारत न्याय, शांति और सम्मान के लिये तमिल समुदाय की आकांक्षा को पूरा करने वाले राजनीतिक समाधान हासिल करने के लिये श्रीलंका के साथ संबंध बनाए हुए है।

भूटान

भारत का भूटान के साथ द्विपक्षीय संबंध आपसी विश्वास और समझ, साझा हितों और आपसी सहयोग पर आधारित है। बिज़ली, परिवहन, अवसंरचना, शिक्षा, आईटी, उद्योग, चिकित्सा और कृषि जैसे क्षेत्रों में भारत का भूटान के साथ व्यापक सहयोग है।

वायुसेना

- भारतीय वायुसेना पिछले एक दशक में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरी है और यह 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। आधुनिक एरियल प्लेटफॉर्मों के उन्नत समावेशन के बल पर इसने अपनी पूरी संचालन क्षमता विकसित कर ली है।
- भारतीय वायु सेना ने न केवल क्षमता के लिये अपनी पहचान बनाई है, बल्कि ज़रूरत के समय मानवीय सहायता भी प्रदान करती रही है। इसने सदैव 'जनता प्रथम अभियान' की अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए राष्ट्र की सेवा के प्रति भारतीय वायुसेना के दृढ़ संकल्प की भी पुष्टि की है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर

- 16 अप्रैल, 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Corps–NCC) की स्थापना की गई।
- एनसीसी युवाओं में प्रतिबद्धता, समर्पण, अनुशासन, नैतिक मूल्यों को प्रदान करके देश की चुनौतियों का सामना करने के लिये हर प्रकार से विकास का प्रयत्न करता है, जिससे वे एक सफल नागरिक बन सकें।

- एनसीसी का उद्देश्य 'एकता और अनुशासन' है।
- एनसीसी संस्था का प्रशासन रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। रक्षा सचिव इसके प्रमुख होते हैं।

रक्षा सेवाओं के लिये प्रशिक्षण

सैनिक स्कूल

ये स्कूल केंद्र तथा राज्य सरकारों के संयुक्त उपक्रम हैं। ये सैनिक स्कूल सोसाइटी के अधीन कार्य करते हैं। वर्तमान में देशभर में 25 सैनिक स्कूल हैं। मार्च 2009 में सबसे नया सैनिक स्कूल कालिकिरी (आंध्र प्रदेश) में शुरू हुआ।

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल

राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों की कुल संख्या पाँच है जो कर्नाटक के बंगलुरू व बेलगाम, हिमाचल प्रदेश के चैल, राजस्थान के अजमेर और धौलपुर में स्थित हैं। ये सभी स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर बच्चों को कक्षा-6 में प्रवेश मिलता है।

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी

- 7 दिसंबर, 1954 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (National Defence Academy– NDA) की स्थापना खड़कवासला (महाराष्ट्र) में की गई।
- यह संस्थान सेना के तीनों अंगों के कैडेटों को उनके कमीशन पूर्व प्रशिक्षण अकादमियों में शामिल किये जाने से पहले प्रशिक्षण देता है।

राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज

- 13 मार्च, 1922 को प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना देहरादून में की गई।
- वर्ष 1947 में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के रूप में इसका नाम परिवर्तित किया गया।
- यह संस्थान एनडीए के एक सहयोगी संस्थान के रूप में काम कर रहा है।

इंडियन मिलिट्री अकादमी

- 1 अक्तूबर, 1932 को इंडियन मिलिट्री अकादमी (Indian Military Academy– IMA) की स्थापना देहरादून में की गई।
- यह अकादमी युवाओं को साहसी, ऊर्जावान और प्रतिभासंपन्न अधिकारी बनाती है, जो युद्ध की विभीषिकाओं का मुकाबला कर सकें और देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए हर कठिनाई का सामना कर सकें।

ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी

- 15 जनवरी, 1963 को इसकी स्थापना चेन्नई में की गई।
- ओटीए (Officer Training Academy– OTA) का प्रमुख कार्य 1965 से पूर्व कैडेटों को आपात कमीशन को सहायता देने के लिये प्रशिक्षित करना था।
- वर्ष 1965 के बाद से अकादमी अल्पसेवा कमीशन के कैडेटों को प्रशिक्षित करती है।
- वर्ष 2009 में मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति ने द्वितीय ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी गया (बिहार) में स्थापित की। 18 जुलाई, 2011 को 'अकादमी' को 'कमीशन' किया गया।

कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग

- मिलिट्री अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे एक प्रमुख तकनीकी संस्थान है।
- यहाँ इंजीनियरिंग कोर, अन्य सशस्त्र सेवाओं, नौसेना, वायुसेना, अर्द्धसैनिक बल, पुलिस तथा सिविलियन को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- इसके अतिरिक्त मित्र राष्ट्रों के कर्मियों को भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है।

10 शिक्षा (Education)

मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिये शिक्षा एक अनिवार्य शर्त है। प्रत्येक देश अभिव्यक्ति और अपनी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान के संवर्द्धन तथा बदलते समय की चुनौतियों का सामना करने हेतु शिक्षा प्रणाली का विकास करता है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत दो विभाग

- शिक्षा और साक्षरता विभाग
  - उद्देश्य: राष्ट्र की मानव क्षमता का सतत् उपयोग करने के लिये सभी को समान शिक्षा मिले।
- उच्च शिक्षा विभाग
  - उद्देश्य: भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन की संभावित क्षमता का अधिकतम उपयोग समानता एवं उत्कृष्टता के साथ करना।

मंत्रालय के उद्देश्य

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाना और उसका अक्षरश: कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
- संपूर्ण देश, जिसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं, जहाँ शिक्षा तक लोगों की पहुँच आसान नहीं है, शैक्षिक संस्थाओं की पहुँच में विस्तार और गुणवत्ता में सुधार करने सहित सुनियोजित विकास।
- निर्धनों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे वंचित समूहों की ओर विशेष ध्यान देना।
- समाज के वंचित वर्गों के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति, ऋण सब्सिडी आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना, जिसमें यूनेस्को तथा विदेशी सरकारों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है, ताकि देश में शैक्षिक अवसरों में वृद्धि हो सके।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का लक्ष्य सुविधाविहीन समूहों के बच्चों की शिक्षा के साथ आधारभूत सुविधाओं और कार्यक्षमता में निवेश को बढ़ाकर उच्च शिक्षा में पहुँच के अवसरों को बढ़ावा देना, अकादमिक सुधारों को बढ़ाना तथा संस्थागत पुनर्गठन में सुधार पर विशेष बल देना है।

- वर्ष 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्णरूप से राज्य सूची का विषय था। 1976 में संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया।
- बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 सुविधाविहीन सामाजिक समूहों (SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों) पर विशेष ध्यान देता है।
- हाल ही में देखा गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुसूचित जाति के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है और स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी आई है।
- अभिभावकों में शिक्षा के बारे में सजगता तथा राज्यों द्वारा इन सुविधाविहीन बच्चों के लिये अधिक-से-अधिक स्कूल उपलब्ध कराने की सजगता के कारण यह संभव हो पाया है।

बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21क एवं तदनुसार बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, 1 अप्रैल, 2010 से पूरे देश में लागू है। इसके अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को कुछ प्रतिमानों और मानकों पर खरे उतरने वाले स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है।
- बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में संशोधन कर इसे 1 अगस्त, 2012 से लागू किया गया है।

अधिनियम के विविध प्रावधान

- सभी बच्चों को अपने निकटतम विद्यालय में प्रवेश का अधिकार।
- विद्यालयों में किसी भी प्रकार की कैपीटेशन फ़ीस और प्रवेश परीक्षा पर रोक।
- 3 वर्षों के भीतर अधिकांश आबादी वाले क्षेत्रों में विद्यालय स्थापना व आधारभूत संरचना का विकास।
- 5 वर्ष के अंदर प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये जाएंगे।
- गरीब परिवार के बच्चों हेतु भी निजी स्कूलों में 25% स्थान आरक्षित किये गए हैं।
- उम्र के अनुसार कक्षा में बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।
- बच्चों को शारीरिक दंड/शारीरिक दुर्व्यवहार और उनके प्रति अपमानजनक शब्दों के प्रयोग पर रोक।
- विद्यालय में शिक्षण दिवसों व छात्र-शिक्षक अनुपात का निर्धारण।

भारत सरकार प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास के लिये स्वयंसेवी एजेंसियों को समर्थन देने संबंधी केंद्रीय योजना के तहत 32 राज्य संसाधन केंद्र और 251 जनशिक्षण संस्थानों को सहायता देती है। इन सभी कार्यक्रमों के तहत सभी गैर साक्षरों/नवसाक्षरों को प्रशिक्षण और अक्षर ज्ञान कराने के संबंध में पाठ्यक्रम का विकास करने में मदद मिलती है। चरणबद्ध तरीके से उच्चस्तरीय साक्षरता प्राप्त करने के लिये योजनावार लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कुल साक्षरता दर को 80 प्रतिशत करना और लैंगिक अंतराल को 10 प्रतिशत तक कम करने का मौजूदा लक्ष्य रखा गया है।

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा का राष्ट्रीय मिशन

- यह डिजिटल क्रांति से अछूते रहे क्षेत्रों के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के उद्देश्यों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण/शिक्षार्थी में अध्यापन और विद्यार्जन के लिये कंप्यूटिंग उपकरणों के प्रयोग, कौशल के अंतर को कम करना तथा उनका सशक्तीकरण करना शामिल हैं।

- छात्रों, अध्यापकों तथा रोज़गार पेशा वाले लोगों या नि:शुल्क ज्ञान चाहने वाले लोगों के लिये जीवनपर्यंत ज्ञानार्जन का यह एक शैक्षिक पोर्टल है।
- यह राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत आई.सी.टी. के माध्यम से विकसित विषय-वस्तु प्रदान करने वाला एक मुख्य पोर्टल है।
- इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जोड़ने का काम प्रगति पर है।
- बी.एस.एन.एल. (BSNL) ने आईपी आधारित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके विश्वविद्यालयों को जोड़ा है।

स्वयं योजना

स्वयं योजना एक केंद्रीय सहायता प्राप्त व्यावसायिक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से IIT एवं IIM संस्थाएँ ऑनलाइन पाठ्यक्रम नि:शुल्क प्रस्तुत करती हैं।

सक्षम

- यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा तकनीकी प्रेरित छात्रवृत्ति योजना है।
- इस योजना के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर प्रतिभावान छात्रों को ₹ 30,000 की छात्रवृत्ति तथा 10 महीनों तक ₹ 2 हज़ार प्रतिमाह प्रदान किये जाएंगे।

कॉपीराइट

- कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के तहत 1958 में कॉपीराइट कार्यालय की स्थापना उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत की गई है।
- इसका प्रमुख कॉपीराइट्स पंजीयक होता है, जिसे कॉपीराइट संबंधी मामलों में अर्द्धन्यायिक अधिकार प्राप्त हैं।
- कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत निम्नलिखित श्रेणियों की कृतियों में कॉपीराइट होता है-
  - मौलिक साहित्यिक, नाट्य, संगीत और कलात्मक कृतियाँ;
  - सिनेमैटोग्राफिक फिल्म;
  - ध्वनि रिकॉर्डिंग।
- 17 फरवरी, 2014 को ई-फाईलिंग सुविधा की शुरुआत की गई और नई तरह से डिज़ाइन प्रमाण पत्र के साथ कॉपीराइट का नया लोगो भी जारी किया गया।
- सितंबर 1958 में अर्द्धन्यायिक निकाय कॉपीराइट बोर्ड का गठन किया गया और यह निकाय एक अंशकालिक आधार पर काम कर रहा है।
- कॉपीराइट (संशोधन) कानून, 2012 के तहत कॉपीराइट बोर्ड के तीन स्थायी सदस्य होते हैं जिनमें एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होते हैं।

क्या है कॉपीराइट?

- जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा मूल कार्य निर्मित करता है, जो किसी भौतिक माध्यम में उपलब्ध हो, तो उसे अपने आप उस कार्य का कॉपीराइट मिल जाता है। स्वामी के पास कुछ निश्चित विशिष्ट तरीके से उस कार्य का उपयोग करने का विशेषाधिकार होता है।
- **ऑडियो-विजुअल कृतियाँ:** टीवी कार्यक्रम, फिल्में, ऑनलाइन वीडियो और ध्वनि रिकॉर्डिंग तथा संगीत रचनाएँ
- **लिखित कृतियाँ:** व्याख्यान, लेख, पुस्तकें और संगीत रचनाएँ
- **विजुअल कृतियाँ:** पेंटिंग, पोस्टर और विज्ञापन
- वीडियो गेम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
- **नाट्य कृतियाँ:** नाटक और संगीत नाटक

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों की शिक्षा

- संविधान के नीति निदेशक सिद्धांत समाज के कमज़ोर लोगों खासकर अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करते हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 46 में सरकार द्वारा कमज़ोर तबके के लोगों खासकर अनुसूचित जातियों/जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और 1992 में असमानताओं को दूर करने तथा शिक्षा में समानता का अवसर प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया है।

11

ऊर्जा (Energy)

ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऊर्जा के पारंपरिक साधनों के विकास की ज़िम्मेदारी सरकार की है। ऊर्जा के परंपरागत, वैकल्पिक, नये और फिर से उपयोग में लाए जा सकने वाले स्रोतों, जैसे- सौर, पवन और जैव ऊर्जा आदि के विकास और संवर्द्धन पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। देश में ऊर्जा सुलभता की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये परमाणु ऊर्जा के विकास को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में बिज़ली के विकास का दायित्व प्रमुख रूप से विद्युत मंत्रालय का है। मंत्रालय का काम भावी योजनाएँ तैयार करना, नीतियाँ निर्धारित करना, निवेश संबंधी फैसलों के लिये परियोजनाओं का चयन करना, विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना तथा प्रशिक्षण और श्रम शक्ति के विकास के साथ ही जल और ताप बिज़ली उत्पादन, पारेषण तथा वितरण से जुड़े कानून बनाना और उन्हें लागू करना है।

- 2 जुलाई, 1992 से विद्युत मंत्रालय ने देश में स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू किया। इससे पूर्व इसे ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। विद्युत संबंधित विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में दिया गया है। विद्युत मंत्रालय प्रमुख रूप से देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिये उत्तरदायी है।
- मंत्रालय परिदृश्य आयोजना, नीति बनाने, निवेश निर्णय हेतु परियोजनाओं की कार्रवाई, विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, प्रशिक्षण एवं जनशक्ति विकास और तापीय, जल विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के संबंध में प्रशासन एवं कानून बनाने से संबंधित कार्य करता है।
- विद्युत मंत्रालय विद्युत अधिनियम, 2003, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रशासन और सरकार के नीति उद्देश्यों के अनुरूप, समय-समय पर इन अधिनियमों में संशोधन करने हेतु उत्तरदायी भी है।

देश के प्रमुख विद्युत निगम

केंद्रीय क्षेत्र के बिज़ली निगम

- नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन
- नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन
- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- पूर्वोत्तर विद्युत ऊर्जा निगम

बिज़ली ग्रिड केंद्रीय क्षेत्र में सभी वर्तमान और भावी संप्रेषण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय बिज़ली ग्रिड के निर्माण के लिये ज़िम्मेदार है।

संयुक्त क्षेत्र के बिज़ली निगम

- सतलज जलविद्युत निगम
- टिहरी पनबिज़ली विकास निगम

वैधानिक विद्युत निकाय

- दामोदर घाटी निगम
- भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड
- ऊर्जा कुशलता ब्यूरो

ग्रामीण विद्युतीकरण

ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रम के लिये ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (Rural Electrification Corporation Limited–RECL) आर्थिक सहायता देता है। बिज़ली वित्त निगम, बिज़ली क्षेत्र की परियोजनाओं को मियादी वित्तीय सहायता देता है। केंद्रीय बिज़ली अनुसंधान संस्थान तथा राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान जैसी स्वायत्तशासी संस्थाएँ भी विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रही हैं।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण

5वीं पंचवर्षीय योजना के एक घटक के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण की शुरुआत की गई। इस योजना को 2004 में समाप्त कर दिया गया और बाद में इसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के साथ मिला दिया गया।

कुटीर ज्योति योजना

कुटीर ज्योति योजना वर्ष 1988–89 में हरिजनों एवं आदिवासी परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे आने वाले ग्रामीण परिवारों के मकानों के लिये सिंगल पॉइंट बिज़ली कनेक्शन प्रदान करने हेतु शुरू की गई। इस योजना को बाद में आरजीजीवीवाई के साथ मिला दिया गया।

त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम की शुरुआत 2003–04 में की गई।
- इसके अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम चलाने के लिये राज्य सरकार/पावर यूटिलिटीज़ द्वारा वित्तीय संस्थानों के लिये ऋणों पर 4% की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जानी थी। यह सहायता ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक स्रोतों, दोनों माध्यम से गैर-विद्युतीकृत गाँवों के विद्युतीकरण, हैमलेट्स/दलित बस्तियों, जनजातीय गाँवों तक सीमित थी।

एक लाख गाँवों एवं एक करोड़ मकानों का त्वरित विद्युतीकरण

- वर्ष 2004-05 में भारत सरकार ने एआरईपी और कुटीर ज्योति कार्यक्रम का विलय करके एक नई योजना 'एक लाख गाँवों और एक करोड़ मकानों का त्वरित विद्युतीकरण' आरंभ किया।
- इस योजना का विलय नई योजना आरजीजीवीवाई के साथ कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने राष्ट्रीय सौर मिशन के लक्ष्य में 2022 तक 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 1,00,000 मेगावाट पावर करने के लिये संशोधन किया है। इसमें से 40,000 मेगावाट पावर ग्रिड से जुड़ी छतों पर सौर प्रणालियों के माध्यम से आना है।

नोट: केंद्र सरकार ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम का नाम बदलकर भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा निगम (Renewable Energy Corporation of India – RECI) करने के लिये कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सेक्शन 8 कंपनी से सेक्शन 3 कंपनी में परिवर्तित करने की स्वीकृति दे दी है। नाम परिवर्तन के बाद यह भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा निगम बन जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा के सभी क्षेत्रों भू-तापीय, अपतटीय पवन, चक्रवाती पवन आदि में विकास कार्य करेगा।

ग्रीन कैंपस का विकास

सोलर सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत ग्रीन कैंपस के विकास का प्रस्ताव है।

विशेषता

- इस कैंपस के ऊर्जा एवं पानी के उपयोग का समय-समय पर ऑडिट होगा।
- इस कैंपस में ऊर्जा दक्षता एवं कम ऊर्जा उपयोग वाले उपकरणों का प्रयोग होगा ।
- मकानों की छत पर SPV उपकरण लगे होंगे।
- इस कैंपस के सभी मकान हरित भवन होंगे।
- इसमें नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग के साथ ठोस कचरा प्रबंधन एवं जल तथा ऊर्जा संरक्षण की व्यवस्था होगी।

नोट: Simply making green building would not create a green campus; however it should be sustainable also.

- सोलर सिटी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है- स्थानीय निकाय के सहयोग से नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।
- इसमें सभी प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा-सौर, पवन, लघु जल विद्युत, बायोमास आदि के द्वारा ऊर्जा उत्पादन पर बल दिया जाता है।

पूर्वोत्तर राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा

- भारत सरकार के निर्देश के अनुसार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सालाना बजट का 10 प्रतिशत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों और परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिये आवंटित किया जाता है।
- पूर्वोत्तर के दूरस्थ गाँवों में विद्युतीकरण, बायोगैस, लघु पनबिज़ली, गाँव ऊर्जा सुरक्षा परीक्षण परियोजनाओं एवं बायोमास गैसोफायर जैसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर विशेष बल दिया गया है।

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम

बायोगैस प्राकृतिक तरीके से सड़नशील जैविक अपशिष्ट के वायुरहित पाचन के माध्यम से निर्मित किया जाता है और इस प्रक्रिया के उप-उत्पाद के रूप में समृद्ध जैव कार्बनिक खाद प्राप्त होता है। वायुरहित पाचन क्रिया को वर्ज्य और स्वच्छता के कुशल प्रबंधन के लिये कम कार्बन से उत्पन्न प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार बायो गैस एक स्वच्छ गैसीय ईंधन है, जिसमें आजीविका विकास के लाभ के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिये स्वास्थ्य के लिये खतरों और स्थानीय प्रदूषण से संबंधित मुद्दों से अच्छी तरह निपटने की क्षमता है।

राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम (National Biogas and Manure Management Programme – NBMMP) मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्द्धशहरी परिवारों के लिये निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ घरेलू बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिये सहायता प्रदान करता है:

- घरेलू बायोगैस संयंत्र के माध्यम से ग्रामीण और अर्द्धशहरी परिवारों के लिये मुख्य रूप में खाना पकाने के लिये स्वच्छ गैसीय ईंधन और जैविक खाद उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण महिलाओं के कठिन परिश्रम को कम करना, जंगलों पर दबाव कम करना और सामाजिक हित पर ध्यान देना।
- मवेशियों के गोबर पर आधारित बायोगैस संयंत्र के साथ सेनेटरी शौचालय को जोड़कर गाँवों की स्वच्छता में सुधार लाना।
- रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिये उन्नत जैव समृद्ध जैविक खाद और कीट खाद के एक स्रोत के रूप में जैव-पाचनशील घोल प्रदान करना।
- योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया) के नाम से जाना जाता है, की एकीकृत ऊर्जा नीति में परिकल्पित खाना पकाने के लिये 'जीवन रेखा ऊर्जा' की ज़रूरत को पूरा करना।
- इस तरह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) के उत्सर्जन को रोकने से जलवायु परिवर्तन के शमन और इसका मुकाबला करने में मदद करना।

विद्युत ऊर्जा से संबंधित तथ्य

विद्युत उत्पादन में विभिन्न घटकों की हिस्सेदारी

दिसंबर 2016 तक विद्युत उत्पादन में हिस्सेदारी

घटक	हिस्सेदारी % में
कोयला	61.0%
वृहद् जलविद्युत	13.9%
लघु जलविद्युत	1.4%
पवन ऊर्जा	9.1%
बायोमास	1.6%
सौर ऊर्जा	2.7%
गैस	8.2%
परमाणु ऊर्जा	1.9%
डीजल	0.3%

12 पर्यावरण (Environment)

'पर्यावरण' से आशय हमारे आस-पास के वातावरण से है। जीवन के सतत् विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण का अपना खास महत्त्व है। यह स्वस्थ जीवन एवं समृद्धि का मूलाधार है। भारत जैव विविधता एवं पारितंत्र के मामले में संपन्न है तथा इस संपन्नता को बरकरार रखने के लिये पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस दिशा में प्रयासरत है।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का कार्य देश के प्राकृतिक संसाधनों (झीलों, नदियों), जैव विविधता, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण को सुनिश्चित करना तथा उसे प्रदूषण से बचाने व प्रदूषण को समाप्त करने से संबंधित नीतियों व कार्यक्रमों का संचालन करना है।
- इन नीतियों को लागू करते समय मंत्रालय सतत् विकास और मनुष्यों के कल्याण से जुड़े सिद्धांतों के बारे में भी ध्यान रखता है। मंत्रालय देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय समन्वित पर्वत विकास केंद्र के लिये केंद्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है तथा वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन की अनुवर्ती कार्यवाही पर भी ध्यान देता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उद्देश्य

- वनस्पतियों, जीव-जंतुओं व वन्यजीवों का संरक्षण एवं सर्वेक्षण।
- प्रदूषण नियंत्रण और निवारण।
- वनारोपण एवं वन क्षेत्र का विकास।
- पर्यावरण की सुरक्षा।
- पशुओं का कल्याण सुनिश्चित करना।

प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण और अन्वेषण तथा वनस्पतियों का सर्वेक्षण

- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India–BSI), पेड़-पौधों का सर्वेक्षण करने वाला तथा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत देश के जंगली पादप संसाधनों पर वर्गिकी एवं वनस्पति अध्ययन करने वाला एक शीर्षस्थ अनुसंधान संगठन है।
- 13 फरवरी, 1890 को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। इसका मूल उद्देश्य देश के पादप संसाधनों की खोज करना तथा आर्थिक महत्त्व की पादप प्रजातियों की पहचान करना है।
- 29 मार्च, 1954 को भारत सरकार द्वारा कलकत्ता में इसके मुख्यालय की स्थापना की गई।
- इस विभाग के अंतर्गत देशज, दुर्लभ और संकटापन्न पादप प्रजातियों का सूचीकरण करना तथा पौधों से जुड़े ज्ञान का प्रलेखन करना, डाटाबेस तथा नामावली तैयार करना मुख्य कार्य हैं।

उद्देश्य

- गहन सर्वेक्षण के आधार पर देश की पादप संसाधन की व्याप्ति, पारिस्थितिकीय एवं आर्थिक उपयोगिता पर सुनिश्चित एवं विस्तृत जानकारी एकत्र करना।
- शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों के लिये उपयोगी सामग्री के संग्रह, अभिनिर्धारण एवं वितरण।
- सुव्यवस्थित पादपालयों में विश्वसनीय संग्रह के अभिरक्षण तथा स्थानीय, ज़िला, राज्य एवं राष्ट्रीय वनस्पतिजात के रूप में पादप संसाधनों के प्रलेखन।

जीव-जंतुओं का सर्वेक्षण

- भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (Zoological Survey of India – ZSI), पर्यावरण, एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक महत्त्वपूर्ण संस्थान है। 1 जुलाई, 1916 को इसकी स्थापना की गई तथा इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। देश के विभिन्न भागों में इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र स्थित हैं।
- भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा समूह सर्वेक्षण और अध्ययन निम्नलिखित कार्यक्रमों के अंतर्गत किया जाता है-
  - राज्यों के जीव-जंतु;
  - संरक्षित क्षेत्रों के जीव-जंतु;
  - प्रमुख पारिस्थितिकी प्रणाली के जीव-जंतु;
  - लुप्तप्राय प्रजातियों की सर्वेक्षण स्थिति;
  - पारिस्थितिकी अध्ययन/पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन;
  - वन्यजीव की पहचान।

नोट: भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का ताजा सर्वेक्षण संग्रह, पशुओं के साथ जुड़े पारंपरिक ज्ञान सहित देश के जंगली जानवरों की विविधता पर आधारित है।

भारतीय वन सर्वेक्षण

- भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India – FSI) केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
- इसका मुख्य कार्य देश के वन क्षेत्रों तथा वन संसाधनों से संबंधित सूचनाओं एवं आँकड़ों को एकत्रित करना है।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन और उन्हें लागू करने के लिये राज्य प्रदूषण बोर्डों, प्रदूषण नियंत्रण समितियों के साथ समन्वय रखता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संगत आँकड़े तैयार कर, विज्ञान संबंधी सूचना उपलब्ध कराकर, राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के निरूपण में तकनीकी जानकारी देकर, मानव शक्ति का विकास और प्रशिक्षण देकर, सरकार एवं जनता के बीच विभिन्न स्तरों पर जागरूकता को बढ़ावा देने के लिये कार्यक्रम आयोजित करके प्रदूषण नियंत्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके कार्यकलाप इस प्रकार हैं-
  - प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ प्रदूषण नियंत्रण समितियों के कार्यों का समन्वय करना।
  - उद्योग विशिष्ट राष्ट्रीय न्यूनतम बहि:स्राव और उत्सर्जन का मानक तैयार करना।
  - उद्योग विशिष्ट पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों का विकास करना तथा विस्तृत दस्तावेज़ का ब्यौरा देना।
  - सीआरईपी (Corporate Responsibility for Environmental Protection – CREP) की सिफारिशों का कार्यान्वयन एवं प्रमुख प्रदूषण, औद्योगिक क्षेत्र के मानकों का अनुपालन करना।

खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को एच.डब्ल्यू.एम. नियम (Hazardous Waste Management Rules), 2008 के नियम 11 के अनुसार खतरनाक कचरे के परीक्षण एवं अध्ययन की अनुमति प्रदान की है।
- खतरनाक पदार्थों की सूची में शामिल हैं- इथाइलीन, ग्लाइकोल, कार्बन उत्सर्जन, कीचड़, वेस्टराल, मोलिब्डेनम यौगिक युक्त क्रोमिक एसिड, एनोड बट सल्फर उत्सर्जन, कीमती धातुओं और एसिड युक्त अपशिष्ट आदि।

ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 साल बाद ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों को संशोधित कर लागू किया है।

प्रमुख विशेषता

- ये नियम अब नगर निगम के क्षेत्रों से बाहर भी लागू हो गए हैं। यह अब शहरी संबंधी समूहों, जनगणना वाले कस्बों, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप, भारतीय रेल के नियंत्रण वाले क्षेत्रों, हवाई अड्डों, एयर बेस, बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठानों, सेज़, केंद्र एवं राज्य सरकारों के संगठनों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों पर भी लागू माने जाएंगे।
- कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा उत्पन्न ठोस कचरे को अपने परिसर के बाहर सड़कों, सार्वजनिक स्थलों पर या नाली में जलीय क्षेत्र में न तो फेंकेगा, न जलाएगा, न ज़मीन में दबाएगा।
- ठोस कचरा उत्पन्न करने वालों को उपयोगकर्ता शुल्क अदा करना होगा, जो कचरा एकत्र करने वाले को प्राप्त होगा।
- निर्माण और तोड़-फोड़ से उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार संगृहीत करने के बाद अलग से निपटाया जाना चाहिये।
- नये नियम के अंतर्गत स्थानीय निकाय कचरे के बेहतर तरीके से प्रबंधन के लिये कुछ शुल्क वसूल सकते हैं।
- सार्वजनिक स्थलों पर शौच के लिये भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

नोट

- केंद्र सरकार ने इन नियमों के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी के लिये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक केंद्रीय निगरानी समिति का भी गठन किया है।
- देश में प्रतिवर्ष 62 लाख टन कचरा उत्पन्न होता है जिसमें 5.6 लाख टन प्लास्टिक कचरा, 0.17 लाख टन जैविक अपशिष्ट, 7.9 लाख टन खतरनाक अपशिष्ट एवं 15 लाख टन ई-कचरा है।

प्रदूषण सूचकांक के आधार पर उद्योगों का नया वर्गीकरण

प्रदूषण सूचकांक पर निर्धारित मापदंड उद्योगों को स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिये प्रोत्साहित करेंगे जिसके परिणामस्वरूप कम प्रदूषण उत्पन्न होगा और सतत् विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- सरकार ने प्रदूषण के मापदंड के आधार पर उद्योगों का नया वर्गीकरण जारी किया है-

लाल रंग की श्रेणी	60 और उससे अधिक प्रदूषण सूचकांक वाला औद्योगिक क्षेत्र जिन्हें सामान्यत: नाज़ुक पारिस्थितिकी/संरक्षित क्षेत्र में अनुमति नहीं मिलेगा।
नारंगी रंग की श्रेणी	41 से 59 के बीच प्रदूषण सूचकांक के आँकड़ों वाला औद्योगिक क्षेत्र।
हरे रंग की श्रेणी	21 से 40 के बीच प्रदूषण सूचकांक आँकड़ों वाले औद्योगिक क्षेत्र।

13 वित्त (Finance)

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वित्तीय प्रशासन देखता है। इस मंत्रालय के पाँच विभाग हैं–

1. आर्थिक मामले
2. व्यय
3. राजस्व
4. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
5. वित्तीय सेवाएँ।

आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग

- यह विभाग समस्त आर्थिक क्रियाओं पर नज़र रखता है तथा सरकार को देश के आर्थिक प्रबंधन के आंतरिक एवं विदेशी पहलुओं से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में परामर्श देता है।
- यह विभाग राष्ट्रीयकृत बैंकों, बीमा (जीवन एवं सामान्य) से संबंधित नीतियों की देख-रेख करता है।
- यह विभाग खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization – FAO), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization – ILO), संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (United Nations Industrial Development Organization – UNIDO) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से मिलने वाली सहायता तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत मिलने वाली सहायता को छोड़कर शेष सभी विदेशी तथा तकनीकी सहायता पर भी नज़र रखता है।
- आर्थिक कार्य विभाग, केंद्रीय बजट और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के बजट तैयार करके उन्हें संसद में पेश करता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग भारत सरकार की टकसाल एवं मुद्रणालयों, सिक्योरिटी प्रेसों और सिक्योरिटी पेपर मिलों का प्रबंधन भी संभालता है।

प्रमुख प्रभाग

- एकीकृत वित्त प्रभाग
- पूंजी बाज़ार
- द्विपक्षीय सहयोग
- बहुपक्षीय संस्थाएँ
- बहुपक्षीय संबंध
- अनुदान, लेखा और लेखा परीक्षक
- आर्थिक प्रभाग
- मुद्रा तथा सिक्का प्रभाग
- अवसंरचना एवं ऊर्जा
- प्रशासन प्रभाग
- बजट प्रभाग
- मध्य कार्यालय (ऋण प्रबंधन)
- आईईएस संवर्ग प्रभाग
- निवेश प्रभाग
- प्रेस रिलेशन सूचना प्रभाग
- मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय

व्यय मामलों से संबंधित विभाग

व्यय विभाग, केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला नोडल विभाग है।

व्यय विभाग की संगठनात्मक इकाइयाँ

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
- संस्थापना प्रभाग
- राज्य वित्त प्रभाग
- योजना वित्त प्रभाग
- प्रापण नीति प्रभाग
- मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय
- कर्मचारी निरीक्षण एकक
- वेतन अनुसंधान एकक
- मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय
- महालेखा नियंत्रक का कार्यालय
- राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान
- केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

राजस्व मामलों से संबंधित विभाग

- राजस्व विभाग सचिव (राजस्व) के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है।
- यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों को अपने दो अधीनस्थ बोर्डों– (क) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (ख) केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रित करता है।
- प्रत्येक बोर्ड का प्रमुख अध्यक्ष होता है, जो भारत सरकार का पदेन विशेष सचिव भी होता है।
- उपर्युक्त दोनों बोर्डों की स्थापना केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत की गई है।

- GST प्रणाली के तहत आम लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु पर 5% की दर होगी।
- वस्तु एवं सेवा कर की 12 और 18% दो मानक दरें होंगी।
- वर्तमान में 30–31% की दर से कर लगाए जाने वाली वस्तुओं पर 28% की दर से कर लगाया जाएगा।
- लक्जरी कारें, तंबाकू, ठंडे पेय पदार्थ जैसी वस्तुओं पर ऊँची दर के साथ स्वच्छ ऊर्जा उपकर एवं राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिये एक नया उपकर लगाया जाएगा।
- अतिरिक्त उपकर एवं स्वच्छ ऊर्जा उपकर सहित जो राजस्व प्राप्त होगा उसे अलग कोष में रखा जाएगा एवं इसका इस्तेमाल राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई के लिये होगा।

GST परिषद् द्वारा लिये गए अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय

- GST के लिये छूट सीमा 20 लाख रुपये सालाना निर्धारित की गई है। उत्तर-पूर्व के राज्यों और 3 पहाड़ी राज्यों के लिये यह सीमा 10 लाख सालाना निर्धारित की गई है।
- 1.5 करोड़ रुपये का सालाना कारोबार करने वाले सभी कारोबारियों पर राज्य विशेष नियंत्रण रखेंगे वहीं इससे अधिक के व्यापारियों पर केन्द्र और राज्य को दोहरे नियंत्रण का अधिकार होगा। साथ ही सेवा कर हेतु पंजीकृत सभी मौजूदा 11 लाख व्यापारियों पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण होगा।

केन्द्र से	राज्य से	जीएसटी से बाहर मदें	बाद में शामिल होने वाली मदें	अन्य
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	राज्य वैट	मानव उपभोग के लिये शराब	कच्चा पेट्रोलियम तेल	जीएसटी तंबाकू और तंबाकू आधारित उत्पादों पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार के पास इन उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार भी होगा।
आबकारी (औषधीय और शौचालय निर्माण) के कर्त्तव्य	केन्द्रीय बिक्री कर	बिजली	मोटर स्पिरिट (पेट्रोल)	जीएसटी लागू होने के बाद यदि राजस्व की हानि होती है, तो पहले पाँच साल के लिये राजस्व नुकसान होने की स्थिति में उसका पूरा मुआवज़ा दिया जाएगा।
आबकारी का अतिरिक्त शुल्क (विशेष महत्त्व का सामान)	खरीद कर	रियल एस्टेट	हाई स्पीड डीज़ल	आयात: वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात को अंतर-राज्य आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और आईजीएसटी देश में वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर लगाया जाएगा।
आबकारी का अतिरिक्त शुल्क (कपड़ा और वस्त्र उत्पाद)	ऐश्वर्य कर		प्राकृतिक गैस	निर्यात: निर्यात शून्य दर्जा आपूर्ति के रूप में भी समझा जाएगा।
सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क (सामान्यत: सीवीडी के रूप में जाना जाता है)	प्रवेश कर (सभी प्रकार के)		विमानन टरबाइन ईंधन	वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची को छूट दी जा सकती है। छूट की सूची को छोटा रखने का प्रयास किया जा रहा है। वस्तुओं और सेवाओं पर छूट के बारे में फैसला जीएसटी परिषद् करेगी।
सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क (एसएडी)	मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए करों को छोड़कर)		इन उत्पादों के लिये वैट की मौजूदा प्रणाली और बिक्री कर जारी रहेगा	**जीएसटी की शुरुआत से पहले क्या** केन्द्र दो कानूनों (पहला सीजीएसटी से संबंधित है और दूसरा एसजीएसटी से) को अधिनियमित करेगा। राज्य और विधायिका वाले संघ शासित प्रदेश एसजीएसटी से संबंधित कानून लागू करेंगे। ये साधारण कानून हैं और संसद/राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत द्वारा पारित किये जा सकते हैं।
सेवा कर	विज्ञापनों पर कर			
वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है उपकर और अधिभार	लॉटरी, सट्टे और जुए पर कर			
	वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित राज्य उपकर और अधिभार			

GST में शामिल अप्रत्यक्ष कर

केन्द्रीय स्तर पर

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
- अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
- सेवा कर
- अतिरिक्त सीमा शुल्क (Countervailing duty)
- सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क

राज्य स्तर पर

- राज्य बिक्री कर (VAT)

14 कॉरपोरेट मामले (Corporate Affairs)

भारत के आर्थिक विकास में कॉरपोरेट क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय व वैश्विक स्तर पर बदल रहे व्यापारिक परिदृश्य के मद्देनज़र सुचारु प्रशासनिक गतिविधियों को लागू करने का प्रयास किया है। इन गतिविधियों को लागू करने का प्रमुख कारण कंपनियों को कॉरपोरेट प्रशासन में शामिल होने तथा छोड़कर जाने में आसानी हो इसके लिये विधायी ढाँचा तथा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के एक प्रयास के रूप में देखा जाता है। मई 2007 में मंत्रालय की आर्थिक विकास में महती भूमिका को देखते हुए राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के द्वारा इसका नाम 'कंपनी मामले' से बदलकर 'कॉरपोरेट मामले' कर दिया गया है। नाम परिवर्तन के साथ ही इस मंत्रालय के दर्शन को भी दूसरे रूप में परिभाषित किया गया है-'प्रबुद्ध विनियमन द्वारा कॉरपोरेट विकास को आसान बनाना'।

- यह मंत्रालय मुख्यतया कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 1956, सीमित देयता भागीदारी फर्म अधिनियम, 2008 तथा उनके तहत बनाए गए अन्य संबद्ध कानूनों तथा नियमों एवं विनियमों से संबंधित कार्य देखता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कॉरपोरेट क्षेत्र की कार्यप्रणाली का कानून के अनुसार नियमन करना है।
- यह मंत्रालय प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत गठित आयोग के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने, बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने व उसे बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने संबंधी कार्य भी देखता है।
- इसके अलावा मंत्रालय तीन व्यावसायिक संस्थाओं- भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (Institute of Chartered Accountants of India-ICAI), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (Institute of Company Secretaries of India-ICSI) और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (Institute of Cost Accountants of India-ICAI) का पर्यवेक्षण करता है जिनकी स्थापना संबंधित व्यवसायों के उचित और सुव्यवस्थित विकास के लिये संसद के तीन अलग-अलग अधिनियमों के तहत की गई है।

भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान

भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कॉरपोरेट और प्रतिस्पर्द्धा कानून, लेखांकन एवं लेखा परीक्षा विषय, अनुपालन प्रबंधन, कॉरपोरेट शासन, पर्यावरणीय संवेदनशीलता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से व्यवसाय सुस्थायित्व, ई-शासन और प्रवर्तन आदि जैसे कॉरपोरेट विनियमन (Corporate Regulation) और शासन से संबंधित विभिन्न विषयों और मामलों में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिये भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान की स्थापना की गई।

आईसीएलएस (Indian Corporate Law Service-ICLS) का उत्तरदायित्व भारतीय संघ लोक संस्थान के एक विभाग के रूप में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के सामान्य परीक्षा के माध्यम से भर्ती किये गए भारतीय कॉरपोरेट विधि सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रवेशण और उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना है।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2014 राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने और 26 मई, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद 'कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2015' बन गया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी विधेयक, 2013 के विभिन्न प्रावधानों में 14 प्रस्तावित परिवर्तनों को मंज़ूरी दी, जो 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी हुआ। कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं-

- व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त की जाएगी। इस तरह के अनुभाग का लोप किया जाएगा।
- प्रदत्त शेयर पूंजी की न्यूनतम हिस्सेदारी, जो निज़ी कंपनी के मामले में ₹100,000 तथा एक सार्वजनिक कंपनी के मामले में ₹500,000 है, को समाप्त किया जाएगा।
- जमा की स्वीकृति के उल्लंघन से संबंधित एक नई धारा (76ए) की शुरुआत की गई।
- इस संशोधित अधिनियम के तहत अब कॉमन सील (Common Seal) का उपयोग वैकल्पिक बना दिया गया है। ऐसे सभी दस्तावेज़ों, जिनके लिये कॉमन सील (Common Seal) एक निर्देशक और कंपनी सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकेगा।

इन संशोधनों से व्यवसाय करने में सुगमता से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। यही नहीं, इससे विभिन्न श्रेणियों में आने वाली कंपनियों को अधिनियम के विशेष प्रावधानों से छूट इत्यादि देने वाली अधिसूचनाओं के प्रारूप को तेज़ी से मंज़ूरी देने वाली प्रक्रिया कायम करने में मदद मिलेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013

- कंपनी अधिनियम, 2013 नये उद्यमियों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ इन कार्यों के आयोजन में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल का अधिकार देता है। इस तरह यह अधिनियम विश्व की बेहतरीन प्रबंधन की तरह कॉरपोरेट शासन व विनियामक सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।

15

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
(Food and Civil Supplies)

भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग देश की खाद्य अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करता है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का प्रमुख नीतिगत उद्देश्य खाद्यान्नों की यथासमय और व्यवस्थित खरीद के माध्यम से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके कार्यों के अंतर्गत विभिन्न खाद्यान्नों की खरीद करना, खाद्यान्नों का भंडार रखना और उसका रख-रखाव करना, वितरण करने वाली एजेंसियों को खाद्यान्नों की सुपुर्दगी करना और खाद्यान्नों के उत्पादन, भंडार एवं मूल्य स्तरों की निगरानी करना है।

इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price – MSP) तंत्र के माध्यम से किसानों को उनके उत्पादन के उचित मूल्य द्वारा प्रोत्साहन देने, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यान्नों का वितरण करने एवं अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत भुखमरी में जी रहे परिवारों को शामिल करने, खाद्यान्न की कमी वाले क्षेत्रों में अनाज बैंक स्थापित करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

यह विभाग चीनी उद्योग से संबंधित नीतियाँ तैयार करने के लिये भी उत्तरदायी है, जैसे चीनी कारखानों द्वारा देय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price – FRP) का निर्धारण, चीनी उद्योग का विकास एवं विनियमन (चीनी प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण सहित), चीनी के लेवी मूल्य का निर्धारण और पीडीएस हेतु चीनी की आपूर्ति एवं फ्री सेल चीनी की आपूर्ति का विनियमन। यह विभाग खाद्यान्नों, चीनी और खाद्य तेलों के निर्यात एवं आयात संबंधी नीतियाँ भी तैयार करता है।

इस दिशा में नये लक्ष्य इस प्रकार हैं-

- देश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ-साथ देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) का प्रभावी प्रबंधन तथा अनाजों का संग्रहण और वितरण सुनिश्चित करना।
- अनाजों के सुरक्षित भंडार (Buffer Stock) के रख-रखाव के साथ चीनी, खाद्य तेल तथा अन्य खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- समाज के कमज़ोर, पिछड़े एवं अत्यंत वंचित वर्गों के लिये उचित कीमतों पर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- देशभर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन।
- गेहूँ, धान/चावल और मोटे अनाज की कार्यकुशल खरीद के माध्यम से मूल्य समर्थन करना।
- चीनी उद्योग का विकास/संवर्द्धन।
- गोदामों (Warehouses) का विकास।
- सार्वजनिक सेवा प्रणाली में सुधार करना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

- इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी तथा 50 प्रतिशत शहरी आबादी को कम मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराना है। इस प्रकार देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा।
- इसके अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा जिसके अंतर्गत चावल ₹ 3 प्रति किग्रा., गेहूँ ₹ 2 प्रति किग्रा. तथा मोटा अनाज ₹ 1 प्रति किग्रा. की दर से प्राप्त होगा।
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) में शामिल परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज का मिलना पूर्ववत् जारी रहेगा।
- महिलाओं, बच्चों और अन्य समूहों, जैसे- बेसहारा, बेघर, आपदा एवं आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों और भुखमरी का सामना कर रहे लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- इसके अंतर्गत गर्भवती एवं शिशुओं को दूध पिलाने वाली महिलाओं को ₹ 1000 प्रतिमाह के हिसाब से 6 माह तक प्रसूति लाभ प्राप्त कराने का प्रावधान शामिल किया गया है।
- 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे पौष्टिक आहार अथवा निर्धारित पौष्टिक मानदंडानुसार राशन घर ले जा सकेंगे।
- खाद्यान्न अथवा भोजन की आपूर्ति न हो पाने की स्थिति में, लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा।
- इस अधिनियम में ज़िला एवं राज्यस्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का भी प्रावधान है।
- पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये भी आवश्यक प्रावधान किये गए हैं।

अधिनियम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र परिवारों की पहचान तथा अधिनियम के कार्यान्वयन की तैयारियों के बारे में उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर अब तक देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन पूर्ण हो गया, जिसके दायरे में लगभग 80 करोड़ लोग आते हैं।

- उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिये इंटरनेट का उपयोग;
- आउटडोर माध्यमों के ज़रिये प्रचार;
- परंपरागत माध्यमों के ज़रिये प्रचार;
- संवादात्मक धारावाहिक 'जागो ग्राहक जागो': 11वीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लिये वार्तालाप आधारित 'जागो ग्राहक जागो' और आकाशवाणी के विस्तृत नेटवर्क के ज़रिये वार्तालाप आधारित रेडियो धारावाहिक 'जागो ग्राहक जागो' का प्रसारण एक नई पहल के रूप में शुरू किया गया।

मेगा फूड पार्क

- इस योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिये आधुनिक बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाता है।
- इसके अंतर्गत केंद्र द्वारा सहायता अनुदान के रूप में परियोजना लागत की दर के 50 प्रतिशत सामान्य क्षेत्रों में तथा पूर्वोत्तर और दुर्गम क्षेत्रों में 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
- इस योजना के लिये 12वीं पंचवर्षीय योजना में आवंटन के तहत ₹1800 करोड़ दिये गए हैं।
- 30 नवंबर, 2016 की स्थिति के अनुसार 34 मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा चुकी है तथा सरकार द्वारा देश के 7 राज्यों में 17 मेगा फूड पार्क को स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें मौजूदा समय में 25 परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं।

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन

- 12वीं योजनाकाल के दौरान खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन (National Mission on Food Processing – NMFP) की शुरुआत की गई है। इसे राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाना है।
- 12वीं योजना में इसके लिये ₹ 1850 करोड़ आवंटित किये गए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के उद्देश्य–

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के साथ फसलोत्तर कार्यों के लिये सुविधाओं को बढ़ावा देना।

अंतर्राष्ट्रीय शर्करा संगठन (आईएसओ)

लंदन में दिनांक 2 दिसंबर, 2016 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शर्करा संगठन परिषद् की बैठक के 50वें सत्र में भारत को वैश्विक चीनी क्षेत्र के एक प्रमुख तथा निर्णायक देश के रूप में मान्यता देते हुए भारत को वर्तमान तथा भावी चीनी परिदृश्य को देखते हुए चीनी की अर्थव्यवस्था में आईएसओ द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के अध्ययन, जाँच एवं संस्तुति हेतु गठित कार्य दल का अध्यक्ष बनाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। वर्तमान में इसके 87 देश सदस्य हैं, तथा यह अंतर्राष्ट्रीय शर्करा करार, 1992 के अनुसार लागू है।

- इस अभियान में तेज़ी लाने के लिये खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता को बढ़ाने, पूंजी और कौशल विकास को सुनिश्चित किया गया है।
- वह उद्योग जिन्हें एस.एम.ई. का दर्जा प्राप्त है उन्हें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिये और सुविधाजनक बनाना।
- खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के स्तर को ऊपर उठाने के लिये भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मानदण्डों को लागू करना।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये एच.ए.सी.सी.पी. और आई.एस.ओ. के मानदंडों को लागू करना।

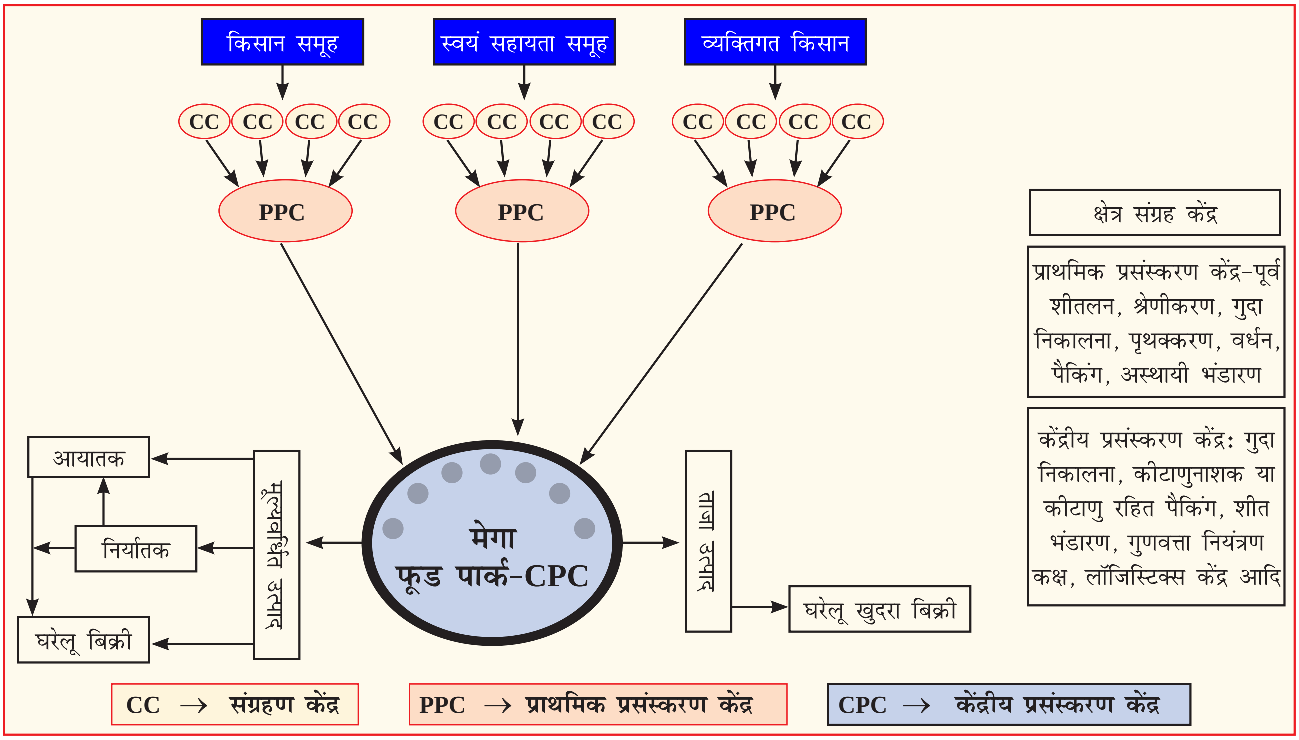

16

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
(Health and Family Welfare)

प्रारंभ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में चार विभाग थे, जिनके प्रत्येक के अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव होते थे–

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
- आयुष विभाग
- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
- एड्स नियंत्रण विभाग

7 अगस्त, 2014 को एड्स नियंत्रण विभाग का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विलय कर दिया गया। इसके अगले ही दिन आयुष विभाग को आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष) के रूप में गठित किया गया जिसके अंतर्गत आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी प्रणाली की शिक्षा और अनुसंधान का विकास करने पर विशेष बल दिया गया। इस प्रकार अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दो विभाग हैं, और प्रत्येक के अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव हैं।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
- स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services – DGHS) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है और इसके अधीनस्थ कार्यालय पूरे देश में स्थित हैं। डीजीएचएस सभी चिकित्सा और जन स्वास्थ्य मामलों पर तकनीकी सलाह प्रदान करता है और यह विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का कार्यान्वयन करता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)

- 12 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनतम परिवारों को सुलभ, वहनीय एवं उत्तरदायी गुणवत्तायुक्त सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संतोषजनक स्वास्थ्य संकेतकों वाले राज्यों, जैसे-पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में जहाँ आवश्यक हो आर्थिक मदद देना सुनिश्चित किया गया है।
- सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर किये जाने वाले व्यय को बढ़ाकर 2 से 3 प्रतिशत (जो पहले GDP का 0.9 प्रतिशत था) करने का निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत की जाने वाली प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- **आशा:** जन समुदाय एवं स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क स्थापित करने के लिये लगभग 9 लाख से अधिक समुदाय स्वास्थ्य स्वयं सेवक, जिन्हें प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (Accredited Social Health Activist – ASHA) कहा जाता है, को नियुक्त किया गया है।
  - ‘आशा’ का मुख्य कार्य ग्रामीण समाज के वंचित वर्गों में शामिल, विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।
  - देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त बनाने के लिये ‘आशा’ कार्यक्रम का विस्तार व्यापक स्तर पर किया गया है। इस कार्यक्रम ने बाह्य रोगी सेवाओं, उपचार सुविधाओं, संस्थागत प्रसव एवं भर्ती रोगियों की देखभाल में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

‘आशा’ के प्रमुख घटक इस प्रकार हैं

- ‘आशा’ संबंधित गाँव की शादीशुदा/तलाकशुदा/विधवा महिला होती है जिसकी आयु सीमा 25 से 45 वर्ष के मध्य हो।
- आशा को साक्षर होना चाहिये लेकिन अगर उसने औपचारिक शिक्षा कक्षा–X तक प्राप्त की हो तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
- आशा का चयन विभिन्न सामुदायिक समूहों, आंगनवाड़ी संस्थानों, ब्लॉक नोडल अधिकारी, ज़िला नोडल अधिकारी, ग्राम स्वास्थ्य समिति और ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा एक कठोर प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।
- आशा में ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के विकास के लिये निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे इनमें क्षमता निर्माण और कौशल विकास किया जा सके।
- **रोगी कल्याण समिति/अस्पताल प्रबंधन समिति:** अस्पताल प्रबंधन समिति एक पंजीकृत समिति है जो अस्पताल से संबंधित मामलों के प्रबंधन हेतु अस्पताल न्यास के लिये एक समूह के रूप में कार्य करती है।
- इन समितियों को वित्तीय सहयोग रोगी कल्याण की गतिविधियों हेतु एकीकृत अनुदान के माध्यम से दिया जाता है।
- उपकेंद्रों को एकीकृत अनुदान से ए.एन.एम. के लिये एक नया प्रोत्साहन मिला है, जो अब रक्तचाप मापक यंत्र, स्टेथोस्कोप, वेटिंग मशीन आदि से सुसज्जित हैं।
- ‘ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषाहार समिति’ सामुदायिक सशक्तीकरण के एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरी है।

17 आवास (Housing)

जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक 'आवास' राज्य सूची का विषय है लेकिन सामाजिक आवास योजनाओं और विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये आवास सुविधाओं से संबंधित नीतियाँ बनाने, उनको लागू करने तथा उनसे संबंधित कार्यक्रम तैयार करने की ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है। इस संबंध में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च एजेंसी है जो राज्यों एवं स्थानीय शहरी निकायों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की सहायता, निगरानी एवं समन्वय का काम करती है। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का विवरण इस प्रकार है-

प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिये आवास)

25 जून, 2015 को भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक सभी के लिये आवास संबंधी मिशन शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 (भारतीय गणराज्य का 75वाँ वर्ष) तक देश के प्रत्येक नागरिक को पक्का आवास मुहैया कराना है।

लाभार्थी

- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। लाभार्थी परिवार के पास या तो उसके नाम से अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी भाग में पक्का मकान (सभी मौसम वाली रिहायशी इकाइयाँ) नहीं होना चाहिये।
- इस मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित कार्यक्रम विकल्पों के माध्यम से स्लमवासियों सहित शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकता को पूरा करना है-
  - भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लमवासियों का पुनर्वास।
  - ऋण से जुड़ी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिये किफायती आवास को प्रोत्साहन।
  - सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास।
  - लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिये सब्सिडी।

कवरेज और अवधि

500 श्रेणी-I शहरों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जनगणना 2011 के अनुसार सभी 4041 सांविधिक शहरों को तीन चरणों में कवर किया जाएगा, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है-

- चरण-I (अप्रैल, 2015-मार्च, 2017)- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी इच्छुकता के अनुसार 100 शहरों को कवर करने के लिये।
- चरण-II (अप्रैल, 2017-मार्च, 2019)- अतिरिक्त 200 शहरों को कवर करने के लिये।
- चरण-III (अप्रैल, 2019-मार्च, 2022)- सभी अन्य शेष शहरों को कवर करने के लिये।

तथापि, मंत्रालय को यदि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संसाधन समर्पित मांग प्राप्त होती है, तो पहले के चरणों में अतिरिक्त शहरों को शामिल करने के संबंध में नम्यता होगी।

लाभार्थी इन 4 विकल्पों में से केवल किसी एक को ही चुनकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं-

1. **स्लम पुनर्विकास के अंतर्गत:** संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करते हुए निजी भागीदारी और लोक प्राधिकरण द्वारा स्लमवासियों के पक्के आवास बनाकर तथा शेष भूमि का उपयोग निजी भागीदारी द्वारा अपने फायदे के लिये किया जाएगा।
2. आवास ऋण के लिये अनुदान के माध्यम से किफायती आवास निर्माण करे।
3. **भागीदारी में किफायती आवास:** निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र स्थानीय निकाय, हाउसिंग बोर्ड, बीडीए इत्यादि की भागीदारी से इस किफायती आवास परियोजना, जिसमें निर्माण में 35 प्रतिशत निर्मित ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवासों के लिये केंद्रीय सहायता के माध्यम से ₹ 1.5 लाख प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा।
4. **स्व-निर्माण के लिये अनुदान की अनुमति:** केंद्र सरकार ने अपनी महत्त्वाकांक्षी 'सबके लिये आवास' योजना के लिये नौ राज्यों के 305 शहरों की पहचान की है। इन चुने गए शहरों में से छत्तीसगढ़ में 36, गुजरात में 30, जम्मू-कश्मीर में 19, झारखंड में 15, केरल में 15, मध्य प्रदेश में 74, ओडिशा में 42, राजस्थान में 40 और तेलंगाना में 34 शहर या कस्बे हैं। 25 जून, 2015 को भारत सरकार ने 'प्रधानमंत्री आवास योजना' की शुरुआत की।

योजना के तहत आने वाले विशिष्ट समूह

- किसी भी जाति या धर्म की महिलाओं को
- समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों को (Economically Weaker Section of Society – EWS)
- अनुसूचित जनजाति
- अनुसूचित जाति

18 उद्योग (Industry)

भूमिका

उद्योग एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं संवर्द्धन से होता है और वस्तुओं के उत्पादन में अनेक फर्म लगी होती हैं; ये सभी फर्म मिलकर उद्योग का निर्माण करती हैं।

महत्त्वपूर्ण औद्योगिक नीतियाँ

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने औद्योगिक विकास की ओर कदम बढ़ाया। 6 अप्रैल, 1948 की नीति स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति थी। इस नीति को प्रस्तुत करने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इस नीति का उद्देश्य मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना था। इस नीति के सहारे भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत एवं सुचारु बनाने के पथ पर बढ़ने लगा।

24 जुलाई, 1991 को नई औद्योगिक नीति, चली आ रही औद्योगिक नीतियों के विस्तार एवं सुधार का परिणाम थी। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ एवं उद्योगों को प्रतिस्पर्द्धी एवं अद्यतन बनाना था। नई आर्थिक नीति में निवेश प्रोत्साहन को लेकर कई तरह की छूट प्रदान की गई जिससे देश में निवेश के अनुकूल माहौल बन सके। सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है। इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, 2011 में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने की घोषणा की गई थी।

औद्योगिक नीति

नई औद्योगिक नीति, 1991 को लागू करने के बाद देश में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कई क्षेत्रों को नियंत्रण मुक्त रखा गया है और ज्यादातर वस्तुओं के लिये औद्योगिक लाइसेंस लेने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।

निम्नलिखित 5 उद्योग अनिवार्य लाइसेंस के अंतर्गत आते हैं:

1. अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों का आसवन, मद्यकरण
2. तंबाकू निर्मित सिगार, सिगरेट तथा विनिर्मित तंबाकू उत्पाद
3. इलेक्ट्रॉनिक, एयरोस्पेस और सभी प्रकार के रक्षा उपकरण
4. डिटोनेटिंग फ्यूजेज़, सुरक्षा फ्यूजेज़, बारूद, नाइट्रो सेल्यूलोज़ और दियासलाई सहित औद्योगिक विस्फोटक
5. खास तरह के खतरनाक रसायन, जैसे–
   - हाइड्रोसाएनिक अम्ल और इसके व्युत्पन्न
   - फॉस्जीन एवं इसके व्युत्पन्न
   - आइसोसायनेट एवं हाइड्रोकार्बन के डाइसोसायनेट (उदा. मिथाइल आइसोसायनेट)

- जो उद्योग अनिवार्य लाइसेंस के दायरे में नहीं आते, उन्हें औद्योगिक सहायता सचिवालय के पास औद्योगिक उद्यम ज्ञापन जमा कराना होता है।
- वर्ष 2014 के दौरान रक्षा उपकरणों की एक सूची अधिसूचित की गई, जिसके अंतर्गत यह शर्त थी कि इस सूची में विशिष्ट रूप में शामिल की गई कोई भी ऐसी वस्तु जिसका इस्तेमाल असैनिक और सैन्य दोनों प्रयोजनों के लिये किया जा रहा हो, उसे लाइसेंस मुक्त समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के लिये दी गई समय-सीमा हेतु सभी औद्योगिक लाइसेंसों की वैधता 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है।
- लघु उद्योग क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली खत्म करने के साथ ही सुधार प्रक्रिया की शुरुआत की गई। सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास हेतु सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम विकास अधिनियम, 2006 भी लागू कर दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आरक्षित क्षेत्र

वर्ष 2014 में रेल के बुनियादी ढाँचे में निजी निवेश की अनुमति दी गई है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिये केवल दो औद्योगिक क्षेत्र आरक्षित रखे गए हैं–

- परमाणु ऊर्जा
- निर्माण, प्रचालन एवं रख-रखाव को छोड़कर निम्नांकित रेलवे प्रचालन–
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत उपनगरीय कॉरिडोर परियोजनाएँ
  - हाई-स्पीड रेल परियोजनाएँ
  - प्रतिबद्ध माल ढुलाई लाइनें
  - डिब्बे और लोकोमोटिव्स/कोच विनिर्माण और रख-रखाव सुविधाएँ;
  - रेलवे विद्युतीकरण
  - सिग्नल प्रणालियाँ
  - माल ढुलाई टर्मिनल
  - यात्री टर्मिनल
  - विद्युतीकृत रेल लाइनों और मुख्य रेलवे लाइन के साथ संपर्क जोड़ने सहित रेलवे लाइन/साइडिंग संबंधी औद्योगिक पार्क में बुनियादी सुविधाएँ
  - मास रेपिड ट्रांसपोर्ट प्रणालियाँ

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production – IIP) किसी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में किसी विशिष्ट अवधि में उत्पादन

19 विधि और न्याय (Law and Justice)

1950 में जब भारतीय संविधान अपनाया गया उस समय, तत्कालीन कानूनों और न्यायालयों की एकीकृत व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। भारतीय गणतंत्र में शामिल अन्य अधिकारों के साथ जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को भी सुनिश्चित किया गया है जिससे सरकार मनमाने ढंग से इनका उल्लंघन न कर सके।

विधि और न्याय मंत्रालय के विभाग

- विधि कार्य विभाग (Department of Legal Affairs)
- विधायी विभाग (Legislative Department)
- न्याय विभाग (Department of Justice)

कानून के स्रोत

भारत में कानून के मुख्य स्रोत संविधान, विधान, विधेयक, परंपरागत कानून और अदालतों के निर्णय पर आधारित कानून हैं।

- संसद, राज्य विधान मंडल और केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभा द्वारा विधान बनाए जाते हैं।
- **उप कानून:** केंद्र/राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों, जैसे- नगर निगमों, नगरपालिकाओं, ग्राम पंचायतों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा बनाए जाते हैं। ये उप कानून या तो संसद या राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभा द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत बनाए जाते हैं।
- उच्चतम न्यायालय के निर्णय देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं।
- अदालतें स्थानीय रीति-रिवाज और परंपराओं को भी मान्यता देती हैं एवं निर्णय लेते समय इन्हें ध्यान में रखती हैं, बशर्ते ये विधान, नैतिकता आदि के विरुद्ध न हों।

न्याय डिलीवरी और कानूनी सुधारों के लिये राष्ट्रीय मिशन

अगस्त 2011 में दो लक्ष्यों को हासिल करने के लिये न्याय डिलीवरी और कानूनी सुधारों से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। इसके लक्ष्य:

- न्याय में देरी तथा लंबित मामलों की संख्या में कमी लाना एवं न्याय की पहुँच को सहज बनाना।
- न्याय प्रणाली में संरचनात्मक बदलावों के माध्यम से और निष्पादित मानकों एवं क्षमताओं को तय करके ज़िम्मेदारी में वृद्धि करना।

इस मिशन के अंतर्गत पाँच रणनीतिक चरणों का अनुसरण किया जा रहा है:

1. नीति और विधायी बदलावों का प्रारूप तैयार करना।
2. अदालती प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करना।
3. मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
4. बेहतर न्याय व्यवस्था के लिये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी व उपकरणों का लाभ उठाना।
5. आधारभूत संरचना में सुधार लाना।

- इस मिशन के तहत लंबित मामलों में कमी लाने के लिये एक समायोजित पहल को स्वीकार किया गया है।
- इनमें कंप्यूटरीकरण समेत न्यायालयों के लिये बेहतर बुनियादी सुविधाएँ, अत्यधिक याचिका वाले क्षेत्रों में निचली अदालतों की संख्या में वृद्धि करना शामिल है।
- इस मिशन के अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिये भी एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया है।
- न्यायिक सुधारों का एक महत्त्वपूर्ण पहलू लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिये अदालती प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करने से संबंधित है।
- उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (National Court Management Systems –NCMS) की एक व्यापक योजना को तैयार कर अधिसूचित किया है।
- एन.सी.एम.एस. के अंतर्गत न्यायालय उत्कृष्टता के एक राष्ट्रीय ढाँचे को तैयार किया गया है जो गुणवत्ता, प्रतिक्रियाशीलता और समयबद्धता के मुद्दों का समाधान करते हुए न्यायालय के प्रदर्शन के लिये मापयोग्य मानक स्थापित करेगा।

21वाँ विधि आयोग

केंद्र सरकार ने भारत के 21वें विधि आयोग का गठन किया है। इसका कार्यकाल 1 सितंबर, 2015 से 31 अगस्त, 2018 तक है। इससे पूर्व न्यायमूर्ति ए.पी.शाह की अध्यक्षता वाले 20वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2015 को समाप्त हुआ। वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ. बलबीर सिंह चौहान हैं।

विधि आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और यह एक गैर-सांविधिक निकाय (Non-Statutory Body) है जो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के समन्वय में तथा उसके सामान्य निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है।

हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम

भारत में विवाह दो विवाह अधिनियमों में से किसी एक अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जा सकता है– हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या विशेष विवाह अधिनियम, 1954। हिंदू विवाह के पक्ष अविवाहित या तलाकशुदा होने चाहियें या यदि पहले विवाह हो गया है तो उस विवाह के समय पहली पत्नी या पति जीवित नहीं होने चाहियें। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। विशेष विवाह अधिनियम विवाह अधिकारी द्वारा विवाह संपन्न करने तथा पंजीकरण करने की व्यवस्था करता है।

- हिंदू विवाह अधिनियम केवल हिंदुओं के लिये लागू होता है, जबकि विशेष विवाह अधिनियम भारत के सभी नागरिकों के लिये लागू होता है। हिंदू विवाह अधिनियम पहले से संपन्न हुए विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था करता है। इसमें पंजीयक द्वारा विवाह संपन्न करने की व्यवस्था नहीं है।
- विशेष विवाह अधिनियम विवाह अधिकारी द्वारा विवाह संपन्न करने तथा पंजीकरण करने की व्यवस्था करता है।

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत

विवाह के लिये पक्षों को, उस पंजीयक के पास आवेदन करना होता है जिसके क्षेत्राधिकार में विवाह संपन्न किया जाना है या जिस पंजीयक के क्षेत्राधिकार में विवाह का कोई पक्ष विवाह से ठीक पहले लगातार छः माह तक रह रहा हो। दोनों पक्षों को पंजीयक के पास विवाह के एक माह के भीतर अपने माता-पिता या अभिभावकों या अन्य गवाहों के साथ उपस्थित होना होता है।

विशेष विवाह अधिनियम के तहत

- प्रयोजनार्थ विवाह के पक्ष में जिस विवाह अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आते हों, सूचना की तारीख के पहले 30 दिनों तक कम-से-कम एक पक्ष उसके क्षेत्राधिकार में रहा होना चाहिये। इसकी सूचना (Notice) उसके कार्यालय में किसी सुस्पष्ट जगह पर लगी होनी चाहिये। यदि कोई एक पक्ष दूसरे विवाह अधिकारी के क्षेत्र में रह रहा है तो इसी प्रकार के प्रकाशन के लिये उस सूचना की प्रति उसके पास भेज दी जानी चाहिये।
- यदि किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की जाती है तो सूचना प्रकाशित होने के एक माह के बाद विवाह संपन्न किया जा सकता है।
- यदि कोई आपत्ति प्राप्त की जाती है तो विवाह अधिकारी को इसकी जाँच करनी होती है और यह निर्णय लेना होता है कि या तो विवाह संपन्न किया जाए या इससे इनकार किया जाए। पंजीकरण विवाह संपन्न होने के बाद किया जाता है।
- शर्तों के अध्याधीन 30 दिनों की सार्वजनिक सूचना देने के पश्चात् विशेष विवाह अधिनियम के अधीन पहले से संपन्न किये गए विवाह का भी पंजीकरण किया जा सकता है।

आयकर अपीलीय अधिकरण

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 यह व्यवस्था करती है कि केंद्र सरकार उक्त अधिनियम में प्रदत्त कार्यों को पूरा करने तथा शक्तियों के उपयोग हेतु, जैसा उपयुक्त समझे कई न्यायिक सदस्यों और लेखाकार सदस्यों वाला एक अपीलीय अधिकरण गठित कर सकती है।
- आयकर अधिनियम, 1961 में यह व्यवस्था की गई है कि अधिकरण का न्यायिक सदस्य वह व्यक्ति होगा जो भारत के न्यायिक कार्यालय में लगभग 10 वर्ष तक पदासीन रहा हो या केंद्रीय विधिक सेवा का सदस्य हो और उस सेवा में ग्रेड-II पद पर रहा हो अथवा 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।
- अधिकरण में एक अध्यक्ष के अलावा 10 उपाध्यक्ष होते हैं।

लोक अदालत

- कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के द्वारा लोक अदालतों का गठन जनता के न्यायालय के रूप में किया गया है।
- लोक अदालतों द्वारा दिये गए फैसले की वही मान्यता है जो किसी दीवानी अदालत के द्वारा दिये गए फैसले की होती है। यह निर्णय अंतिम सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है और इसके ख़िलाफ कहीं भी कोई अपील नहीं की जा सकती है।
- लोक अदालतों के अंतर्गत आने वाले मामले इस प्रकार हैं–
  - वैवाहिक/पारिवारिक मामले;
  - वाहन दुर्घटना मुआवज़ा मामले;
  - भूमि अधिग्रहण;
  - शमनीय आपराधिक मामले;
  - श्रम विवाद;
  - बैंक रिकवरी के मामले;
  - मोबाइल कंपनियों के मामले;
  - पेंशन मामले;
  - कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले;
  - उपभोक्ता मामले;
  - बिज़ली के मामले;
  - टेलीफोन बिल के विवाद;
  - गृह कर मामले।
- नालसा **'न्याय दीप'** के नाम से एक समाचार पत्र प्रकाशित करता है जिसका उद्देश्य देश भर के विधिक सेवाओं के कार्यकर्ताओं के बीच एक स्वस्थ कार्य संबंधों को बढ़ावा देना है।
- 42वें संविधान संशोधन के आधार पर लोक अदालतों का गठन किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत आर्थिक न्याय की अवधारणा शामिल की गई है।
- 9 नवंबर, 1995 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 लागू हुआ और विधिक सहायता एवं स्थायी लोक अदालतें अस्तित्त्व में आईं।

20 श्रम, कौशल विकास और रोज़गार
(Labour, Skill Development and Employment)

भारत में 'श्रम नीति' नियोजित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुई है। इसके दो प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- औद्योगिक शांति बनाए रखना,
- श्रमिकों के कल्याण को प्रोत्साहन देना।

श्रम सुधार के अंतर्गत श्रमिकों को

- कार्यकुशल बनाना
- प्रशिक्षण देना
- तकनीकी दक्षता सुधार
- नेतृत्व गुण विकसित करना
- श्रम कानूनों में सुधार करना शामिल है।

न्यूनतम मज़दूरी (संशोधन) अधिनियम, 2016

- अकुशल और गैर कृषि कामगारों के लिये राशि ₹246 से बढ़ाकर ₹350 प्रतिदिन कर दी गई है।
- न्यूनतम मज़दूरी में 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

कौन तय करता है न्यूनतम मज़दूरी?

श्रम, संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अत: केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों हेतु न्यूनतम मज़दूरी तय करती हैं।

न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948

- यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे उन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये बनाया गया जो कम शिक्षित होने के कारण आसानी से शोषण के शिकार हो जाते हैं।
- यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत अनुसूचित रोज़गारों में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम मज़दूरी के निर्धारण, समीक्षा, संशोधन और कार्यान्वयन की व्यवस्था करता है।
- मज़दूरों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के लिये केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महँगाई भत्ता (Variable Dearness Allowance–VDA) लागू किया है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी है।
- केंद्र सरकार श्रमिकों की मज़दूरी का निर्धारण राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग की सिफारिश के आधार पर करती है।
- 1948 में उचित मज़दूरी तय करने के लिये त्रिपक्षीय समिति बनाई गई थी। इस समिति ने वेतन या मज़दूरी को 3 श्रेणियों में बाँटा था-

1. जीने के लिये मज़दूरी: मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, स्वास्थ्य एवं बुढ़ापे की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, अनिवार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति व कुछ दुर्घटना संबंधी बीमा।
2. उचित मज़दूरी: बीच की कड़ी परंतु जीवनयापन मज़दूरी से कम।
3. न्यूनतम मज़दूरी: जीवन-रक्षण के साथ-साथ शिक्षा, चिकित्सा जैसे साधनों की क्षमता का निर्माण करना।

वेतन भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2016

- इस विधेयक के तहत मूल कानून (1948) की धारा 6 में संशोधन का प्रस्ताव है जिससे नियोक्ता अपने कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान चेक से या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनके बैंक खाते में डालकर कर सकेंगे।
- केंद्र सरकार वेतन भुगतान के बारे में रेलवे, हवाई परिवहन, तेल क्षेत्र, खान एवं स्वयं के प्रतिष्ठानों के मामले में नियम बना सकती है। अन्य मामलों में राज्यों को फैसला करना है।
- इस कानून के अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिनका वेतन ₹18,000 तक है।

वेतन भुगतान अधिनियम, 1936

इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वेतन का भुगतान समय पर किया जाए एवं वेतन से अधिकृत कटौतियों के अतिरिक्त कोई अन्य कटौती न की जाए।

वेतन बोर्ड

- यह वेतन निर्धारण से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा गठित बोर्ड है। वेतन बोर्ड त्रिपक्षीय है-

  (i) श्रमिक (ii) नियोक्ता (iii) स्वतंत्र सदस्य
- समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के पत्रकार तथा गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग को छोड़कर अन्य सभी वेतन आयोग सांविधिक हैं।

ठेका मज़दूर

ठेका मज़दूर (नियमन तथा उन्मूलन) संशोधन अधिनियम, 2016

सरकार ने 1970 के ठेका मज़दूरी केंद्रीय कानून के 25वें कानून में संशोधन कर प्रत्येक मज़दूर की प्रतिमाह की मज़दूरी ₹10,000 नियत की है।

- वर्ष 1970 में ठेका मज़दूर (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम को लागू किया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में कौशल विकास

इस योजना के लिये केंद्र द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता देने का प्रावधान शामिल किया गया है, जिसके मुख्य घटक इस प्रकार हैं:

- 20 आई.टी.आई. संस्थानों को अपग्रेड करके प्रत्येक संस्थान में तीन नये व्यवसाय शुरू किये गए हैं।
- 28 आई.टी.आई. संस्थानों में मूलभूत ढाँचागत सुविधाओं, जैसे-नये छात्रावास, संस्थान की मरम्मत, पुराने और खराब उपकरणों को बदलना आदि कार्य किये गए हैं।

46वाँ भारतीय श्रम सम्मेलन

20 जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन (Indian Labour Conference – ILC) का उद्घाटन किया और नेशनल कॅरियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ईएसआईसी के सुधार की पहल-ईएसआईसी 2.0 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कर्मचारी और नियोक्ता के बीच एक परिवार की तरह संबंध विकसित करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कहा कि इससे न केवल देश की अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी, बल्कि उद्यमियों और कामगारों, दोनों की खुशहाली भी सुनिश्चित होगी।

प्रमुख बिंदु

- इस पोर्टल के ज़रिये बेरोज़गार युवा पूरे देश में कहीं भी अपनी पसंद के अनुसार नौकरी तलाश सकेंगे, जबकि श्रम बाज़ार में आने वाले युवा भी अपने कॅरियर से संबंधित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।
- यह पोर्टल नेशनल कॅरियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहत काम करेगा, जिसका उद्देश्य सरकार के सभी रोज़गार केंद्रों की सूचना का आदान-प्रदान करना होगा। इस पोर्टल से राज्य सरकारें, परीक्षा संस्थाएँ, विनिर्माण और उद्योग संघ, भर्ती करने वाली निजी व सरकारी संस्थाएँ भी जुड़ेंगी।
- इस पोर्टल पर पंजीकरण के लिये कोई शुल्क नहीं।
- बेरोज़गार युवाओं को इसके लिये पहल पोर्टल पर पहले अपना लॉग इन अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिये आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र को इसके साथ लिंक करना होगा।
- बेरोज़गार युवाओं के अतिरिक्त अशिक्षित, पूर्व सैनिक और वरिष्ठ नागरिकों को भी इस पोर्टल से सुविधा मिलेगी। पहले चरण में देश के 100 रोज़गार कार्यालयों के आधुनिकीकरण का फैसला किया गया और इसके लिये ₹ 190 करोड़ आवंटित किये गए।
- नौकरी चाहने वालों के अलावा इस पोर्टल पर छात्रों को कॅरियर काउंसलिंग भी दी जाएगी। इस पोर्टल से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के नियोक्ता सीधे जुड़े होंगे। इसके साथ परोक्ष नियोक्ता जैसे स्टाफिंग एजेंसियाँ और कौशल निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोग और प्रशिक्षक भी इस पोर्टल का हिस्सा होंगे।
- इस पोर्टल का उद्देश्य देशभर के विभिन्न रोज़गार कार्यालयों में पहले से पंजीकृत दो करोड़ लोगों और नौ लाख संस्थाओं और कंपनियों को इस पोर्टल पर लाना है।
- वर्तमान में देश में 978 रोज़गार कार्यालयों में 4.4 करोड़ लोग पंजीकृत हैं।

1396 सरकारी आई.टी.आई. का सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा उन्नयन

- इसके तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी द्वारा 1396 सरकारी आई.टी. आई. के उन्नयन को व्यवस्थित करने के लिये कुल ₹ 3550 करोड़ का आवंटन किया गया है जिससे आई.टी.आई. के विद्यार्थियों को नौकरी के लिये तैयार करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसका प्रारूप और प्रशिक्षण का वितरण बाज़ार की मांग के अनुसार होगा।
- ₹ 2.5 करोड़ तक के ब्याज मुक्त ऋण तुरंत केंद्र सरकार द्वारा उद्योगों की साझेदारी में दिये जाएंगे।
- आई.टी.आई. में 20 प्रतिशत दाखिले पर संस्थान व्यवस्थापक तथा अन्य पर राज्य सरकार का अधिकार होगा।

राष्ट्रीय रोज़गार सेवा

- राष्ट्रीय रोज़गार सेवा (National Employment Service – NES) बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने में सहायता प्रदान करने वाली संस्था है।
- प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दिसंबर 2010 तक इसके 969 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज थे। एक्सचेंज नियोक्ता द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर विशेष समूह अर्थात् विकलांग, विकलांगता पूर्व सेवाकर्मी, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं इत्यादि सभी बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने में सहायता करते हैं।
- एन.ई.एस. अन्य कार्य, जैसे-व्यावसायिक परामर्श, रोज़गार सलाह, रोज़गार की सूचनाओं का प्रसार एवं समन्वय आदि का कार्य भी करती है।
- यह रोज़गार हेतु नीतियाँ बनाने के लिये, आँकड़े उपलब्ध करवाने के लिये रोज़गार एवं व्यावसायिक अनुसंधान के क्षेत्र में अध्ययन भी करवाती है।
- एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अधिनियम, 1959 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों तथा निजी क्षेत्र में ऐसे गैर कृषि प्रतिष्ठान जिनमें 25 या उससे ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत हों, रिक्तियों की सूचना एक्सचेंज में दी जाती है तथा अधिनियम द्वारा निर्धारित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के रोज़गार इच्छुकों के लिये पंजीकरण सलाह, भर्ती पूर्व सलाह, आत्मविश्वास निर्माण प्रशिक्षण, तथा टंकण और आशुलेखन में विशेष कोचिंग उपलब्ध कराई जा रही है।
- इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को कंप्यूटर प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

21 जन संचार (Mass Communication)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की एक शाखा है जो सूचना, प्रसारण, प्रेस और फिल्मों से संबंधित नियमों, विनियमों और कानूनों के निर्माण और प्रशासन की शीर्ष निकाय है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की प्रसारण शाखा प्रसार भारती के लिये भी उत्तरदायी है।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, प्रकाशन, विज्ञापन जैसे जनसंचार के साधनों और संचार के पारंपरिक तरीकों, जैसे नाटक, संगीत और नृत्य के माध्यम से लोगों को सूचना उपलब्ध कराने में प्रभावी भूमिका निभाता है।
- मंत्रालय लोगों को राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निरक्षरता खत्म करने जैसे मुद्दों के अलावा महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों से जुड़े मुद्दों के प्रति जागरूक करने का भी काम करता है।

कार्य

- लोगों को आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से समाचार सेवा प्रदान करना।
- फिल्मों का आयात और निर्यात करना।
- फिल्म उद्योग की सहायता और विकास करना।
- इस प्रयोजन के लिये फिल्म समारोहों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का आयोजन करना।
- विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का प्रबंधन।
- प्रेस को भारत सरकार की नीतियों से अवगत कराना और नीतियों के बारे में फीड-बैक लेना। प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के अंतर्गत समाचार पत्रों का प्रबंधन करना।
- भारत से संबंधित जानकारी को देश के बाहर और भीतर, प्रकाशन के माध्यम से प्रसारित करना।
- मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की सहायता हेतु शोध, संदर्भ और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना ताकि वो अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें।
- पारस्परिक संचार और जानकारी के लिये पारंपरिक लोक कला रूपों का प्रयोग करना।
- सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रचार अभियान चलाना।
- सूचना और मास मीडिया के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

सूचना खंड | प्रसारण खंड | फिल्म खंड | एकीकृत वित्त खंड

प्रसार भारती

- 23 नवंबर, 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया।
- प्रसार भारती देश का लोक सेवा प्रसारक है। इसके दो मुख्य घटक आकाशवाणी एवं दूरदर्शन हैं।
- प्रसार भारती का मुख्य उद्देश्य रेडियो और दूरदर्शन पर संतुलित प्रसारण का विकास सुनिश्चित करके लोगों को शिक्षित, सूचित व उनका मनोरंजन करना है।

उद्देश्य

- देश की एकता, अखंडता और संविधान द्वारा स्थापित मूल्यों को बनाए रखना। लोकहित के सभी मामलों की सूचना नागरिकों को प्रदान करना।
- शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना।
- महिलाओं से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ-साथ बच्चों, वृद्धों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिये विशेष कदम उठाना।
- विभिन्न संस्कृतियों, खेलों और युवा मामलों पर पूरा ध्यान देना।
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और कमज़ोरों एवं अल्पसंख्यकों तथा आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना।
- प्रसारण तकनीक की सुविधाओं के विकास, विस्तार और शोध को बढ़ावा देना।

प्रसार भारती बोर्ड

- प्रसार भारती, प्रसार भारती बोर्ड द्वारा संचालित होता है जिसमें एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य (मुख्य कार्यकारी अधिकारी), सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक), छः अंशकालिक सदस्य, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के महानिदेशक पदेन सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं।
- प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष एक अंशकालिक सदस्य होता है जिसका कार्यकाल तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक होता है और कार्यकारी सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होता है जिसका कार्यकाल 5 साल या 65 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक होता है। बोर्ड के अन्य सदस्य (वित्त एवं कार्मिक) भी पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक होता है।
- फरवरी 2016 से मशहूर सिने अभिनेत्री काजोल और गायक अनूप जलोटा को इसका अंशकालिक सदस्य बनाया गया है।

22 आयोजना (Planning)

नीति आयोग

भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति (National Institution for Transforming India – NITI) आयोग नामक नया संस्थान बनाया है। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएँ प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग, केन्द्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक महत्त्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा।

इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर, अन्य देशों की बेहतरीन पद्धतियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल होंगे। 15 मार्च, 1950 को जिस प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग की स्थापना की गई थी, उसके स्थान पर नया प्रस्ताव लाया गया है। सरकार ने यह कदम राज्य सरकारों, विशेषज्ञों तथा प्रासंगिक संस्थानों सहित सभी हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद उठाया है।

प्रमुख कार्य

- विकास प्रक्रिया में निर्देश और रणनीतिक परामर्श देना।
- केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एकपक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्त्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत् भागीदारी से बदलना।
- राज्यों के साथ सतत् आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देगा।
- ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिये तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुँचाएगा।
- आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा।
- इसके अतिरिक्त आयोग कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिये प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ज़ोर देगा।

प्रमुख उद्देश्य

- नए भारत को प्रशासनिक परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें एक सक्षमकारी सरकार बनाना निर्धारित करना।
- खाद्य सुरक्षा से आगे बढ़कर कृषि उत्पादन के मिश्रण तथा किसानों को उनकी उपज से मिलने वाले वास्तविक लाभ पर ध्यान केन्द्रित करना।
- समान विचार वाले वैश्विक मुद्दों, विशेषकर जिन क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है, पर बहसों और विचार-विमर्शों में एक सक्रिय भूमिका निभाना।
- आर्थिक रूप से जीवंत मध्यवर्ग की भागीदारी बनाए रखने के लिये इसकी क्षमता का पूर्ण दोहन सुनिश्चित करना।
- उद्यमशीलता, वैज्ञानिक और बौद्धिक मानव पूंजी के भारत के भंडार का लाभ उठाना।
- प्रवासी भारतीय समुदाय की भौगोलिक-आर्थिक और भौगोलिक-राजनीतिक शक्ति को शामिल करना।
- आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल से संपूर्ण और सुरक्षित आवास सुविधा के लिये अवसर के रूप में शहरीकरण का इस्तेमाल करना।
- शासन में जटिलता और परेशानियों की संभावनाओं को कम करने के लिये प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।

नियुक्तियाँ

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुक्त अर्थव्यवस्था को समर्थन देने वाले अर्थशास्त्री अरविंद पनगढ़िया को योजना आयोग के स्थान पर गठित नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।
  - **उपाध्यक्ष:** अरविंद पनगढ़िया, अर्थशास्त्री।
  - **पूर्णकालिक सदस्य:** बिबेक देबरॉय, अर्थशास्त्री; डॉ. वी.के. सारस्वत, पूर्व सचिव रक्षा (आरएंडडी) तथा इसरो के पूर्व चेयरमैन।
  - **पदेन सदस्य:** राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुरेश प्रभु, राधा मोहन सिंह (सभी केंद्रीय मंत्री)।
  - **विशेष आमंत्रित सदस्य:** नितिन गडकरी, थावरचंद गहलोत, स्मृति जुबीन ईरानी (सभी केंद्रीय मंत्री)।
  - **मुख्य कार्यकारी अधिकारी:** अमिताभ कांत

इनके अलावा आयोग की एक संचालन परिषद् होगी जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल इसके सदस्य होंगे। परिषद् केन्द्र और राज्यों के साथ मिलकर सहयोगात्मक संघवाद का एक राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करेगी। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट क्षेत्रीय परिषदें भी होंगी। प्रधानमंत्री द्वारा आयोग में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और जानकारों को भी विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर नामित किया जाएगा।

नीति आयोग सहकारी संघवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने, अवसरों तक समतावादी पहुँच, प्रतिभागी एवं अनुकूलनीय शासन और विकसित हो रही प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग के ज़रिये शासन प्रक्रिया को महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश और कार्यनीति में योगदान देगा। सहकारी संघवाद, अवसरों के प्रति समतावादी एवं समावेशी पहुँच, प्रौद्योगिकी का समुचित उपयोग एवं सहभागी शासन पर आधारित आर्थिक विकास पर ज़ोर देते हुए नीति आयोग महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं सरकार तथा शासन प्रक्रिया को कार्यनीतिक योगदान प्रदान करेगा।

पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियाँ

योजना	लक्ष्य	उपलब्धि	केंद्रीय बिंदु
पहली योजना	2.1	3.50	कृषि विकास पर बल।
दूसरी योजना	4.5	4.21	आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास।
तीसरी योजना	5.6	2.8	आत्म-निर्भरता व स्वत: स्फूर्ति अर्थव्यवस्था।
चौथी योजना	5.7	3.2	स्थिरता के साथ आत्म-निर्भरता।
पाँचवीं योजना	4.4	4.7	निर्धनता उन्मूलन तथा आत्म-निर्भरता।
छठी योजना	5.2	5.4	गरीबी निवारण तथा रोज़गार सृजन।
सातवीं योजना	5.0	5.6	कृषि एवं विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति।
आठवीं योजना	5.6	6.5	आर्थिक समृद्धि, रोज़गार एवं उदारीकरण।
नौवीं योजना	6.5	5.5	मानव विकास पर बल।
दसवीं योजना	8.0	7.7	सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास
ग्यारहवीं योजना	9.0	8.0	तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर।
बारहवीं योजना	8.0	–	तीव्रतर, सतत् और समावेशी विकास

नोट: पहली तीन योजनाओं के लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किये गए थे। चौथी योजना का लक्ष्य शुद्ध घरेलू उत्पाद के संदर्भ में था। इसके बाद की सभी योजनाओं के लक्ष्य सकल उत्पाद के संदर्भ में रहे।

सतत् विकास लक्ष्य

'2015 पश्चात् विकास एजेंडा' अंगीकृत करने के लिये 25 से 27 सितंबर तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक के तौर पर 70वाँ संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन और महत्त्वाकांक्षी '2015 पश्चात् विकास एजेंडा' अंगीकृत किये जाने के समय इस उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। नए एजेंडा के निर्णायक दस्तावेज़ को औपचारिक तौर पर अंगीकृत करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के इस सतत् विकास शिखर सम्मेलन में दुनिया भर से 150 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया।

193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस नई रूपरेखा 'अपनी दुनिया में बदलाव: टिकाऊ विकास के लिये 2030 का एजेंडा' को अंगीकार किया। इसमें अगले 15 साल के लिये 17 'लक्ष्य' और 169 'प्रयोजन' तय किये गए हैं। साथ ही P5 (People, Planet, Peace, Prosperity and Partnership) पर ज़ोर दिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030

- गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति।
- भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
- सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
- समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
- लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। सभी के लिये स्वच्छता और पानी के सतत् प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना। सभी के लिये निरंतर समावेशी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोज़गार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।
- लचीले बुनियादी ढाँचे, समावेशी और सतत् औद्योगीकरण को बढ़ावा। देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।
- सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण। स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
- जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्यवाही करना। स्थायी सतत् विकास के लिये महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
- सतत् उपयोग को बढ़ावा देने वाली स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव-विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
- सतत् विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेहपूर्ण बनाना ताकि सभी के लिये न्याय सुनिश्चित हो सके।
- सतत् विकास के लिये वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को मज़बूत बनाना।

सतत विकास लक्ष्य सूचकांक (आयोग)

20 जुलाई, 2016 को 'सतत् विकास समाधान नेटवर्क (एसडीएसएन) तथा बर्टल्समैन स्टिफ्टंग संगठनों द्वारा पहला 'सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक और हैशबोर्ड-एक ग्लोबल सिपोर्ट जारी किया गया है। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों में से 149 देशों के सतत् विकास कार्य संपादन की वर्तमान स्थिति के आँकड़ों के आधार पर जारी किया गया है। इन सतत् विकास लक्ष्यों के मुख्य तीन आयाम हैं- आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन एवं पर्यावरण वहनीयता।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्वीडन है तथा 149वें स्थान पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है।
- भारत इस सूचकांक में 110वें स्थान पर है।
- प्रथम पाँच देश यूरोप के छोटे देश हैं तथा प्रथम तीन पर स्कैंडिनेवियन देश (स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे) है।
- सतत् विकास लक्ष्यों के संदर्भ में सबसे अच्छी स्थिति यूरोप महाद्वीप की एवं सबसे खराब स्थिति-अफ्रीका महाद्वीप की है।
- ब्रिक्स समूह में सबसे निचले पायदान पर भारत है।

23

ग्रामीण और शहरी विकास
(Rural and Urban Development)

भूमिका

ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन के लिये नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना भारत में नियोजित विकास का प्राथमिक उद्देश्य रहा है। विकास की नीतियाँ बनाने में मुख्य रूप से गरीबी उन्मूलन, अज्ञानता दूर करने, रोग उन्मूलन, असमानता को दूर करने और अवसरों की उपलब्धता पर बल दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम संचालित कर रहा है जिनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोज़गार सृजन, बुनियादी ढाँचे का विकास तथा सामाजिक सुरक्षा है।

- ग्रामीण विकास का अभिप्राय एक ओर जहाँ लोगों का बेहतर आर्थिक विकास करना है वहीं दूसरी ओर वृहत् सामाजिक कायाकल्प भी करना है।
- ग्रामीण लोगों को आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाएँ मुहैया कराने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की उत्तरोत्तर भागीदारी सुनिश्चित करने, योजना का विकेन्द्रीकरण करने, भूमि सुधार को बेहतर ढंग से लागू करने और ऋण प्राप्ति का दायरा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।
- अक्तूबर 1974 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आया। 18 अगस्त, 1979 को ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़ाकर उसे ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का नाम दिया गया।
- 23 जनवरी, 1982 को इस मंत्रालय का नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। जनवरी 1985 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिर से कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में बदल दिया गया जिसे बाद में, सितम्बर 1985 के दौरान कृषि मंत्रालय का नाम दिया गया।
- 5 जुलाई, 1991 को इस विभाग को पुन: ग्रामीण विकास मंत्रालय का दर्जा दिया गया। 2 जुलाई, 1992 को इस मंत्रालय के अधीन बंजर भूमि विकास विभाग के नाम से एक और विभाग का गठन किया गया। मार्च 1995 के दौरान इस मंत्रालय का पुन: नाम बदलकर ग्रामीण क्षेत्र तथा रोज़गार मंत्रालय रखा गया और इसमें तीन विभाग शामिल किये गए यथा - ग्रामीण रोज़गार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा बंजर भूमि विकास विभाग।
- वर्ष 1999 में ग्रामीण क्षेत्र तथा रोज़गार मंत्रालय का एक बार फिर नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय रखा गया। यह मंत्रालय व्यापक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करके ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने के उद्देश्य से एक उत्प्रेरक मंत्रालय का कार्य करता आ रहा है।
- इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोज़गार सृजन, अवसंरचना विकास तथा सामाजिक सुरक्षा है। समय के साथ- साथ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर तथा गरीब लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए कई कार्यक्रमों में संशोधन किये गए और नए कार्यक्रम लागू किये गए।
- इस मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को दूर करना तथा ग्रामीण आबादी विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को बेहतर जीवन स्तर मुहैया कराना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति ग्रामीण जीवन और कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रमों को तैयार करके, उनका विकास करके तथा उनका कार्यान्वयन करके की जाती है।
- इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि आर्थिक सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर के लिये महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक अवसंरचना के पाँच कारकों की पहचान की गई। ये कारक इस प्रकार हैं- स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास तथा सड़क।
- इन क्षेत्रों में किये जा रहे प्रयासों को और बढ़ाने के लिये सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना (PMGY) शुरू की और ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस योजना के निम्नलिखित भागों को कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा गया- पेयजल आपूर्ति, आवास निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना।
- ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण ग्रामीण भारत के विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाना भारत सरकार का मुख्य दायित्व रहा है। इसलिये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में महिलाओं के योगदान का भी प्रावधान किया गया है ताकि समाज के इस वर्ग के लिये पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की जा सके।
- 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में महिलाओं के लिये ग्रामीण पंचायतों में चुनिंदा पदों पर आरक्षण की व्यवस्था है। भारत के संविधान में आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार करके निष्पादित करने का दायित्व पंचायतों को सौंपा गया है; और कई केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ पंचायतों के ज़रिये कार्यान्वित की जा रही हैं। इस प्रकार, पंचायतों की महिला सदस्यों और महिला अध्यक्षों, जो बुनियादी रूप से पंचायतों की नई सदस्य हैं, को अपेक्षित कौशल प्राप्त करना होगा और उन्हें नेतृत्व का निर्वाह करने तथा निर्णय में सहभागी होने के लिये अपनी उचित भूमिकाओं को निभाने हेतु उचित प्रशिक्षण देना होगा।

- दिल्ली को एक स्मार्ट सिटी और अमृत योजना के तहत एक शहर मिला है।
- केन्द्र सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुसार पश्चिम बंगाल और राजस्थान में चार-चार, बिहार, आंध्र प्रदेश और पंजाब में तीन-तीन, ओडिशा, हरियाणा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में दो-दो तथा जम्मू-कश्मीर, केरल, झारखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में एक-एक स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी।

विश्व के प्रमुख स्मार्ट शहर

हांगकांग: घर में प्रवेश, शॉपिंग, सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल, कार पार्किंग और लाइब्रेरी में प्रवेश सहित कई अन्य सेवाओं के लिये नागरिकों के पास एक ही स्मार्ट कार्ड।

पेरिस: सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया। बाइक और कार पूलिंग सेवाओं की शुरुआत की। पुराने डीज़ल-पेट्रोल वाहन बेचने पर प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की। सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध। अधिकारियों, सेवाओं, योजनाओं की ऑनलाइन शिकायत और निस्तारण की भी व्यवस्था।

टोक्यो: पैनासोनिक और एसेंचर सहित अन्य कंपनियों के साथ मिलकर सौर पैनल और कम बिजली की खपत करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस ऐसे घरों का निर्माण किया जा रहा है, जो एक ही ग्रिड से जुड़े होंगे। सौर ऊर्जा से चालित वाहनों की खरीद को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बोस्टन: यातायात प्रबंधन के लिये जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। स्मार्टफोन एप पर लोग जाम वाली सड़कों की जानकारी देते हैं। इस आधार पर लोगों को बताया जाता है कि संबंधित जगह पर जाम कितनी देर में खत्म होगा।

रियो डि जेनेरियो: आईबीएम की मदद से सेंटर ऑफ ऑपरेशन्स की स्थापना, जिससे 30 शहरों के पुलिस, स्वास्थ्य, ट्रैफिक, बिजली, जल और अग्निशमन विभाग के कर्मी जुड़े हुए हैं। नागरिकों की ओर से किसी भी हादसे, अनहोनी या फॉल्ट की सूचना मिलने पर सेंटर अधिकारियों को तुरंत काम पर लगा देता है।

- अमृत योजना के तहत आंध्र प्रदेश में 31, राजस्थान में 30, पश्चिम बंगाल में 28, बिहार में 27, ओडिशा और हरियाणा में 19-19, केरल में 18, पंजाब में 17, तेलंगाना में 15 और छत्तीसगढ़ में 10 शहरों को चिह्नित किया गया है।
- स्मार्ट सिटी और अमृत योजना में देश के 12 राज्यों की 70 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
- 2022 तक सभी को आवास योजना पर अगले सात वर्षों में ₹3 लाख करोड़ खर्च होने का अनुमान है।
- आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को 15 वर्षों की अवधि में 6.5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- इस सब्सिडी से इस योजना का लाभ उठाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को लगभग ₹ 2.3 लाख का लाभ होगा।
- 2022 तक सबको आवास योजना में सार्वजनिक-निजी साझेदारी के ज़रिये सस्ते मकानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत झुग्गी पुनर्वास कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मकान के लिये ₹ 1 लाख की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।

शिक्षा और रोज़गार

- रोज़गारपरक शिक्षा के लिये कौशल विकास केंद्रों की स्थापना।
- ई-क्लास की स्थापना, एनिमेशन के ज़रिये विज्ञान-गणित जैसे विषय बेहतर ढंग से पढ़ाना।
- उद्योग लगाना, सामानों की निर्बाध बिक्री सुनिश्चित करना, निर्माताओं को उचित दाम दिलाना।

ई-हॉस्पिटल

दवा, इलाज और चिकित्सकीय सलाह ऑनलाइन उपलब्ध कराना, इंटरनेट और स्मार्टफोन के ज़रिये लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक बनाना।

खुली-खुली सोसायटी

- शहरों पर आबादी का दबाव कम करने के लिये आसपास के इलाकों में ग्रीन-फील्ड का निर्माण।
- वायु प्रदूषण नियंत्रित रखने, लोगों को खेलने-कूदने व व्यायाम की सुविधा देने के लिये पार्क, अव्यवस्थित ढंग से विकसित इलाकों को बेहतर ढंग से बसाकर सबको मकान।
- नागरिकों से सलाह-मशविरों के बाद चिह्नित इलाके को खाली कराके तय मापदंड पर विकास किया जाएगा।

ऐसे स्मार्ट बनेंगे शहर

ग्रीनफील्ड

स्मार्ट सिटी में 'ग्रीनफील्ड्स' के लिये कम-से-कम 250 एकड़ जगह चाहिये। इसमें नए सिरे से योजना के साथ शहरों को बसाया जा सकता है। ऐसे शहर के बाहरी इलाकों में जहाँ ज़्यादा निर्माण नहीं हुआ है, ग्रीनफील्ड के लिये चुना जा सकता है। इससे कम इमारतें तोड़नी पड़ेंगी और नए सिरे से योजनाबद्ध शहर का निर्माण किया जा सकता है।

रेट्रोफिटिंग

'रेट्रोफिटिंग' के लिये कम-से-कम 500 एकड़ का क्षेत्र चुनना होगा। इसमें शहर के बीच में ही उस इलाके को स्मार्ट बनाना है। पुरानी ऐतिहासिक

24

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास
(Scientific and Technological Developments)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की विरासत प्राचीन काल से ही समृद्ध रही है। हालाँकि कालक्रम में इस विकास प्रक्रिया में अवरोध आया तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक देश का वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक ढाँचा अन्य विकसित देशों के सापेक्ष कमज़ोर व असंगठित हो चुका था। यही कारण रहा कि हम प्रौद्योगिकी के मामले में अन्य देशों पर आश्रित थे। किंतु पिछले चार दशकों के दौरान भारत अपने राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मज़बूत अधारभूत ढाँचा तैयार करने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण विज्ञान के क्षेत्र में अन्य देशों पर निर्भरता काफी हद तक कम हो गई है।

मई 1971 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई थी। नए क्षेत्रों मे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की गतिविधियों को संगठित, समन्वित और प्रोत्साहित करने के लिये एक नोडल विभाग के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से इस विभाग की स्थापना की गई। विभाग के निम्नलिखित विशिष्ट प्रोजेक्ट और उत्तरदायित्व हैं-

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों के निर्माण।
- कैबिनेट के वैज्ञानिक सलाहकार समिति से संबंधित मामले।
- उभरते क्षेत्रों पर विशेष ज़ोर देने के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निम्नलिखित नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना-
  - अनुसंधान और विकास अनुसंधान संस्थानों या प्रयोगशालाओं के माध्यम से स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास जैव ईंधन के उत्पादन, प्रसंस्करण, मानकीकरण और अनुप्रयोगों के विषय में संबंधित मंत्रालय या विभाग के साथ समन्वय में।
  - भविष्य का पूर्वानुमान लगाने में।
  - समन्वय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के एकीकरण पर क्षेत्रीय संबंधों के लिये, जिनमें बहुत से संस्थानों और विभागों की रुचियाँ और क्षमताएँ हैं।
  - उपक्रम या आर्थिक रूप से प्रायोज्य वैज्ञानिक और तकनीकी सर्वेक्षण, अनुसंधान परिरूप विकास के लिये।
  - समर्थन और सहायता अनुदान वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिक संघों और निकायों में।
- सभी मामलों के विषय में-
  - विज्ञान और इंजीनियरिंग परिषद्।
  - प्रौद्योगिकी विकास बोर्डों और इस तरह के अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम, 1986 के रूप में संबंधित कृत्यों और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1955।
  - विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार की राष्ट्रीय परिषद्।
  - राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यम विकास बोर्ड।
  - अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग, विदेशों में वैज्ञानिकों की नियुक्ति सहित इन कार्यों को विदेश मंत्रालय के सहयोग में प्रयोग किया जाएगा।
  - पेशेवर विज्ञान शिक्षाविद् प्रोत्साहित और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्तपोषित।
  - सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल एटलस और विषयगत मानचित्रण संगठन।
- राष्ट्रीय नवीनता संस्थान, अहमदाबाद।
- मामले जो आमतौर पर वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग, संगठन, संस्थाओं को प्रभावित करते हैं; उदाहरण के तौर पर वित्तीय, व्यक्तिगत, खरीद और आयात नीतियों और प्रथाओं से संबद्ध मामले।
- प्रबंधन सूचना प्रणाली विज्ञान प्रौद्योगिकी और समन्वय के लिये।
- मामले जो अंतर एजेंसी/अंतर-विभागीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन विकसित करने के लिये समन्वय करें।
- घरेलू प्रौद्योगिकी विशेष रूप से व्यवसायीकरण से जुड़े उपक्रमों को बढ़ावा देने से संबंधित मामले।
- अन्य सभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक उपाय और उनके विकास और प्रयोग देश के विकास और सुरक्षा के लिये।
- संस्थागत विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण से संबंधित मामले, जिसमें नए संस्थान और संस्थागत बुनियादी ढाँचे की स्थापना भी शामिल है।
- राज्य, ज़िला और ग्राम स्तर पर संस्थागत विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मामले ज़मीनी विकास के लिये राज्य के विज्ञान, प्रौद्योगिकी परिषदों और अन्य तंत्रों के माध्यम से।
- महिलाओं और समाज के अन्य वंचित वर्गों के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग।

विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति

- जनवरी, 2013 में भारत सरकार द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (Science, Technology and Innovation – STI) नीति की शुरुआत की गई। इसके तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीन अनुसंधानों को बढ़ावा देना शामिल है। इसके लिये विभाग ने अनुसंधान प्रकोष्ठ स्थापित किया है।

- इसरो की दूरस्थ चिकित्सा नेटवर्क सुविधा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के स्वास्थ्य देखभाल में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
- इसरो अंतरिक्ष एजेंसी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसरो ने 2013 में उत्तराखंड राज्य में आई बाढ़ के साथ ही 15 राज्यों में आई बाढ़ से संबंधित सूचनाओं को संबंधित राहत आयुक्त, गृहमंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग तथा आईएमडी को प्रदान किया।
- असम के 15 ज़िलों में बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली कार्य कर रही है। साथ ही, इसने भारतीय महासागरीय क्षेत्र में आने वाले चक्रवात तथा लहरों की भी निगरानी रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने उचित मॉडल का उपयोग करके चक्रवात विशेषज्ञों के अनुमान, अनुवर्तन, गहनता तथा भूस्खलन, वर्षा एवं तूफान का भी अनुमान लगाने में सफलता प्राप्त की है।

एस्ट्रोसैट मिशन

भारत का पहला बहुआयामी तरंगदैर्ध्य आकाश लोचन यान 'एस्ट्रोसैट' ने अपनी कक्षा में 1 साल पूरा कर लिया है।

'एस्ट्रोसैट' के द्वारा अनुसंधानकर्ताओं को दुनियाभर के उपलब्ध आँकड़ों को प्रयोग करने की सुविधा दी जा रही है। 29 सितंबर, 2016 को, पुणे में आयोजित सभागार में इसकी तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया गया।

PSLV द्वारा प्रक्षेपित विभिन्न उपग्रह

प्रक्षेपण यान	तिथि	स्थान	उपग्रह
PSLV D–1	20 सितंबर, 1993	शार, श्रीहरिकोटा	आई.आर.एस. 1ई (असफल)
PSLV D–2	15 अक्तूबर, 1994	शार, श्रीहरिकोटा	आई.आर.एस.पी. 2
PSLV D–3	21 मार्च, 1996	शार, श्रीहरिकोटा	आई.आर.एस.पी. 3
PSLV C–1	29 सितंबर, 1997	शार, श्रीहरिकोटा	आई.आर.एस. 1 डी.
PSLV C–2	26 मई, 1996	शार, श्रीहरिकोटा	ओशनसैट (आई.आर.एस.पी.4)
PSLV C–3	22 अक्तूबर, 2001	शार, श्रीहरिकोटा	टी. ई. एस.
PSLV C–4	12 सितंबर, 2002	शार, श्रीहरिकोटा	मैटसैट (कल्पना 1)
PSLV C–5	17 अक्तूबर, 2003	शार, श्रीहरिकोटा	आई.आर.एस.पी. 6 (रिसोर्ससैट – 1)
PSLV C–6	5 मई, 2005	शार, श्रीहरिकोटा	आई.आर.एस.पी. 5 (कार्टोसैट व हेमसैट)
PSLV C–7	10 जनवरी, 2007	शार, श्रीहरिकोटा	कार्टोसैट – 2
PSLV C–8	23 अप्रैल, 2007	शार, श्रीहरिकोटा	–
PSLV C–9	28 अप्रैल, 2008	शार, श्रीहरिकोटा	कार्टोसैट – 2 ए, आई.एम.एस – 1
PSLV C–10	23 जून, 2008	शार, श्रीहरिकोटा	–
PSLV C–11 (XL)	28 अक्तूबर, 2008	शार, श्रीहरिकोटा	चंद्रयान
PSLV C–12	20 अप्रैल, 2009	शार, श्रीहरिकोटा	रीसैट – 2
PSLV C–14	23 सितंबर, 2009	शार, श्रीहरिकोटा	ओशनसैट – 2
PSLV C–15	12 जुलाई, 2010	शार, श्रीहरिकोटा	कार्टोसैट – 2बी
PSLV C–16	20 अप्रैल, 2011	शार, श्रीहरिकोटा	रिसोर्ससैट – 2, यूथसैट
PSLV C–17 (XL)	15 जुलाई, 2011	शार, श्रीहरिकोटा	जी.एस.ए.टी. - 12
PSLV C–18	12 अक्तूबर, 2011	शार, श्रीहरिकोटा	मेघा ट्रॉपिक्स
PSLV C–19	26 अप्रैल, 2012	शार, श्रीहरिकोटा	रीसैट – 1
PSLV C–21 (XL)	9 सितंबर, 2012	शार, श्रीहरिकोटा	फ्राँस का स्पॉट–6 व जापानी उपग्रह (इसरो का 100वाँ मिशन)
PSLV C–20	25 फरवरी, 2013	शार, श्रीहरिकोटा	सरल
PSLV C–22 (XL)	1 जुलाई, 2013	शार, श्रीहरिकोटा	आई.आर.एन.एस.एस.–1A
PSLV C–25 (XL)	5 नवंबर, 2013	शार, श्रीहरिकोटा	मंगलयान (मॉम)

25 परिवहन (Transport)

- परिवहन देश के आर्थिक विकास और भौतिक संपन्नता का मापदण्ड है। देश के निरंतर विकास में सुचारु और समन्वित परिवहन प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे लोगों एवं वस्तुओं का आवागमन एवं दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ा जा सकता है, औद्योगीकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के साथ राष्ट्रीय एकता तथा शांति को बनाए रखा जा सकता है।
- भारत के परिवहन तंत्र में निम्नलिखित माध्यम शामिल हैं-
  - रेलवे;
  - सड़क;
  - तटवर्ती नौ-संचालन;
  - आंतरिक जलमार्ग;
  - विमान परिवहन।

रेल परिवहन

भारतीय रेल संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन तथा रूस के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह देश में सवारी एवं माल ढुलाई का प्रमुख आधार है। रेलवे द्वारा देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़कर न सिर्फ राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित किया जाता है बल्कि वाणिज्य एवं व्यापार, पर्यटन, शिक्षा आदि क्षेत्रों में भी यह बहुमूल्य योगदान देता है। भारतीय रेल ने राष्ट्रीय एकता को एक सूत्र में पिरोया है और साथ ही कृषि तथा औद्योगिक विकास को तीव्र गति प्रदान की है।

देश में रेल परिवहन का आरंभ वर्ष 1853 में बंबई से थाणे के बीच हुआ। इसके पश्चात् 1854 में कलकत्ता को हुगली से और 1856 में मद्रास को अकार्ट से रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया।

भारतीय रेल को चार गेजों में बाँटा गया है-

1. ब्रॉड गेज/बड़ी लाइन – 1.676 मीटर (चौड़ाई)
2. मीटर गेज – 1 मीटर (चौड़ाई)
3. नैरो गेज/सँकरी लाइन – 0.762 मीटर (चौड़ाई)
4. लिफ्ट गेज – 0.610 मीटर (चौड़ाई)

रेल प्रबंधन

भारतीय रेल का प्रबंधन रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है। रेल नेटवर्क को 17 जोन (Zone) एवं कई मण्डलों/डिवीजन में बाँटा गया है। भारत में निम्नलिखित रेल जोन हैं-

रेलवे जोन	निर्माण तिथि	मुख्यालय
दक्षिण	14.04.1951	चेन्नई
मध्य	05.11.1951	मुंबई (सीएसटी)
पश्चिमी	05.11.1951	मुंबई (चर्चगेट)
उत्तरी	14.04.1952	नई दिल्ली
उत्तर-पूर्वी	14.04.1952	गोरखपुर
दक्षिण-पूर्वी	01.08.1955	कोलकाता
पूर्वी	01.08.1955	कोलकाता
उत्तर-पूर्वी सीमांत	15.01.1958	मालेगाँव (गुवाहाटी)
दक्षिण-मध्य	02.10.1966	सिकंदराबाद
पूर्व-मध्य	01.10.2002	हाजीपुर
उत्तर-पश्चिम	01.04.2003	जयपुर
पूर्वी तट	01.04.2003	भुवनेश्वर
उत्तर-मध्य	01.04.2003	इलाहाबाद
दक्षिण-पूर्व-मध्य	01.04.2003	बिलासपुर
दक्षिण-पश्चिम	01.04.2003	हुबली
पश्चिम-मध्य	01.04.2003	जबलपुर
कोलकाता मेट्रो	29.12.2010	कोलकाता

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के ग्यारह उपक्रम निम्नलिखित हैं-

- रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड (RITES)
- इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (IRCON)
- इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRFC)
- कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CONCOR)
- कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL)
- इंडियन रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC)
- रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Rail Tel)
- मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड (MRVNL)
- रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL)

26

जल संसाधन
(Water Resources)

भारत सरकार का जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय देश के प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल के विकास, संरक्षण एवं प्रबंधन, जल के विविध प्रकार के इस्तेमाल के संदर्भ में उसकी आयोजना एवं समन्वय के समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण, सामान्य नीति, तकनीकी सहायता, अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण एवं सिंचाई तथा बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधित मामलों इत्यादि के लिये उत्तरदायी है।

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को निम्नलिखित विषय आवंटित किये गए हैं

- अंतर्राज्यीय नदियों का विनियमन एवं विकास करना;
- जल-विवाद संबंधी न्यायाधिकरणों के निर्णयों को लागू कराना;
- जल की गुणवत्ता का निर्धारण करना;
- जल संसाधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय, बाहरी सहायता एवं सहयोग देना;
- भारत और पड़ोसी देशों के नदियों से जुड़े सामान्य सुगम बनाना मामलों को देखना।

तथ्य: भारत के पास विश्व की कुल जनसंख्या का 17.84 प्रतिशत एवं विश्व के कुल पशुधन का 15 प्रतिशत भाग है, जबकि इसके विपरीत विश्व के कुल जल संसाधन का मात्र 4 प्रतिशत भाग ही है, जो एक चिंताजनक विषय है।

भारत में जल का प्रमुख स्रोत हिमपात सहित वार्षिक जल वृष्टि (4000 बिलियन क्यूबिक मीटर-बीसीएम) है। मानसून के दौरान अनुमानित तौर पर 3000 बीसीएम वर्षा होती है।

नमामि गंगे कार्यक्रम

केंद्रीय बजट 2014–15 में यह संज्ञान लिया गया कि देश की सामूहिक चेतना में गंगा का खास स्थान है। लेकिन सभी हितधारकों द्वारा गंगा के संरक्षण एवं सुधार के ठोस प्रयासों के अभाव के कारण वांछित परिणाम नहीं मिले। मई 2015 में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के लिये अगले पाँच वर्षों के लिये ₹ 20,000 करोड़ का प्रावधान किया है।

'नमामि गंगे परियोजना' के लिये केंद्र सरकार ने ₹ 2037 करोड़ की धनराशि तथा गंगा के घाटों के निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिये अलग से ₹ 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। यह कार्य केदारनाथ, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और दिल्ली में कराए जाएंगे।

तदनुसार गंगा संरक्षण के दृष्टिकोण से नमामि गंगे परियोजना के तहत भविष्य के ठोस कार्य योजना के लिये चल रहे मौजूदा प्रयासों को मजबूत बनाना होगा। घाटों और नदी तटों के विकास से नागरिकों को जोड़ने की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी और नदी केंद्रित शहरी नियोजन प्रक्रिया का रुख तय किया जाएगा।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने गंगा संरक्षण की चुनौती की बहु-क्षेत्रीय, बहु-आयामी और बहु-हितधारक प्रकृति को समझते हुए निम्नलिखित कार्ययोजना तैयार की है-

- जल संसाधन, गंगा विकास एवं गंगा संरक्षण।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन।
- पोत परिवहन।
- पर्यटन।
- शहरी विकास।
- पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता एवं ग्रामीण विकास।

'नमामि गंगे' कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित किये जाने का प्रस्ताव है

निर्मल धारा-स्थायी नगरपालिका सीवेज प्रबंधन सुनिश्चित करना

- शहरी विकास मंत्रालय के साथ तालमेल बैठाते हुए नमामि गंगे परियोजना को प्राथमिकता देना।
- सीवेज सुविधाओं के लिये केंद्रीय अनुदान की अतिरिक्त हिस्सेदारी प्रदान करके गंगा मेन-स्टेम पर परियोजनाओं को शुरू करने के लिये राज्यों को प्रोत्साहित करना।
- शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 118 शहरी बस्तियों में सीवेज सुविधाओं का विस्तार करने के साथ गंगा तटों के विकास के लिये ₹ 51 हजार करोड़ की लागत अनुमानित है।

निर्मल धारा-ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज प्रबंधन

वर्ष 2022 तक गंगा तट के सभी ग्राम पंचायतों (1,632) को खुले में शौच से मुक्त करने के लिये केंद्र सरकार ने ₹ 1,700 करोड़ का प्रावधान किया है।

निर्मल धारा-औद्योगिक अवशिष्ट प्रबंधन

- जीरो लिक्विड डिस्चार्ज को अनिवार्य बनाना।
- जल शुल्क को तर्कसंगत बनाना, जिससे जल के पुनः प्रयोग को बढ़ावा मिल सके।
- निर्धारित समय पर जल की गुणवत्ता की निगरानी करना।

27

कल्याण (Welfare)

- वर्ष 1985 में भारत सरकार के अंतर्गत कल्याण मंत्रालय का गठन किया गया था। इस मंत्रालय का गठन गृह मंत्रालय के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित विषयों को इसमें हस्तांतरित करने के लिये किया गया था।
- वर्ष 1986 में तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विकलांगों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों को तत्कालीन कल्याण मंत्रालय में शामिल किया गया।
- मई 1998 में कल्याण मंत्रालय का नाम बदलकर **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** कर दिया गया।
- अक्तूबर 1999 में जनजाति विकास प्रभाग को इस मंत्रालय से अलग करते हुए एक पृथक् जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया गया।
- जनवरी 2007 में अल्पसंख्यक प्रभाग के लिये एक पृथक् अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय बनाया गया तथा बाल विकास प्रभाग को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में समाहित कर दिया गया।

अनुसूचित जातियों का कल्याण

अनुसूचित जातियों से संबंधित सांविधिक प्रावधान–

- अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के मद्देनज़र संविधान में कई प्रावधान शामिल किये गए हैं। इनमें से दो अधिनियमों का उद्देश्य अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ छुआछूत और अत्याचार को खत्म करने से संबंधित है।
- अनुसूचित जातियों से संबंधित अधिनियम–
  - नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
  - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

- वर्ष 1978 में श्री भोला पासवान शास्त्री की अध्यक्षता में प्रथम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अंतर्गत वर्ष 2004 में इस आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338-क) में बाँट दिया गया।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा की निगरानी तथा उनके कल्याण से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिये उत्तरदायी है।
- संविधान के अनुच्छेद 338(5) के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निम्नलिखित कार्य में दिये गए हैं–
  - अनुसूचित जातियों के लिये संविधान या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपलब्ध सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना।
  - अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों की जाँच करना।
  - अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेना और सलाह देने के साथ संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना।
  - उन सुरक्षा उपायों की कार्यात्मकता के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग को ठीक लगे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपना है।
  - ऐसी रिपोर्ट में उन सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये संघ या किसी राज्य द्वारा किये जाने वाले उपायों तथा अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये अन्य उपायों की सिफारिश करना।
  - अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा प्रगति के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करें।

बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना

- इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के बालक और बालिकाओं के माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रावास की सुविधा मुहैया कराना है।
- इस योजना के तहत नए छात्रावासों के निर्माण एवं पुराने छात्रावासों के विस्तार के लिये केंद्रीय सहायता दी जाती है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना

- इस योजना को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से लागू किया गया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

- अप्रैल 2001 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation – NSTFDC) की स्थापना की गई। यह एक गैर लाभ प्राप्तकर्ता निगम है।
- एनएसटीएफडीसी के अंतर्गत बनाए गए अध्यादेश के अनुसार ऐसे जनजातीय परिवार जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों से दोगुनी है, तो उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- एनएसटीएफडीसी लक्षित समूह को कौशल और उद्यमिता विकास के लिये अनुदान के रूप में भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- एनएसटीएफडीसी का उद्देश्य योग्य अनुसूचित जनजातियों की आय में सुधार और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।
- एनएसटीएफडीसी लघु वनोत्पादों की खरीद/विपणन के लिये भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, जिससे अनुसूचित जनजातियों को उपज/उत्पादों को हताशा में बेचने से रोका जा सके।

विशेष योजनाएँ

आदिवासी महिला सशक्तीकरण योजना

- इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिये रियायती ब्याज दर पर धनराशि दी जाती है। इसके लिये एनएसटीएफडीसी प्रति स्वतंत्र इकाई/लाभ केंद्र ₹ 50 हज़ार लागत वाली योजनाओं/परियोजनाओं के लिये सावधि ऋण उपलब्ध कराता है।
- इस योजना की 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा दी जाती है।

लघु ऋण योजना

लघु ऋण योजना लाभ में चल रही स्व-सहायता समूहों के लिये अनुसूचित जनजाति के योग्य व्यक्तियों को रोज़गार के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु बनाई गई है।

ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 (एमएससीएस अधिनियम, 1984) के तहत राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ निकाय के रूप में वर्ष 1987 में ट्राइबल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India Limited – TRIFED) की स्थापना की गई।
- नए बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 से सुसंगत बनाने के लिये अप्रैल 2003 में ट्राइफेड की नियामावली में परिवर्तन किया गया। इसके अंतर्गत ट्राइफेड ने जनजातियों से लघु वनोत्पाद और अधिशेष कृषि उत्पादों की खरीद बंद कर दी है और अब इसकी खरीद राज्य स्तर की जनजातीय सहकारी/समिति फेडरेशन द्वारा की जाती है।
- ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के लिये बाज़ार का विकास करने और सदस्य फेडरेशनों को सेवा प्रदान करने वाली इकाई के रूप में कार्य कर रहा है।
- ट्राइफेड अपनी दुकानों (Tribes India) के माध्यम से जनजातीय लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों (प्राकृतिक और जैविक उत्पाद, हस्तशिल्प, सत्यापन आदि) के विपणन विकास में लगा है। दुकान द्वारा इन उत्पादों की बिक्री पारेषण आधार (Consignment Basis) पर की जाती है।

अनुसूचित जनजातियों से संबंधित महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान

समग्र रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिये प्रावधान

- **अनुच्छेद 23:** मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध।
- **अनुच्छेद 24:** कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।
- **अनुच्छेद 37:** इस भाग (भाग 4) में अंतर्विष्ट तत्त्वों का लागू होना।
- **अनुच्छेद 38:** राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
- **अनुच्छेद 39:** राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्त्व।
- **अनुच्छेद 39(क):** समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता।
- **अनुच्छेद 46:** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अन्य अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।

अनुसूचित जनजातियों संबंधी प्रावधान

- **अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा एवं विशेष विनिर्देश**
  - **प्रस्तावना**
  - **अनुच्छेद 342:** अनुसूचित जनजातियाँ।
  - **अनुच्छेद 366:** परिभाषाएँ।
- **शैक्षिक, आर्थिक एवं सार्वजनिक रोज़गार संबंधी सुरक्षा उपाय**
  - **अनुच्छेद 15:** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
  - **अनुच्छेद 16:** लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।
  - **अनुच्छेद 19:** वाक्-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण।
  - **अनुच्छेद 46:** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।
  - **अनुच्छेद 335:** सेवाओं और पदों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे।
- **राजनीतिक सुरक्षा उपाय**
  - **अनुच्छेद 330:** लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण।
  - **अनुच्छेद 332:** राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण।
  - **अनुच्छेद 334:** स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का सत्तर वर्ष के पश्चात न रहना।
  - **अनुच्छेद 243(घ):** प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों के लिये आरक्षण।
  - **अनुच्छेद 243(न):** स्थानों का आरक्षण (नगरपालिका)।
  - **अनुच्छेद 244:** अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन।
  - **अनुच्छेद 339:** अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण।
- अभिकरण द्वारा निगरानी सुरक्षा उपाय–
  अनुच्छेद 338(क): राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

28

युवा मामले और खेल
(Youth Affairs and Sports)

भारत की कुल आबादी में युवाओं की महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी जनसांख्यिकी लाभ (Demographic Dividend) की स्थिति उत्पन्न करती है। किंतु उचित प्रशिक्षण व अन्य वंचनाओं के चलते देश इसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिये तथा युवाओं की समस्याओं के हल के लिये अनेक कार्यक्रमों को अपनाने की ज़रूरत है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये देश में युवाओं तथा किशोरों के विकास एवं अधिकारिता के लिये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में गठित किया गया है। वर्ष 1982 में खेल विभाग के रूप में नई दिल्ली में 9वें एशियाई खेलों के आयोजन के समय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव के आयोजन के दौरान इसका नाम युवा कार्य और खेल विभाग किया गया था। 27 मई, 2000 को इसे एक मंत्रालय बनाया गया। 30 अप्रैल, 2008 को मंत्रालय को युवा कार्य विभाग और खेल विभाग नामक दो विभागों में विभाजित किया गया जिनके दो अलग-अलग सचिव थे। इन दोनों विभागों द्वारा निर्वाह किये जाने वाले विशिष्ट विषय भारत सरकार के आदेश (कार्य का आबंटन नियम, 1961) में निहित है।

देश में युवा अर्थात् 15 से 29 वर्ष के आयु समूह में आने वाले व्यक्ति भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 27.5 प्रतिशत हैं। यह समूह देश की जनसंख्या का सर्वाधिक विविध और गतिशील खंड है जो मानव संसाधन का सबसे अधिक मूल्यवान भाग है। इनकी रचनात्मक और सृजनशील ऊर्जा का अनुकूलतम दोहन करने के लिये विभाग द्वारा युवाओं के व्यक्तित्व का विकास कर उन्हें राष्ट्र निर्माण की विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना है। युवाओं से संबंधित अधिकांश मुद्दे अन्य मंत्रालयों/विभागों अर्थात् शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आदि के लिये युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय एक उत्प्रेरक की भूमिका प्रदान करता है।

खेल को युवा विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाता है इसलिये इसके विकास को सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय खेल नीति-2011 बनाई गई। जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर खेल का आयोजन कर इसे व्यापक आधार देने का प्रयास किया गया है। खेलों से संबंधित 20 सूत्री कार्यक्रम में भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी युवाओं तक खेलकूद की पहुँच सुनिश्चित कर 'युवा विकास' की बात कही गई है। पंचायत युवा क्रीड़ा तथा खेल अभियान का उद्देश्य पंचायत स्तर पर बुनियादी खेलकूद संरचना एवं उपकरण उपलब्ध कराना है तथा ब्लॉक एवं जिला स्तरों पर वार्षिक खेलकूद परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना है।

अखिल भारतीय खेल परिषद् का गठन

केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय खेल परिषद् का गठन किया है, जो युवा मामले और खेल मंत्रालय के सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करेगी। परिषद् द्वारा दी गई सलाह पर सरकार विचार करेगी, लेकिन सरकार के लिये उसे मानना अनिवार्य और बाध्यकारी नहीं होगा। परिषद् देश में खेल को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार और संगोष्ठियों आदि का आयोजन कर सकेगी। देश में खेल को बढ़ावा देने और खेल के विकास से संबंधित मामलों पर विचार के लिये परिषद् की समय-समय पर एक तिमाही में कम-से-कम एक बार बैठक होगी।

राज्यमंत्री पद के स्तर का व्यक्ति परिषद् का अध्यक्ष होगा और चार संसद सदस्य, खेल हस्तियाँ, प्रशिक्षक, खेल विशेषज्ञ, खेल प्रशासक, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक, नाडा के महानिदेशक, एलएनआईपीई के कुलपति, खेल मंत्रालय के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों, भारतीय ओलंपिक संघ, कॉर्पोरेट निकायों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि परिषद् के सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों के अलावा परिषद् के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।

लक्ष्य और उद्देश्य

- खेल को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाना। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, उत्तर-पूर्व और जम्मू-कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देना।
- देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिये नीतियों का कार्यान्वयन। महिलाओं, विशिष्ट रूप से सक्षम व्यक्तियों, आदिवासियों आदि पर विशेष ध्यान देने के साथ खेलों को समग्र रूप से बढ़ावा देना।
- खेलों में नशीली दवाओं का दुरुपयोग रोकना, आयु संबंधी धोखाधड़ी और महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकना। राष्ट्रीय खेल महासंघ के कामकाज में व्यावसायिकता, पारदर्शिता और सुशासन लाना।
- देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिये संसाधन जुटाने के तरीके और साधन जुटाना। खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा को बढ़ावा देना।
- खेल के बुनियादी ढाँचे को बढ़ाना और उसका समुचित उपयोग सुनिश्चित करना। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्द्धाओं में खिलाड़ियों और टीमों की भागीदारी व प्रदर्शन से संबंधित मामले।
- मैच फिक्सिंग और प्रतिस्पर्द्धी खेलों में अन्य कदाचारों से उत्पन्न मुद्दे। देश में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के साधन और तरीके।
- शुरुआती स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उनका पोषण। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पाठ्यक्रम में खेलों का समेकन।

- खिलाड़ियों के लिये कल्याणकारी उपाय। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा परिषद् को भेजे गए विशेष मुद्दे और मामले।

राष्ट्रीय युवा नीति-2014

- राष्ट्रीय युवा नीति-2014 के तहत देश के युवाओं के विकास के लिये भारत सरकार के विजन को स्पष्ट करते हुए उन क्षेत्रों की पहचान करना है जो अभी तक विकास की प्रक्रिया से अछूते रह गए हैं।
- इस नीति के माध्यम से युवाओं को उनकी पूर्ण क्षमता को हासिल करने के लिये सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिये निम्नलिखित 11 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है: शिक्षा, उद्यमशीलता, रोज़गार एवं कौशल विकास, स्वस्थ जीवन शैली, खेलकूद, सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहन, सामुदायिक भागीदारी, राजनीति एवं प्रशासन में भागीदारी, युवा भागीदारी, समावेशन तथा सामाजिक न्याय।
- उपरोक्त प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अंतर्निहित कमियों को दूर करने के लिये बहुस्तरीय प्रयास की आवश्यकता है। निवेश बढ़ाने के साथ-साथ कार्यों के क्रियान्वयन के स्तर पर तेज़ी लानी होगी। इसके अतिरिक्त युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिये सोशल मीडिया का सहारा लिया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के निम्नलिखित उद्देश्य, प्राथमिकता क्षेत्र और आवश्यकताएँ हैं-

उद्देश्य	प्राथमिकता वाले क्षेत्र	भावी आवश्यकताएँ
1. एक सफल कार्यबल का गठन करना जो भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में स्थायी योगदान दे सके।	शिक्षा	• क्षमता एवं गुणवत्ता बढ़ाने की प्रणाली तैयार करना। • कौशल विकास और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना।
	रोजगार और कौशल विकास	• लक्षित युवाओं तक पहुँच और जागरूकता • प्रणालियों और स्टेकहोल्डरों के बीच संपर्क बढ़ाना • सरकार और अन्य स्टेकहोल्डरों की भूमिका तय करना
	उद्यमशीलता	• लक्षित युवाओं तक पहुँचने के कार्यक्रम • क्षमता बढ़ाने के लिये प्रभावी कार्यक्रमों का दायरा विस्तृत करना • युवा उद्यमियों के लिये कस्टमाइज्ड कार्यक्रम तैयार करना • व्यापक निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली का क्रियान्वयन
2. एक ऐसी सशक्त और स्वस्थ पीढ़ी तैयार करना जो भावी चुनौतियों का सामना करने के लिये तैयार हो।	स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवन शैली	• सेवा प्रदायगी की स्थिति को बेहतर बनाना • स्वास्थ्य, पोषण और निवारक उपायों के बारे में जानकारी • युवाओं के लिये लक्षित नियंत्रण कार्यक्रम
	खेल	• खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण की बेहतर उपलब्धता • युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना • प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सहायता और उनका विकास
3. सामाजिक मूल्यों की भावना मन में बैठाना और राष्ट्रीय जिम्मेदारी बढ़ाने के लिये सामुदायिक सेवा को प्रोत्साहित करना	सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना	• नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रणाली को उचित रूप देना • युवा के विनियोजन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना • नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में कार्यरत एनजीओ और गैर-लाभकारी संगठनों को सहायता
	सामुदायिक विनियोजन	• विद्यमान सामुदायिक विकास संगठनों की सेवाएँ लेना • सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देना
4. शासन के सभी स्तरों पर नागरिकों की सेवाएँ लेना और उनकी भागीदारी को आसान बनाना	राजनीति और शासन में भागीदारी	• राजनैतिक व्यवस्था से बाहर के युवाओं को शामिल करना • युवाओं के लिये सहायक शासन तंत्र सृजित करना • शहरी शासन में युवा भागीदारी को बढ़ावा देना
	युवाओं की भागीदारी	• युवा विकास योजनाओं की प्रभाविता की निगरानी और उसके लिये उपाय • युवाओं के विनियोजन के लिये मंच तैयार करना
5. जोखिमग्रस्त युवाओं के लिये सहायता और लाभ से वंचित एवं सीमांत युवाओं के लिये समता- मूलक अवसर सृजित करना	समावेशन	• लाभ से वंचित युवाओं को समर्थ बनाना एवं उनकी क्षमता को बढ़ाना • हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में युवाओं के लिये आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना • विकलांग युवाओं की मदद के लिये एक बहु-सूत्री दृष्टिकोण तैयार करना • युवाओं के लिये जानकारी एवं अवसर बढ़ाना
	सामाजिक न्याय	• अनुचित सामाजिक प्रथाओं को दूर करने के लिये युवाओं की सेवाएँ लेना • सभी स्तरों पर न्याय की सुविधा बढ़ाना

29

राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश
(States and Union Territories)

अरुणाचल प्रदेश

क्षेत्रफल- 83,743 वर्ग किमी.

जनसंख्या- 1,383,727 (जनगणना 2011)

राजधानी- ईटानगर

मुख्य आदिवासी- मोनपा, मिजी, अका, शेरदुकपेन, न्येसी, अपतानी, तगिन, अदीस, दिगारू-मिशमी, ईदु-मिशमी, मिजु-मिशमी, खामटी, नोकटे, तंगसा तथा वांचू आदि।

- पहले अरुणाचल प्रदेश को North–East Frontier Agencey (NEFA) कहा जाता था। 1948 में यह संघ सरकार के प्रशासनाधीन आया।
- 20 जनवरी, 1972 में इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया तथा 20 फरवरी, 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।
- अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन, भूटान तथा म्याँमार से लगती है, इसलिये यह भारत के लिये सामरिक महत्त्व रखती है।
- नामचिक-नामकुफ कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है।
- शिल्पियों को विविध उद्यमों में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राज्य में दो (रोइंग तथा दपोरिजों) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है।
- राज्य का उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है।

त्योहार

अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में अदीस लोगों द्वारा मनाए जाने वाले मोपिंग तथा सोलुंग, मोनपा लोगों का लोस्सार, अपतानी का द्री, तगिनों का सी-दोन्याई, ईदु-मिशमी का रेह निशिंग लोगों द्वारा न्योकुम, हिल-गिरी और शरदकूपन समुदाय का बूटी-बूत आदि शामिल हैं। यहाँ अधिकांश त्योहारों के अवसर पर पशुओं की बलि चढ़ाने की प्रथा है।

प्रमुख पर्यटन स्थल

अरुणाचल प्रदेश में तवांग, दिरांग, बोमडिला, ईटानगर, मालिनीथान, पासीघाट, भीष्मकनगर, परशुराम कुंड, खोंसा, अलोंग, नामदफा रोइंग आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।

अरुणाचल प्रदेश वन्य जीव अभ्यारण्य

- कामलांग वन्य जीव अभयारण्य
- ईटानगर वन्य जीव अभ्यारण्य
- पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य
- ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य
- मोहाओ वन्य जीव अभ्यारण्य, रोइंग

राष्ट्रीय पार्क

- नामधापा नेशनल पार्क
- मोलिंग नेशनल पार्क
- सेसा आर्किक अभ्यारण्य
- दिहांग देबांग बायोस्फीयर रिज़र्व

प्रमुख नदियाँ

कामेंग, सुबिनसिरी, सियांग, लोहित और तिरप

असम

क्षेत्रफल- 78,438 वर्ग किमी.

जनसंख्या-31,205,576 (जनगणना 2011)

राजधानी- दिसपुर

मुख्य भाषा- असमिया

- प्राचीन काल में असम को 'प्राग्ज्योतिष' कहा जाता था। बाद में इसका नाम कामरूप पड़ा।
- कामरूप राज्य का सबसे प्राचीन उल्लेख इलाहाबाद स्थित समुद्रगुप्त के शिलालेख में मिलता है।
- प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग कामरूप के राजा भास्कर वर्मन के निमंत्रण पर कामरूप में आया था तथा उसने इस क्षेत्र का उल्लेख 'कामोलुपा' के रूप में किया।
- 11वीं शताब्दी में अलबरूनी ने भी अपनी पुस्तक में कामरूप का उल्लेख किया है।
- वर्ष 1826 में संपन्न हुए यांदबू की संधि (ब्रिटिश सरकार एवं बर्मा के बीच) के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के क्षेत्राधिकार में आया।
- असम राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी तथा पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है।
- असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान देशों के साथ मिलती है।

- मडगाँव में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिये विपणन श्रृंखला बनाने हेतु विपणन केंद्र बनाने का भी प्रस्ताव है।
- गोवा में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 35 प्रतिशत क्षेत्र पर वन हैं।
- गोवा को केरल के साथ संयुक्त रूप से इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला है।

उड्डयन तथा प्रमुख बंदरगाह

- गोवा का डबोलिम हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, चेन्नई तथा बंगलूरू के लिये नियमित हवाई सेवाएँ हैं।
- मोर्मुगाँव इस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है।

पर्यटन स्थल

- कोलवा, कालनगुटे, बागा, हरमल, अंजुना तथा मीरामार समुद्र तट
- बैसीलिका ऑफ बोम जीसस तथा केथेड्रल चर्च
- बनडोरा मंदिरा, काबो डि रामा किले
- दूधसागर तथा हरवालेम जल-प्रपात
- माएम झील
- बोंडला, कोटीगाँव तथा मोलेम वन्य प्राणी उद्यान
- सलीम अली पक्षी उद्यान

गुजरात

क्षेत्रफल– 1,96,024 वर्ग किमी.
जनसंख्या– 60,439,692 (जनगणना 2011)
राजधानी– गांधीनगर
मुख्य भाषा– गुजराती

- 1 मई, 1960 में गुजरात राज्य अस्तित्व में आया। यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है।
- गुजरात के पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान स्थित है।
- गुजरात में 1600 किमी की सबसे लंबी तटरेखा है।

कृषि

- गुजरात मुख्य रूप से कपास, तंबाकू तथा मूँगफली का उत्पादन करता है। अन्य महत्त्वपूर्ण फसल हैं– ईसबगोल, धान, गेहूँ, बाजरा।
- गुजरात, भारत में मूँगफली, मसाले तथा कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।

बिजली

- 'ज्योति ग्राम योजना' के तहत गुजरात के सभी गाँवों में बिजली की पहुँच सुनिश्चित की गई है।

बंदरगाह

- इस राज्य में कुल 40 ये अधिक छोटे एवं मध्यम श्रेणी के बंदरगाह हैं।
- कांडला इस राज्य के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है।

सिंचाई

- गुजरात में जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कई झीलों, 5 बाँध, तालाब आदि जल स्रोतों के भूजल स्तर गहरे किये गए हैं।
- नदियों को आपस में जोड़ देने के कारण अब जलरहित नदियाँ भी वर्ष भर बहती रहती हैं।
- समुद्र में जाकर मिल जाने वाली नदियों के अतिरिक्त जल को रोक कर उसका समुचित उपयोग एवं संरक्षण किया जा रहा है।
- सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र तथा कच्छ में 10 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा रही है।
- सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई परियोजना।

विद्युत

- गुजरात सरकार ने भविष्य की बिजली आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अतिरिक्त गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का भी काफी विकास कर लिया है।
- गुजरात ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने हेतु जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अलग विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य है।
- वर्ष 2009 में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुजरात ने सौर नीति की

उद्योग

- मध्य प्रदेश दूरसंचार प्रणालियों के लिये ऑप्टिकल फाइबर का उत्पादन करता है।
- राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्योग निम्नलिखित हैं–
  - भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल
  - सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद
  - नोट छापने की प्रेस, देवास
  - अखबारी कागज का मिल, नेपानगर
  - ओमान-बीना तेलशोधक कारखाना (सागर जिले में)
- मध्य प्रदेश चंदेरी तथा माहेश्वर के पारंपरिक हस्तशिल्प तथा हथकरघे से बने कपड़ों के लिये जाना जाता है।

त्योहार

- भगोरिया-आदिवासियों का एक प्रमुख त्योहार।
- ग्वालियर के तानसेन संगीत समारोह, उज्जैन का कालीदास समारोह, खजुराहो का नृत्य समारोह आदि।

पर्यटन स्थल

- पचमढ़ी, भेड़ाघाट, धुंआधार जल-प्रपात।
- कान्हा राष्ट्रीय उद्यान- यहाँ बारहसिंगा निवास करते हैं।
- बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान- प्रागैतिहासिक गुफाएँ एवं वन्य जीव।
- विश्व प्रसिद्ध -खजुराहो मंदिर, उज्जैन, अमरकंटक, ओंकारेश्वर आदि।

महाराष्ट्र

क्षेत्रफल- 3,07,713 वर्ग किमी.

जनसंख्या- 112,374,333 (जनगणना 2011)

मुख्य भाषा- मराठी

- महाराष्ट्र में पहले सबसे प्रसिद्ध शासक सातवाहन हुए। इसके पश्चात् इस क्षेत्र पर वाकाटकों का शासन आरंभ हुआ जिनके शासन के दौरान अजंता की गुफाओं में उच्च कोटि के भित्ति चित्र बनाए गए।
- वाकाटकों के पश्चात् कुछ समय के लिये कल्चुरी वंश का शासन स्थापित हुआ इसके बाद चालुक्य सत्ता में आए।

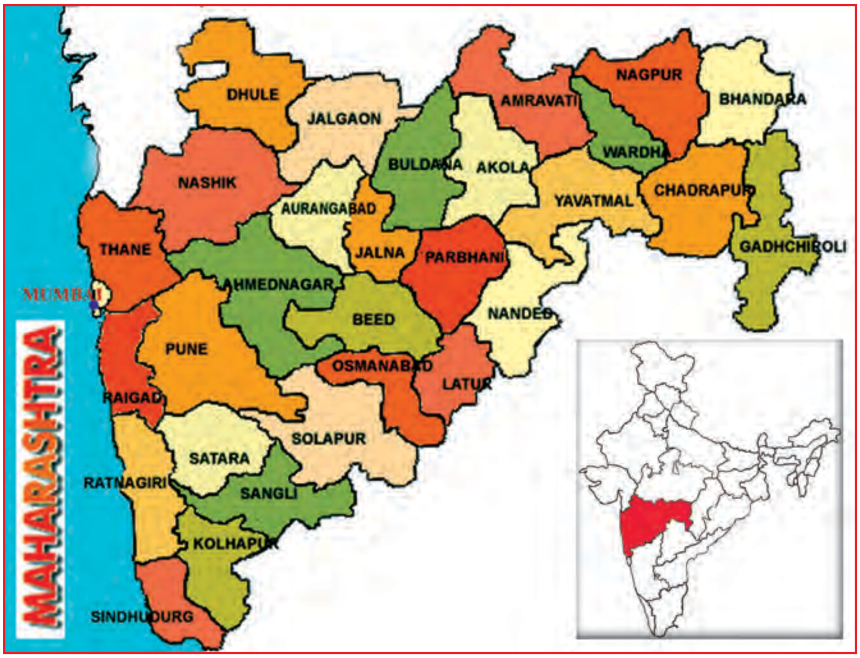

- चालुक्यों के पश्चात् महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों में शिलाहारों का, महाराष्ट्र क्षेत्र पर राष्ट्रकूट तथा यादव शासकों का नियंत्रण कायम रहा।
- यादवों ने ही मराठी भाषा को राजकाज की भाषा के रूप में स्थापित किया।
- स्वतंत्रता संग्राम में महाराष्ट्र क्षेत्र काफी सक्रिय था तथा गांधी युग में राष्ट्रवादी देश की राजधानी सेवाग्राम थी।
- भौतिक दृष्टि से महाराष्ट्र मुख्य रूप से पठारी प्रदेश है। महाराष्ट्र पठारों का पठार है। तथा इसके उठे हुए पश्चिमी किनारे सहयाद्रि पहाड़ियों का निर्माण करते हैं एवं समुद्र तट के समानांतर है।
- महाराष्ट्र का अरब सागर का तटीय मैदानी भाग कोंकण कहलाता है तथा इस तटीय मैदान में धान के खेत एवं नारियल के बाग हैं।
- इस राज्य के उत्तरी भाग में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जबकि अजंता एवं सतमाला पहाड़ियाँ इसके मध्य से गुजरती हैं।
- उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र - महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव।
- राज्य में 2 बड़े तथा 48 छोटे अधिसूचित बंदरगाह हैं। मुम्बई प्रमुख बंदरगाह है।

कृषि

- महाराष्ट्र की प्रमुख फसलें हैं– धान, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मूंग, उड़द, चना एवं अन्य दालें।
- यह राज्य तिलहनों का प्रमुख उत्पादक है। मूंगफली, सूरजमुखी तथा सोयाबीन प्रमुख तिलहन फसल है।

उड्डयन

महाराष्ट्र में 3 अंतर्राष्ट्रीय तथा 5 घरेलू हवाई अड्डे हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से नवी मुंबई में एक और हवाई अड्डा निर्मित करने की योजना है।

पर्यटन स्थल

- अजंता, एलोरा, औरंगाबाद, एलिफेंटा, कन्हेरी एवं कार्ले की गुफाएँ, महाबलेश्वर, माथेरन और पंचगनी, जवाहर, मालशेजघाट, चिकलधारा आदि।
- प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में पंढरपुर, नासिक, शिरडी, त्र्यंबकेश्वर, हरिहरेश्वर, शेगाँव तथा अंबजोगई प्रमुख है।

मणिपुर

क्षेत्रफल- 22327 वर्ग किमी.

जनसंख्या- 2,855,794 (जनगणना 2011 के अनुसार)

राजधानी- इम्फाल

मुख्य भाषा- मणिपुरी

- मणिपुर की 352 किमी. की अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्याँमार से लगती है।

सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएँ

- बीएमएल नहर प्रणाली
- सरहिंद नहर प्रणाली
- बिस्ट दोआब नहर प्रणाली
- पूर्वी नहर प्रणाली तथा
- कांदी नहर
- भाखड़ा नांगल कॉम्पलेक्स के निर्माण सहित, भाखड़ा बाँध, भाखड़ा मेन लाइन, नांगल पनबिजली चैनल, गंगूवाल एवं कोटला पावर हाउस, हरिके बैराज, सरहिंद फीडर माधोपुर हेडवर्क को बैराज में बदलना तथा पोंग में ब्यास बाँध कुछ मुख्य सिंचाई तथा पनबिजली परियोजनाएँ हैं।
- माधोपुर ब्यास लिंक का निर्माण रावी नदी के अतिरिक्त जल को ब्यास नदी में स्थानांतरित करके किया गया है।
- इसी तरह ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना में व्यास नदी के पानी का इस्तेमाल स्लेपर में बिजली के उत्पादन तथा इस पानी को गोविंदसागर झील में स्थानांतरित करने पर ज़ोर दिया गया है।
- मुकेरिया तथा आनंदपुर साहिब दो अन्य महत्त्वपूर्ण पनबिजली परियोजनाएँ हैं।
- पंजाब में 4 नई ताप विद्युत परियोजनाएँ स्थापित की जा रही हैं– तलवंडी सामो, राजपुरा, गिद्दरवाहा, गोंइडवाल साहिब

पर्यटन

- अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, दुर्गियाना मंदिर तथा जलियाँवाला बाग
- आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केशगढ़ साहिब तथा खालसा सांस्कृतिक परिसर, भाखड़ा बाँध
- पटियाला में किला अंदरून तथा मोतीबाग राजमहल
- हरिके पट्टन में आर्द्रभूमि, पुरातात्विक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण संगोल तथा छतबीर चिड़ियाघर
- आम खास बाग में मुगलकालीन स्मारक परिसर
- जालंधर में शिव मंदिर तथा महर्षि वाल्मीकि की विरासत स्मारक आदि।

राजस्थान

क्षेत्रफल– 342,239 वर्ग किमी.

जनसंख्या– 68,548,437 (जनगणना 2011)

मुख्य भाषाएँ– हिन्दी और राजस्थानी

- क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी पूरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है। जबकि उत्तर में पंजाब, उत्तर-पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण-पश्चिम में गुजरात स्थित है।
- राजस्थान की मुख्य फसलें– चावल, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, दालें, कपास तथा तंबाकू आदि हैं।
- इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में सब्जियों, संतरा तथा माल्टा जैसी नींबू प्रजाति के फलों के उत्पादन में काफी वृद्धि देखी गई है।
- यहाँ की अन्य फसलें लाल मिर्च, सरसों, मेथी, जीरा और हींग हैं।

उद्योग

राज्य के प्रमुख संयंत्र

- देबरी (उदयपुर) में जस्ता गलाने का संयंत्र।
- खेतड़ी (झुंझनू) में तांबा परियोजना।
- कोटा में सूक्ष्म उपकरणों का कारखाना।
- राजस्थान में जिंक, पन्ना, गार्नेट, जिप्सम, चाँदी, धातु विशेष तथा अभ्रक के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं।
- राज्य के प्रमुख उद्योग हैं– वस्त्र, ऊनी कपड़े, चीनी, सीमेंट, कांच, रेल का डिब्बा, वनस्पति रंग, कीटनाशक, टेलीविज़न सेट आदि।
- राजस्थान के सीतापुर (जयपुर), बोसादा (जोधपुर), नीमराणा (अलवर) में देश का पहला निर्यात संवर्द्धन पार्क बनाया गया है।
- जयपुर तथा जोधपुर में विशेष आर्थिक जोन बनाए गए हैं। साथ ही बहुउद्देश्यीय विशेष आर्थिक जोन का निर्माण महेन्द्र वर्ल्ड सिटी जयपुर में किया गया है।
- राजस्थान की दस्तकारी की वस्तुएँ पूरे विश्व में विख्यात हैं।

परिवहन

- मानसरोवर से जयपुर रेलवे स्टेशन तक मैट्रो के निर्माण कार्य का चरण-ए पूरा हो चुका है। जिसकी कुल लंबाई 9.72 किमी. है।
- वर्ष 2015 में राजस्थान के जयपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत की गई है।

राजस्थान के महत्त्वपूर्ण मेले

- तीज
- गणगौर (जयपुर)
- अजमेर शरीफ तथा गलियाकोट का वार्षिक उर्स

- बोनालू त्योहार में देवी महाकाली की पूजा की जाती है।
- अन्य त्योहारों में दशहरा, समक्का सरक्का यात्रा, पीरला, पान्डला आदि हैं।

उत्तर प्रदेश

क्षेत्रफल- 2,40,928 वर्ग किमी.

जनसंख्या- 19,95,81,477 (जनगणना 2011)

राजधानी- लखनऊ

मुख्य भाषाएँ- हिन्दी एवं उर्दू

- उत्तर वैदिक काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था।
- ईसा पूर्व छठी शताब्दी में यह राज्य दो नए धर्मों– जैन एवं बौद्ध के संपर्क में आया।
- गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया तथा इसी राज्य के कुशीनगर में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई।
- जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया।

उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा एवं दिल्ली दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ तथा पूर्व में बिहार एवं झारखंड हैं।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, झांसी, बरेली, हिंडन (गाजियाबाद), गोरखपुर, सरसावा (सहारनपुर) तथा फुर्सतगंज (रायबरेली) में हवाई अड्डे हैं।

उद्योग तथा खनिज

- सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कानपुर में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, कोयला, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट एवं सिलिकन रेत का खनन किया जाता है।
- छोटे खनिज एवं कुछ और बड़े खनिजों, जैसे– चूना पत्थर, सिलिका, मैग्नेसाइट, तथा डायोस्पार का बड़े पैमाने पर उत्पादन का कार्य निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है।
- खनिज आधारित उद्योगों में सोनभद्र का सीमेंट कारखाना महत्त्वपूर्ण है।

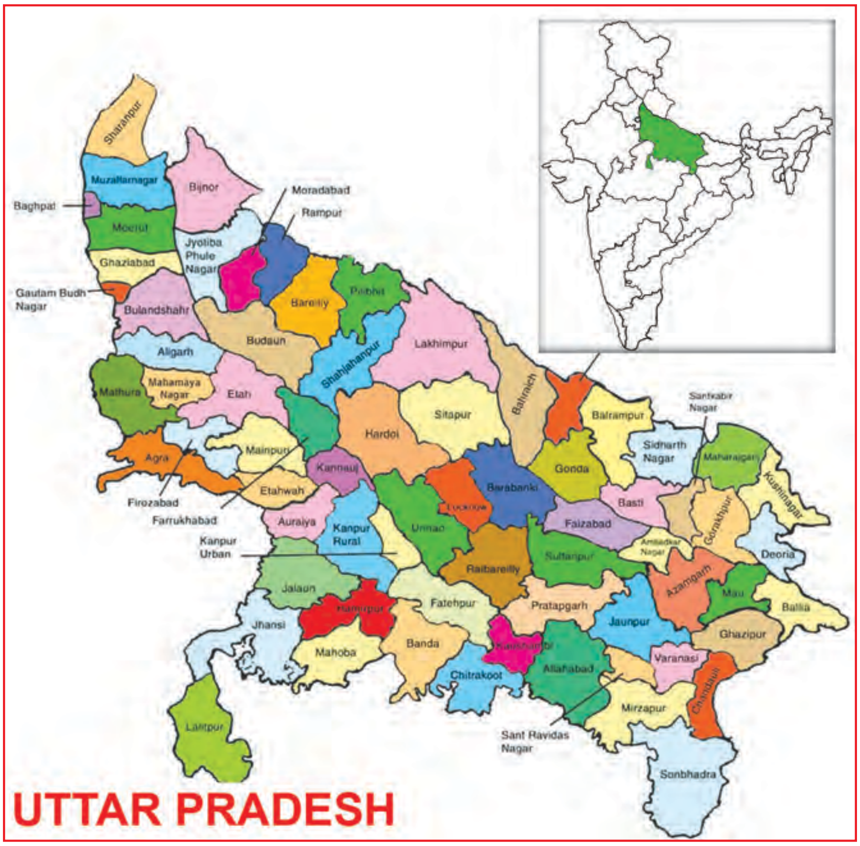

त्योहार एवं लोक कला

- इलाहाबाद में प्रत्येक 12वें वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ हर 6 वर्ष पर अर्द्धकुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है।
- इलाहाबाद में ही प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में माघ मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग संगम में स्नान करने के लिये आते हैं।
- अन्य प्रमुख मेलो में मथुरा, वृंदावन एवं अयोध्या में झूला मेला का आयोजन किया जाता है जिसमें भगवान की प्रतिमाओं को सोने एवं चाँदी के झूलों में रखा जाता है।
- आगरा जिले के बटेश्वर कस्बे में पशुओं का प्रसिद्ध मेला लगता है।
- बाराबंकी जिले में लगने वाला देव शरीफ मेला मुस्लिम संत वारिस अली शाह के कारण काफी प्रसिद्ध हो गया है।
- बिरहा, चैती, ढोला, कजरी, रसिया, आल्हा, पूरनभगत, भर्तृहरि, करमा, चांचली, छपेली, छोलिया, पांडव, वादीवादिन, लांग आदि।

पर्यटन स्थल

- वाराणसी, विंध्याचल, अयोध्या, प्रयाग, चित्रकूट, नैमिषारण्य, मथुरा, वृंदावन, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, मगहर (बस्ती जिले में)
- कबीरदास की मगहर में ही मृत्यु हुई थी।
- बांदा जिले में स्थित चित्रकूट में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बाल अवतार कथा, भगवान राम अपने वनवास के समय महर्षि अत्रि, सती अनुसुइया के यहीं अतिथि बने तथा यहीं से भरत श्रीराम की चरणपादुका लेकर लौटे थे।
- बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था।
- लखनऊ में आसफुद्दौला द्वारा बनवाया गया रूमी दरवाजा तथा इमामबाड़ा।

उत्तराखण्ड

क्षेत्रफल- 53,483 वर्ग किमी.

जनसंख्या- 10,086,292 (जनगणना 2011)

राजधानी- देहरादून (अस्थायी) गैरसैण (प्रस्तावित)

मुख्य भाषाएँ- हिन्दी, अंग्रेज़ी, गढ़वाली, कुमाऊँनी

- उत्तराखंड का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में केदारखंड, मानसखंड तथा हिमवंत के रूप में मिलता है।
- इसे पवित्र तीर्थस्थलों के कारण 'देवभूमि' के नाम से भी जाना जाता है।
- 9 नवंबर, 2000 को भारत का 27वाँ राज्य बनने से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था।
- उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर में चीन तथा पूर्व में नेपाल से मिलती है।

सिंचाई एवं बिजली

- राज्य के 561733 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई की जा रही है।
- राज्य में पनबिजली उत्पादन की अपार क्षमता है। यमुना, भागीरथी, भीलंगना, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरयू, गौरी, कोसी तथा काली नदियों पर अनेक पनबिजली संयंत्र कार्य कर रहे हैं।

त्योहार

- प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाता है।
- अन्य प्रमुख मेलो में देवीधुरा मेला (चंपावत), पूर्णागिरि मेला (चंपावत), नंदादेवी मेला (अल्मोड़ा), गौचर मेला, और बैसाखी (उत्तरकाशी) आदि शामिल हैं।

पर्यटन स्थल

गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, पिंडारी ग्लेशियर, नैनीताल, मसूरी, देहरादून, रानीखेत, बागेश्वर, भीमताल, लैंस डाउन आदि प्रमुख हैं।

पश्चिम बंगाल

क्षेत्रफल- 88,752 वर्ग किमी.

जनसंख्या- 91,276,115 (जनगणना 2011)

मुख्य भाषा- बांग्ला

राजधानी- कोलकाता

- बंगाल का प्रथम स्वतंत्र राजा शशांक हुआ जिसने 7वीं सदी की शुरुआत में इस क्षेत्र पर शासन किया।
- कुछ समय अव्यवस्था की स्थिति के पश्चात् लगभग 400 वर्ष तक इस क्षेत्र पर पाल वंश का शासन रहा। इसके पश्चात् कुछ समय तक सेन वंश का शासन रहा।
- बंगाल में सूफी संतों के साथ 12वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ।
- मुगलों के पश्चात् आधुनिक बंगाल का इतिहास यूरोपीय तथा अंग्रेज़ी व्यापारिक कंपनी के आगमन के साथ शुरू होता है।
- 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात् पहली बार अंग्रेज़ों का बंगाल पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ।
- वर्ष 1905 में अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिये बंगाल का विभाजन कर दिया परंतु कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया।
- पश्चिम बंगाल के पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में नेपाल, उत्तर में सिक्किम, उत्तर-पूर्व में भूटान, पश्चिम में बिहार एवं झारखंड तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है।

कृषि एवं सिंचाई परियोजना

- पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। राज्य की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर अपनी आजीविका हेतु निर्भर है।
- यहाँ की प्रमुख फसलें हैं– जूट तथा चावल। इसके अलावा चाय, मक्का तथा गन्ने की भी खेती होती है।
- पश्चिम बंगाल में 7 बड़ी तथा 34 मझोली सिंचाई परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं।
- तीस्ता तथा स्वर्णरेखा बैराज परियोजना राज्य की दो बड़ी परियोजनाएँ हैं।
- स्वर्णरेखा बैराज परियोजना के लिये झारखंड, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है।
- केन्द्र सरकार की दामोदर वैली कॉरपोरेशन एवं NTPC के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की CESC लिमिटेड तथा देसरगढ़ पावर सप्लाई कॉरपोरेशन अन्य बिजली उत्पादन इकाइयाँ हैं।

उद्योग

- राज्य में लौह अयस्क की प्राप्ति का कोई लिंक नहीं है किंतु फिर भी कंपनियों ने यहाँ इस्पात संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है जिसके लिये लौह अयस्क की आपूर्ति निकटवर्ती राज्यों झारखंड तथा ओड़ीशा से हो जाती है।

- बिजली की उपलब्धता, प्राकृतिक संसाधन संपन्न राज्यों से इसकी निकटता तथा पारंपरिक रूप से इस्पात उद्योग के लिये दक्ष श्रमिकों की उपलब्धि के कारण इस क्षेत्र में निवेश को गति मिली है।

पश्चिम बंगाल में तीन SEZ परियोजनाएँ स्थापित की गईं हैं–

1. फाल्टा (बहु उत्पाद जोन)
2. मणिकंचन (साल्ट लेक-रत्न एवं आभूषण)
3. विप्रो (साल्ट लेक-आई टी)

- बंटाला स्थित कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स को सेज (SEZ)घोषित किया जा चुका है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी का यह उत्कृष्ट उदाहरण है तथा विश्व में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है।
- पश्चिम बंगाल राज्य ने सूचना-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिये इस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के तौर पर पहचान की है।
- पश्चिम बंगाल के साल्ट लेक के सेक्टर-IV में स्थित आईटी हब भारत का पहला एकीकृत इलेक्ट्रानिक काम्प्लेक्स है।

पर्यटन केन्द्र

- विक्टोरिया मेमोरियल
- भारतीय संग्रहालय
- जैन मंदिर
- वेलवेडेर हाउस
- मार्बल पैलेस
- डलहौजी स्क्वायर
- दक्षिणेश्वर मंदिर
- दार्जिलिंग स्थित दर्शनीय स्थलों में गवर्नमेंट हाउस, वेधशाला, बोटैनिकल गार्डन, बर्टहिल पार्क, टाइगर हिल, सेचल झील, धूममठ विहार आदि प्रमुख हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

क्षेत्रफल– 8249 वर्ग किमी.

जनसंख्या– 3,79,944 (जनसंख्या 2011)

राजधानी– पोर्ट ब्लेयर

मुख्य भाषाएँ– हिन्दी, अंडमानी, निकोबारी, बांग्ला, तमिल, मलयालम एवं तेलुगु।

- 10° उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित द्वीपों को अंडमान द्वीप समूह कहा जाता है तथा 10° उत्तरी अक्षांश के दक्षिण में स्थित द्वीप निकोबार द्वीप समूह कहते हैं।
- यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय, नम व तटीय प्रकार की है तथा यहाँ वर्षा दक्षिणी-पश्चिमी तथा उत्तर-पूर्वी दोनों मानसूनों से होती है।
- अंडमान द्वीप समूह में पाई जाने वाली प्रमुख महाअंडमानी, ओंगे, जरवा एवं सेंटीनली। ये चारों प्रजातियाँ निग्रेटो समुदाय से संबंधित हैं।
- निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी तथा शैंपेन नामक दो प्रमुख प्रजातियाँ निवास करती हैं।

कृषि

- अंडमान द्वीप समूह में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है तथा निकोबार द्वीप समूह में मुख्य रूप से नारियल एवं सुपारी की खेती की जाती है।
- यहाँ बहुफसली व्यवस्था के अंतर्गत फलों (आम, चीकू, संतरा, केला, पपीता) के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के मसालों की भी खेती की जाती है– जैसे मिर्च, लौंग, जायफल तथा दालचीनी आदि।
- यहाँ रबर, रेड आयल, ताड़ तथा काजू की भी खेती की जाती है।

वन एवं वन्य जीव

- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह का 9.101 वर्ग किमी. भाग वनों से ढका है। यहाँ उष्ण-कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्द्ध सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती, गिरिशिखर पर पाए जाने वाले तथा तटवर्ती एवं दलदली वन पाए जाते हैं।

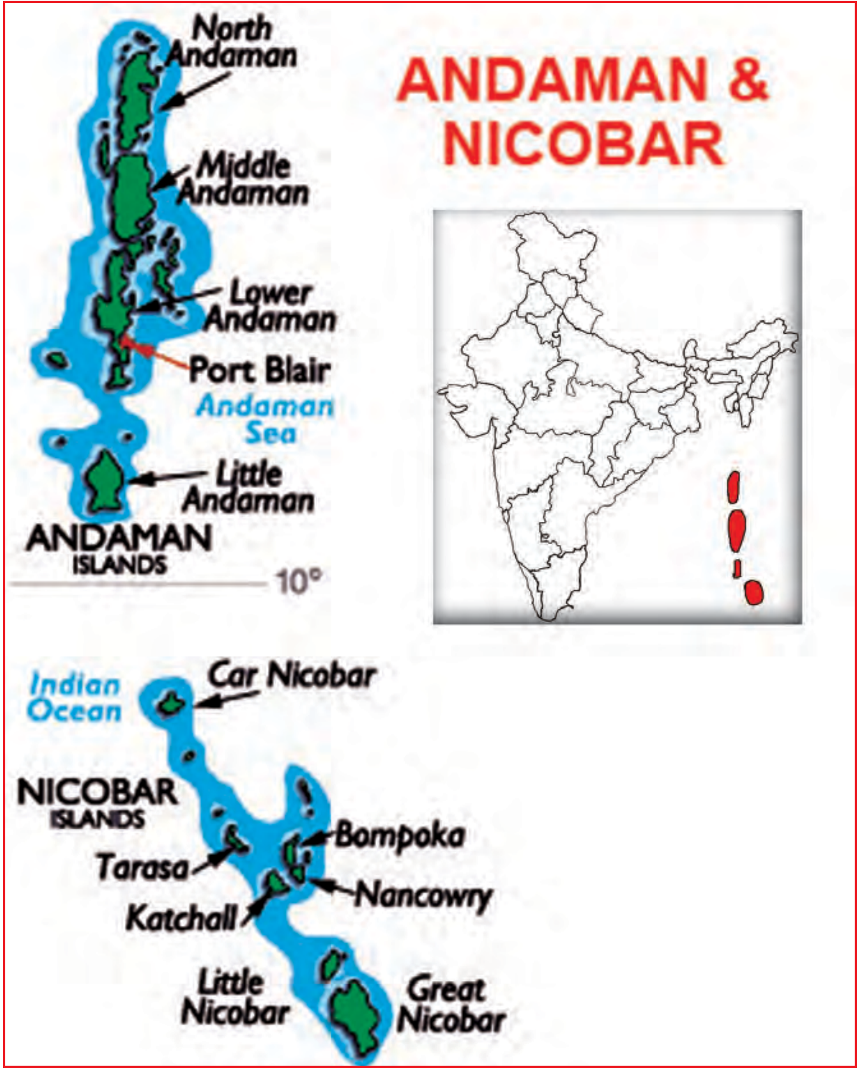

- पाडोक तथा गरजन नामक बहुमूल्य लकड़ियाँ अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती हैं। ये निकोबार द्वीप समूह में नहीं मिलती।
- अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में 96 वन्यजीव अभयारण्य, 9 राष्ट्रीय पार्क तथा एक जैव संरक्षित क्षेत्र है।
- इस द्वीपसमूह के पूर्वी तट पर झब्बेदार (फ्रिजिंग) प्रकार की तथा इसके पश्चिमी तट पर बैरियर प्रकार के प्रवाल पाए जाते हैं।

पर्यटन स्थल

- अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक पर्यावरण अनुकूल सुरक्षित पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है।
- पर्यटकों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान पर सेल्यूलर जेल, रॉस आइसलैंड तथा हैवलॉक आइसलैंड आकर्षण का मुख्य केन्द्र हैं।

अन्य प्रमुख स्थल

- गांधी पार्क
- वाइपर आइलैंड
- रॉस आइलैंड
- चिड़िया टापू (बर्ड वाचिंग)
- रेडस्किन आइलैंड
- कोर्बिन्स कोव बीच तथा नील आइलैंड
- हैवलॉक आइलैंड
- सिंक्वे
- लघु अंडमान
- डिगलीपुर आदि
- कोलकाता तथा चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच इंडियन एयरलाइंस, डेक्कन एवं जेटलाइट की नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं।
- साथ ही चेन्नई, कोलकाता एवं विशाखापत्तनम से यहाँ के लिये यात्री नौका सेवा उपलब्ध है।

चंडीगढ़

क्षेत्रफल– 114 वर्ग किमी.

जनसंख्या– 1,055,450 (जनगणना 2011)

मुख्य भाषा– हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेज़ी

- फ्राँसीसी वास्तुशिल्पी ला कार्बूजिए द्वारा निर्मित चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला तथा नगर नियोजन के लिये विख्यात है।
- 1 नवंबर, 1966 में चंडीगढ़ को केन्द्रशासित प्रदेश बनाया गया।
- चंडीगढ़ राज्य के उत्तर और पश्चिम में पंजाब तथा पूर्व एवं दक्षिण में हरियाणा स्थित है।
- चंडीगढ़ प्रशासन सूचना अधिकार कानून के प्रावधानों को लागू करने वाला पहला राज्य है।
- चंडीगढ़ प्रशासन मुख्य रूप से 4 मोर्चों पर कार्य कर रहा है– पहला सूचना एवं प्रौद्योगिकी की मदद से सुगम एवं पारदर्शी प्रशासन देना, दूसरा विकास की उच्च दर हासिल करने के लिये आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके आर्थिक ज्ञान पर आधारित उद्योग तथा उच्चस्तरीय वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, तीसरा विश्वस्तरीय आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना तथा चौथा विकास तक सभी की पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये प्रयासरत है।
- चंडीगढ़ प्रशासन यात्रियों को विशेष परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जन त्वरित परिवहन प्रणाली शुरू करने की योजना पर कार्य कर रहा है।

सूचना प्रौद्योगिकी

- चंडीगढ़ प्रशासन सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक महत्त्वपूर्ण योजना राजीव गांधी टेक्नोलॉजी परियोजना पर कार्य कर रहा है।
- ई–गवर्नेंस पहल के तहत ढांसा, खुड्डा जस्सु, कंबाउला, रायपुर खुर्द, रायपुर कलां, मक्खन माजरा तथा भालना में ग्राम संपर्क केन्द्र स्थापित किये गए हैं।

समाज कल्याण

- जातीय विभेद को दूर करने के उद्देश्य से सरकार अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दे रही है।
- अंतर्जातीय विवाह होने की स्थिति में अगर दंपति में से कोई एक अनुसूचित जाति से

संबंधित हो तो प्रोत्साहन राशि के तौर पर ₹ 50,000 दिये जाएंगे। सामान्य अवस्था में यह प्रोत्साहन राशि ₹ 5000 है।

- बालिका समृद्धि योजना के तहत बीपीएल परिवार की नवजात शिशु को प्रतिमाह 500 रुपये देने का प्रावधान है।
- सड़कों पर रहने वाले बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से मालोया में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण की योजना पर कार्य चल रहा है।

चंडीगढ़ शहर को सुंदर बनाने तथा पर्यावरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दादू माजरा में 10 एकड़ क्षेत्र में ₹ 30 करोड़ की लागत से ठोस कचरा शोधन संयंत्र बनाया गया है। यह उत्तर भारत में अपने प्रकार का एक पहला संयंत्र है।

शिक्षा

- चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सारंगपुर में 130 एकड़ क्षेत्र में 'चंडीगढ़ एजुकेशन सिटी' का निर्माण किया जा रहा है।
- चंडीगढ़ प्रशासन ने ₹ 1.5 लाख प्रतिवर्ष से कम आमदनी वाले मुसलमान, ईसाई, अन्य पिछड़े वर्ग, विकलांगों, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों, भूतपूर्व सैनिक, विधवा तथा तलाकशुदा स्त्रियों के परिवारों के बच्चों की ट्यूशन फीस में छूट देने का निर्णय किया है।
- झुग्गियों में रहने वाले एवं कम आय वर्ग के परिवारों के ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं उन्हें स्कूल में भर्ती होने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹ 250 प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन

चंडीगढ़ प्रशासन शादी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये प्रयासरत है। साथ ही चिकित्सीय, शैक्षिक एवं मनोरंजन सुविधाओं में वृद्धि कर सिनेमैटिक, खेल तथा चिकित्सा पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहा है।

दादरा और नागर हवेली

क्षेत्रफल- 491 वर्ग किमी.
जनसंख्या- 3.4 लाख (जनगणना 2011)
राजधानी- सिलवासा
मुख्य भाषाएँ- गुजराती तथा हिंदी

- 2 अगस्त, 1954 में इस क्षेत्र को स्वतंत्र कराने से पूर्व इस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था।
- पुर्तगालियों के नियंत्रण से मुक्त होने के पश्चात् यह क्षेत्र 1954 से 1961 तक लगभग स्वतंत्र रूप से कार्य करता रहा जिसे स्वतंत्र दादरा एवं नागर हवेली प्रशासन ने चलाया।
- 11 अगस्त, 1961 में दादरा एवं नागर हवेली क्षेत्र को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया तथा तभी से भारत सरकार एक केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में इस पर शासन कर रही है।
- पुर्तगाल के चंगुल से मुक्ति के बाद 'वरिष्ठ पंचायत' प्रशासन की परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य कर रही थी जिसे 1989 में भंग कर दिया गया तथा अखिल भारतीय स्तर पर संविधान संशोधन के अनुरूप दादरा एवं नागर हवेली जिला पंचायत तथा 11 ग्राम पंचायतों की एक प्रदेश परिषद् गठित कर दी गई।
- दादरा एवं नागर हवेली एक छोटा-सा केन्द्रशासित प्रदेश है तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र से घिरा हुआ है।
- इसके दो भाग हैं– दादरा एवं दूसरा नागर हवेली। इसका निकटतम रेलवे स्टेशन वापी में है जो सिलवासा से 18 किमी दूर है।

कृषि

- दादरा एवं नागर हवेली मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ 79% आदिवासी निवास करते हैं।
- यहाँ की मुख्य फसल धान है तथा नागली एवं पहाड़ी बाजरा अन्य प्रमुख फसलें हैं। फलों में यहाँ आम, चीकू तथा केले की खेती की जाती है।
- इस केन्द्रशासित प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में बहुफसली पद्धति अपनाने पर जोर दिया जा रहा है।

उद्योग

- 1965-66 से पहले इस क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं था। केवल कुछ दस्तकार परंपरागत रूप से बर्तन, चप्पल, जूते जैसी चमड़े से निर्मित होने वाली चीज़ें तथा बाँस से निर्मित होने वाली सामग्री बनाते थे।

लक्षद्वीप

क्षेत्रफल- 32 वर्ग किमी.
जनसंख्या- 64,429 (जनगणना 2011)
राजधानी- कावारती
मुख्य भाषाएँ- जैसरी तथा माहल

- पूर्व समय में ऐसा विश्वास किया जाता था कि इस द्वीप में सर्वप्रथम बसने वाले लोग हिन्दू थे और लगभग 14वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के प्रभाव में आकर मुसलमान बन गए।
- किन्तु हालिया पुरातत्वीय अन्वेषण से पता चला है कि लगभग छठी या सातवीं शताब्दी के आसपास यहाँ बौद्ध निवास करते थे।
- स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस द्वीप में अरब सूफी संत उबैदुल्ला हिजरी सन् 41 में इस्लाम लेकर आए।
- सर्वप्रथम इस्लाम धर्म अपनाने वाले जिन लोगों का पता चला है वे हिजरी वर्ष 139 (8वीं शताब्दी) के मालूम पड़ते हैं।
- ऐसा माना जाता है कि 16वीं शताब्दी तक इस द्वीप में स्वतंत्र रूप से बसने वाले लोगों ने पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्ति के लिये चिरक्कल के राजा की सहायता ली।
- आगे चलकर इस द्वीप को चिरक्कल के राजा ने कन्नानूर में मोपला समुदाय के प्रमुख अली राजा को जागीर के रूप में सौंप दिया जो बाद में एक स्वतंत्र शासक बन गया। बाद के वर्षों में यहाँ टीपू सुल्तान एवं ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा।
- वर्ष 1956 में इन द्वीपों को मिलाकर केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया।

- वर्ष 1973 में लक्का दीव, मिनीकाय तथा अमीनी द्वीप समूहों का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया।
- लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का एक समूह है- जिसमें 12 प्रवाल द्वीप, 3 प्रवाल भित्ति एवं 6 जलमग्न बालू के तट शामिल हैं।
- लक्षद्वीप के 36 प्रणाली द्वीपों में से सिर्फ 11 पर ही आबादी है।

कृषि एवं उद्योग

- लक्षद्वीप की प्रमुख फसल नारियल है। यहाँ के नारियल को जैव उत्पाद के रूप में जाना जाता है।
- भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन लक्षद्वीप में होता है तथा यहाँ के नारियलों में विश्व के अन्य सभी नारियलों के मुकाबले ज़्यादा तेल (लगभग 82 प्रतिशत) पाया जाता है।
- लक्षद्वीप में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता देश में सबसे अधिक है।
- यहाँ के उद्योगों में नारियल के रेशे तथा इससे बनने वाली सामग्रियों का उत्पादन किया जाता है।
- इस प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की 7 फैक्ट्रियाँ इन कार्यों को अंजाम देने में लगी हैं।

मुख्य पर्यटन केन्द्र

- अगाती
- बंगारम
- कल्पेनी
- कादमत
- कावारत्ती
- मिनीकाय आदि।

परिवहन

- इस समय मुख्य द्वीपीय क्षेत्र में परिवहन के लिये एम वी कावारत्ती, एम वी अरब सागर, एम वी टीपू सुल्तान, एम वी भारत सीमा, एमवी मिनिकॉय, एम वी अमनदिवी तथा एम वी दीप जेड संचालित है।
- इन द्वीपों से कावारत्ती तथा मुख्य भूमि तक गंभीर रोगियों को पहुँचाने के लिये प्रशासन चार्टर दो पवनहंस हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाता है।

30

सामान्य सूचनाएँ
(General Information)

भारत के राष्ट्रपति

नाम	पद अवधि
डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1884–1963)	26 जनवरी, 1950 से 13 मई, 1962
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888–1975)	13 मई, 1962 से 13 मई, 1967
डॉ. ज़ाकिर हुसैन (1897–1969)	13 मई, 1967 से 03 मई, 1969
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894–1980) (कार्यवाहक)	03 मई, 1969 से 20 जुलाई, 1969
न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905–1992) (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894–1980)	24 अगस्त, 1969 से 24 अगस्त, 1974
डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद (1905–1977)	24 अगस्त, 1974 से 11 फरवरी, 1977
बी.डी. जत्ती (1912–2002) (कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977 से 25 जुलाई, 1977
नीलम संजीवा रेड्डी (1913–1996)	25 जुलाई, 1977 से 25 जुलाई, 1982
ज्ञानी जैल सिंह (1916–1994)	25 जुलाई, 1982 से 25 जुलाई, 1987
आर. वेंकटरमन (1910–2009)	25 जुलाई, 1987 से 25 जुलाई, 1992
डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918–1999)	25 जुलाई, 1992 से 25 जुलाई, 1997
डॉ. के.आर. नारायणन (1920–2005)	25 जुलाई, 1997 से 25 जुलाई, 2002
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (1931–2015)	25 जुलाई, 2002 से 25 जुलाई, 2007
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील (जन्म 1934)	25 जुलाई, 2007 से 25 जुलाई, 2012
श्री प्रणब मुखर्जी (जन्म 1935)	25 जुलाई, 2012 से अब तक

भारत के उप-राष्ट्रपति

नाम	पद अवधि
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888–1975)	1952–1962
डॉ. ज़ाकिर हुसैन (1897–1969)	1962–1967
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894–1980)	1967–1969
गोपाल स्वरूप पाठक (1896–1982)	1969–1974
बी.डी. जत्ती (1912–2002)	1974–1979
न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह (1905–1992)	1979–1984
आर. वेंकटरमन (1910–2009)	1984–1987
डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918–1999)	1987–1992
के.आर. नारायणन (1920–2005)	1992–1997
कृष्णकांत (1927–2002)	1997–2002
भैरों सिंह शेखावत (1923–2010)	2002–2007
श्री मोहम्मद हामिद अंसारी (जन्म 1937)	2007–अब तक

भारत के प्रधानमंत्री

नाम	पद अवधि
पं. जवाहरलाल नेहरू (1889–1964)	15 अगस्त, 1947 से 27 मई, 1964
गुलजारी लाल नंदा (1898–1998) (कार्यवाहक)	27 मई, 1964 से 09 जून, 1964
लाल बहादुर शास्त्री (1904–1966)	09 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966
गुलजारी लाल नंदा (1898–1998) (कार्यवाहक)	11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966
इंदिरा गांधी (1917–1984)	24 जनवरी, 1966 से 24 मार्च, 1977
मोरारजी देसाई (1896–1995)	24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979
चरण सिंह (1902–1987)	28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980
इंदिरा गांधी (1917–1984)	14 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1984
राजीव गांधी (1944–1991)	31 अक्तूबर, 1984 से 02 दिसंबर, 1989
विश्वनाथ प्रताप सिंह (1931–2008)	02 दिसंबर, 1989 से 10 नवंबर, 1990

97वाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2011

अनुच्छेद 19(1) (ग) में "अथवा संघों" शब्दों के बाद "अथवा सहकारी सोसाइटी" शब्द जोड़े गए तथा अनुच्छेद 43(ख) यानी सहकारी सोसाइटियों के संवर्द्धन को शामिल किया गया और खंड-ix8, ख यानी सहकारी सोसाइटी जोड़ा गया।

98वाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2012

इस अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के भाग-21 में अनुच्छेद-371(झ) के बाद एक नया अनुच्छेद-371(ञ) जोड़ा गया है। भाग-21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। अनुच्छेद-371 (ञ) कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठाने के लिये सशक्त करता है। इस क्षेत्र में गुलबर्गा, बीदर, कोप्पल, यादगीर एवं बेल्लारी ज़िले शामिल है।

99वाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2014

इस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार ने सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में बदलाव लाने के लिये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 (2), 127 (1) 128, 217(1) व (2) और 224 क आदि में संशोधन किया गया है।

100वाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2015

अधिनियम का उद्देश्य भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 41 साल पुराने भू-सीमा समझौता (Land Boundary Agreement – LBA) 1974 को प्रभाव में लाया गया है। इस अधिनियम के तहत संविधान की पहली अनुसूची में असम, प. बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा के प्रदेशों के संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है। इस संशोधन द्वारा मुख्यत: भारत एवं बांग्लादेश के मध्य अनधिकृत भूमि एवं अंत: क्षेत्रों की अदला-बदली की गई।

101वाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2016

यह अधिनियम वस्तु और सेवा करों से संबंधित विशेष प्रावधान बनाकर वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की प्रस्तावना का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नए अनुच्छेद जैसे-246A, 269A, 279A, 250, इत्यादि संविधान में जोड़े गए हैं।

देश के राजमार्गों की राज्यवार सूची

राज्य	राजमार्ग संख्या
आंध्र प्रदेश (अविभाजित)	4, 5, 7, 916, 18, 18A, 42, 43, 50, 63, 67, 150, 167, 202, 205, 214, 214A, 219, 221, 222, 234, 326, 67, 71, 161, 326A, 340, 363, 365, 565, 563, 365A, 765
अरुणाचल प्रदेश	37, 52, 52A, 52B, 153, 229, 315A,
असम	31, 31B, 31C, 36, 37, 37A, 38, 39, 44, 51, 52, 52A, 52B, 53, 54, 61, 62, 151, 152, 153, 154, 315A, 127B, 127C, 127D, 627, 27, 329, 117A, 715A, 127E, 702, 52B, 37E
बिहार	2, 2C, 19, 28, 28A, 28B, 30, 30A, 31, 57, 57A, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 122A, 133, 327, 327A, 333, 527C, 333A, 527, 219
चंडीगढ़	22
छत्तीसगढ़	6, 12A, 16, 43, 78, 111, 200, 202, 216, 217, 221, 343, 130D, 163A, 149B, 130C, 930, 130A, 130B
दिल्ली	1, 2, 8, 10, 24, 236
दादर नगर हवेली	848A
दमन और दीव	251, 848B
गोवा	4A, 17, 17A, 17B
गुजरात	NE-1, 6, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 14, 15, 56, 58, 59, 113, 228, 848, 848A, 848B, 251, 753B,
हरियाणा	1, 2, 8, 10, 21A, 22, 64, 65, 71, 71A, 71B, 72, 73, 73A, 236, 709, NE2, 334B, 11, 54, 248A, 703
हिमाचल प्रदेश	1A, 20, 20A, 21, 21A, 22, 70, 72, 72B, 73A, 88, 305, 3,503, 154A, 505, 503
जम्मू-कश्मीर	1A, 1B, 1C, 1D, 301, 701, 501, 3,144, 144A, 444
झारखंड	2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99, 100, 114A, 133, 220, 333, 343, 43, 133A, 419, 143A, 33A
कर्नाटक	4, 4A, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 150, 167, 206, 207, 209, 221, 218, 234, 169A, 150, 50, 367, 173, 275, 150A, 169A
केरल	17, 47, 47A, 47C, 49, 208, 212, 213, 220, 185, 183A
मध्य प्रदेश	3, 7, 12, 12A, 25, 26, 26A, 26B, 27, 56, 59, 59A, 75, 76, 78, 86, 92, 927A